

31 मार्च, 2020 के अनुसार समेकित तुलन—पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
	परिसंपत्तियां			
(1)	वित्तीय परिसंपत्तियां			
(क)	नकदी एवं नकदी के समतुल्य	6	1,717.71	381.99
(ख)	अन्य बैंक शेष	7	2,257.45	1,733.08
(ग)	ट्रेड प्राप्त	8	110.72	137.72
(घ)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	9	3,318.85	1,802.58
(च)	ऋण	10	312,083.50	270,450.92
(छ)	निवेश	11	2,127.11	2,283.13
(ज)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	22,099.67	18,363.99
	कुल—वित्तीय परिसंपत्तियां (1)		343,715.01	295,153.41
(2)	गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां			
(क)	चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	13	409.94	293.17
(ख)	आरथगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	14	2,050.57	2,305.93
(ग)	निवेश संपत्ति	15	0.01	0.01
(घ)	संपत्तियां, संयंत्र एवं उपस्कर	16	156.97	156.63
(च)	पूँजीगत चालू कार्य	16	287.62	196.94
(छ)	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	16	0.77	1.59
(ज)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	16	8.82	8.55
(झ)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	17	132.37	148.41
(इ)	इकिवटी विधि के उपयोग के लिए लेखाकृत निवेश	11	258.47	179.63
	कुल — गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)		3,305.54	3,290.86
(3)	बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्तियां	18	9.53	9.56
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)		347,030.08	298,453.83
	देयताएं और इकिवटी			
	देयताएं			
(1)	वित्तीय देयताएं			
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	9	1,325.73	159.40
(ख)	ट्रेड प्राप्त			
	(i) एमएसएमई का कुल बकाया देय	19	0.15	2.65
	(ii) एमएसएमई से भिन्न ऋणकर्ताओं का कुल बकाया देय	19	46.00	64.64
(ग)	ऋण प्रतिभूतियां	20	219,918.25	192,767.51
(घ)	उधारिया (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	21	61,550.66	46,662.54
(च)	अधीनस्थ देयताएं	22	4,819.65	4,818.76
(छ)	अन्य वित्तीय देयताएं	23	23,782.21	19,227.07
	कुल—वित्तीय देयताएं (1)		311,442.65	263,702.57
(2)	गैर-वित्तीय देयताएं			
(क)	प्रावधान	24	107.09	100.24
(ख)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	25	83.23	104.60
	कुल—गैर-वित्तीय देयताएं (2)		190.32	204.84
(3)	बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देयताएं	18	0.68	0.08
(4)	इकिवटी			
(क)	इकिवटी शेयर पूँजी	26	1,974.92	1,974.92
(ख)	अन्य इकिवटी	27	33,421.51	32,571.42
	कुल — इकिवटी (4)		35,396.43	34,546.34
	कुल — देयताएं और इकिवटी (1+2+3+4)		347,030.08	298,453.83

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियाँ 1 से 69

जे.एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06629871

संजीव कुमार गुप्ता

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन-03464342

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मितल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135 एन

एस. मूर्ति
भागीदार
सदस्यता सं. : 072290

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन / एन500091

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17 जून 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
	प्रचालनों से राजस्व			
(i)	ब्याज आय	28	29,671.78	24,983.62
(ii)	लाभांश आय	29	36.94	20.38
(iii)	शुल्क एवं कर्मीशन आय	30	38.95	225.09
(iv)	सेवाओं की बिक्री	31	182.11	169.93
I.	प्रचालनों से कुल राजस्व (i से iv)		29,929.78	25,399.02
II.	अन्य आय	32	77.27	32.31
III.	कुल आय (I+II)		30,007.05	25,431.33
	व्यय			
(i)	वित्तीय लागतें	33	18,991.30	15,639.20
(ii)	निवल अनुवाद/लेन-देन विनियम हानि	34	2,357.90	521.19
(iii)	शुल्क एवं कर्मीशन व्यय	35	25.44	34.38
(iv)	उचित मूल्य परिवर्तनों संबंधी निवल हानि	36	25.85	348.52
(v)	वित्तीय दस्तावेजों संबंधी हानि	37	919.49	243.49
(vi)	प्रदान की गई सेवाओं की लागत	38	71.61	85.15
(vii)	कर्मचारी हितलाभ व्यय	39	193.15	177.37
(viii)	मूल्यांक एवं परिशोधन	40	11.77	8.29
(ix)	निगम सामाजिक दायित्व व्यय	41	259.29	104.49
(x)	अन्य व्यय	42	130.41	188.76
IV.	कुल व्यय (i से x)		22,986.21	17,350.84
V.	इविचटी पद्धति का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यम के लाभ/हानि का हिस्सा		9.14	9.95
VI.	कर पूर्व लाभ (III+IV+V)		7,029.98	8,090.44
VII.	कर व्यय	43		
(i)	वर्तमान कर		1,645.06	1,813.23
(ii)	आस्थापूर्ति कर		412.65	535.83
	कुल कर व्यय (i+ii)		2,057.71	2,349.06
VIII.	वर्ष के लिए लाभ		4,972.27	5,741.38
IX.	अन्य व्यापक आय/(हानि)			
(i)	ऐसी मद्दे जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
(क)	परिसापूर्ति हितलाभ योजनाओं संबंधी पुनःमापन लाभ/(हानि)		(2.87)	(19.37)
(ख)	एफीओसीआई इविचटी दस्तावेजों के अकित मूल्य में परिवर्तन		(129.20)	(47.26)
(ग)	इविचटी पद्धति का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय/हानि का हिस्सा		(0.12)	(0.05)
(घ)	इन मद्दों से संबंधित आय कर			
	— परिसापूर्ति हितलाभ योजनाओं संबंधी पुनःमापन लाभ/(हानि)		0.72	6.77
	— एफीओसीआई इविचटी दस्तावेजों के अकित मूल्य में परिवर्तन		12.39	(0.68)
	उप-जोड़ (i)		(119.08)	(60.59)
(ii)	ऐसी मद्दे जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत किया जाएगा			
(क)	नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा		(302.12)	-
(ख)	हेजिंग आरक्षण की लागत		(273.61)	-
(ग)	इविचटी पद्धति का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय/हानि का हिस्सा		(3.94)	-
(घ)	इन मद्दों से संबंधित आयकर			
	— नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा		76.04	-
	— हेजिंग आरक्षण की लागत		68.86	-
	उप-जोड़ (ii)		(434.77)	-
	अवधि के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि) (i+ii)		(553.85)	(60.59)
X.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (VIII+IX)		4,418.42	5,680.79
XI.	प्रत्येक 10 रुपये प्रति इविचटी शेयर बेसिक और डाइल्ट्यूटेड अर्जन (₹ करोड़ में)	44		
(1)	जारी प्रचालनों के लिए		25.18	29.07
(2)	जारी एवं बद प्रचालनों के लिए		25.18	29.07

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणी 1 से 69

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताम
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिवअजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06629871संजीव कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन-03464342

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17 जून 2020कृते एस. के. मितल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135 एनएस. मूर्ति
भागीदार
सदस्यता सं. : 072290कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/ एन500091
अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह:			
कर पूर्व निवल लाभ	7,029.98	8,090.44	
निम्नलिखित के लिए समायोजन:			
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (निवल) के मान्यता समाप्त करने पर हानि	1.69	0.86	
2. अवमूल्यन एवं परिशोधन	11.78	8.29	
3. वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि से संबंधित क्षति	919.49	243.49	
4. ऋण के मामले में प्रभावी ब्याज दर के प्रति समायोजन	53.02	1.33	
5. उधार के मामले में प्रभावी ब्याज दर के प्रति समायोजन	62.31	(788.28)	
6. व्युत्पन्न में उचित मूल्य परिवर्तन	47.72	351.52	
7. एफवीटीपीएल इन्स्ट्रुमेंट में उचित मूल्य परिवर्तन	(6.40)	-	
8. कमर्शियल पेपर पर ब्याज	463.66	402.84	
9. जीरो कूपन बॉण्ड पर उपचित ब्याज	105.29	97.02	
10. विनिमय दर घटने-बढ़ने पर हानि / (लाभ)	2,342.27	558.51	
11. निवेशों की बिक्री पर हानि / (लाभ)	(3.16)	-	
12. लाभांश आय	(36.94)	(20.38)	
13. निवेशों एवं अन्य पर ब्याज आय	(181.15)	(205.88)	
14. अग्रिम आय कर पर ब्याज के लिए किया गया प्रावधान	0.03	3.70	
15. देयताएं जिन्हें अब राइट बैक करने की आवश्यकता नहीं है	-	(0.46)	
16. अन्य देयताओं पर ब्याज खर्च	0.21	-	
17. इकिवटी मेथड प्रयोग करने के लिए लेखाकृत संयुक्त उद्यमों के लाभ / हानि का शेयर	(9.14)	(9.95)	
प्रचालनात्मक परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ	10,800.66	8,733.05	
निम्नलिखित के कारण अंतर्फ़ वाह / (बहिर्फ़ वाह) :			
1. ऋण परिसंपत्तियां	(41,664.59)	(41,760.36)	
2. व्युत्पन्न	(407.70)	(1,622.07)	
3. अन्य प्रचालनात्मक परिसंपत्तियां	(5,165.04)	(13,856.89)	
4. प्रचालनात्मक देयताएं	5,485.44	14,711.38	
प्रचालनों से नकदी प्रवाह	(30,951.23)	(33,794.89)	
1. भुगतान किया गया आयकर (टीडीएस सहित)	(1,777.35)	(2,070.91)	
2. आयकर वापसी	16.67	-	
प्रचालनात्मक गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		(32,711.91)	(35,865.80)
ख. निवेशात्मक गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की बिक्री	0.11	0.10	
2. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में निवेश (सीडब्ल्यूआईपी और पूंजीगत अग्रिम राशि सहित)	(97.51)	(85.88)	
3. अमूर्त परिसंपत्तियों में निवेश (विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों सहित)	(2.75)	(5.04)	
4. पूंजीकृत वित्त लागतें	(15.79)	(11.37)	
5. ईईएसएल के इकिवटी शेयरों में निवेश	(71.60)	-	
6. इकिवटी शेयरों का बिक्री	4.23	24.39	

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
7. (निवल) सहायक कंपनियों के शेयर में/का बिक्री / (निवेश)	0.30	(0.40)
8. ऋण प्रतिभूतियों का विमोचन (निवेशों का निवल)	47.16	398.17
9. निवेशों से ब्याज आय	231.04	158.07
10. आवधिक जमाओं में निवेश (ब्याज सहित)	(15.90)	(106.64)
11. अप्रत्याशित बॉण्ड में निवेश	(18.00)	-
12. बॉण्ड में निवेश की बिक्री	21.15	-
13. कारपोरेट और आवधिक जमाओं की परिपक्वता / (निवेश)	(0.05)	64.99
14. लाभांश आय	36.94	20.38
15. इकिवटी मेथड प्रयोग करने के लिए लेखाकृत निवेशों की वसूली	2.10	-
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	121.43	456.77
ग. वित्त संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
1. रुपे ऋण प्रतिभूति का निर्गम / (विमोचन)	21,293.39	4,220.72
2. कमर्शियल पेपर (निवल) का निर्गम / (विमोचन)	(5,270.30)	4,143.04
3. सरकार/बैंकों/वित्तीय संस्थानों (निवल) से रुपे अवधि ऋण / डब्ल्यूसीडीएल प्राप्त करना / (चुकौतियां)	7,904.65	24,350.00
4. विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं उधार (निवल) प्राप्त करना / (चुकौतियां)	12,617.57	3,718.78
5. अधीनस्थ देयताओं (निवल) को प्राप्त करना / (विमोचन)	-	2,151.20
6. इकिवटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान	(2,172.41)	(2,515.63)
7. कारपोरेट लाभांश कर का भुगतान	(446.06)	(525.52)
8. पट्टा देयता के संबंध में पुनर्भुगतान (चुकौती)	(0.64)	-
वित्त संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	33,926.20	35,542.59
नकदी एवं नकदी समतुल्यता में निवल वृद्धि/कमी	1,335.72	133.56
इस अवधि के आरंभ में नकद एवं नकदी समतुल्यता	381.99	248.43
इस अवधि के अंत में नकद एवं नकदी समतुल्य	1,717.71	381.99

वर्ष के अंत में नकद एवं नकदी समतुल्यता के घटक निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
- हस्तगत रोकड़ (डाक एवं अग्रदाय सहित)	0.06	0.01
- बैंकों में शेष	1,195.40	343.60
-अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा	522.25	38.38
कुल नकद और नकदी समतुल्यता	1,717.71	381.99

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्त संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान नकदी प्रावाह (निवल)	उपचित ब्याज में संचलन*	गैर— नकदी परिवर्तन		इति शेष
				विनिमय अंतर	ईआईआर समायोजन	
वित्त वर्ष 2019–20						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	172,899.12	21,293.39	729.78	-	41.72	194,964.01
कमर्शियल पेपर	7,696.32	(5,270.30)	-	-	463.66	2,889.68
रुपे आवधिक ऋण/डब्ल्यूसीडीएल	24,884.25	7,904.65	194.55	-	-	32,983.45
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	33,950.25	12,617.57	73.78	3,930.12	57.93	50,629.65
अधीनस्थ देयताएं	4,818.76	-	0.61	-	0.28	4,819.65
कुल	244,248.70	36,545.31	998.72	3,930.12	563.59	286,286.44
वित्त वर्ष 2018–19						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	168,444.86	4,220.72	124.83	-	108.71	172,899.12
कमर्शियल पेपर	3,150.44	4,143.04	-	-	402.84	7,696.32
रुपे दीर्घावधिक ऋण डब्ल्यूसीडीएल	414.82	24,350.00	119.43	-	-	24,884.25
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	29,689.04	3,718.78	104.02	1,220.89	(782.48)	33,950.25
अधीनस्थ देयताएं	2,667.36	2,151.20	1.58	-	(1.38)	4,818.76
कुल	204,366.52	38,583.74	349.86	1,220.89	(272.31)	244,248.70

* उपचित ब्याज में संचलन को प्रचालन संबंधी क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह के रूप में "प्रचालन संबंधी देयताओं" में विचारा गया है।

टिप्पणी: जहां आवश्यक है, पिछली अवधि के आंकड़ों को फिर से व्यवस्थित किया गया है और उसे फिर से समूह में रखा गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06629871

संजीव कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन-03464342

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135 एन

कृते ओ. पी. बागला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन / एन500091

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17 जून 2020

एस. मूर्ति
भागीदार
सदस्यता सं. : 072290

अंतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. कंपनी सिंहावलोकन

आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" या "कंपनी") की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। कंपनी भारत में अधिवासित है एवं शेयरों द्वारा सीमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय एवं कारोबार का मुख्य स्थान कोर-4, स्कोप काल्पनिक, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत में स्थित है। कंपनी के देश भर में फैले 22 राज्यों में कार्यालय, मुख्यतः राज्यों की राजधानी में, हैं तथा इसका हैदराबाद में एक प्रशिक्षण केंद्र है।

यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है, जो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की मूल्य शृंखला को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है तथा यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत व्यवस्थित ढंग में एक महत्वपूर्ण (नॉन-डिपॉजिट एक्सेप्टिंग या होल्डिंग) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है।

आरईसी, भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक अवसंरचना वित्त कंपनी है और आरईसी के प्रमुख उत्पादों में राज्य विद्युत बोर्ड, राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत विभागों एवं निजी क्षेत्र को विद्युत अवसंरचना के सभी अंगभूतों के लिए व्याज-युक्त ऋण प्रदान करना शामिल है।

कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं।

अपनी अनुषंगी कंपनियों के साथ कंपनी को यहां इसके उपरांत 'समूह' के रूप में संदर्भित किया गया है।

2. अनुपालन का विवरण और तैयार करने का आधार

ये समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों और अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को जारी करने हेतु निदेशक मंडल द्वारा 17 जून, 2020 को अधिकृत एवं अनुमोदित किया गया।

इन समेकित वित्तीय विवरणों को लेखाकरण की निम्नलिखित उपचित प्रणाली के जारी स्रोकार के आधार पर तैयार किया गया है तथा ये कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक ("इंड एएस" के रूप में संदर्भित), कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों और अन्य लागू नियामक मानदंडों / दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

समेकित वित्तीय विवरणों के तैयारी में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को नीचे दिया गया है:

3.1 समेकन का आधार

अनुषंगी कंपनी

सहायक कंपनी ऐसा निकाय है, जो समूह द्वारा होता है। समूह किसी निकाय अथवा इकाई को तब नियंत्रित करता है जब उसके पास निवेशकर्ता पर अधिकार (शक्ति) होती है, वह उस निकाय के साथ अपनी भागीदारी के माध्यम से परिवर्तनशील (चर) लाभ रिटर्न के बारे में परिचित होता है या उसका अधिकार उसके पास होता है और इकाई पर अपनी अधिकार के माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को उस तारीख से समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है जिससे उस पर उसका नियंत्रण शुरू होता है और जिससे उस पर उसका नियंत्रण समाप्त हो जाता है। समूह धारक कंपनी और अपनी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को परिसंपत्तियों, देयताओं, इकिवटी, आय और व्यय की समान मद्दों को लाइन बाई लाइन जोड़कर समेकित करता है।

इकिवटी खाते में निवेशकर्ता

इकिवटी में समूह के हितों की गणना ऐसे निवेशकर्ताओं के लिए की जाती है, सहयोगी प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यम में जिनके हित शामिल होते हैं। एक सहयोगी प्रतिष्ठान, जिसमें एक गैर-निगमित इकाई भी शामिल है, एक ऐसी इकाई अथवा निकाय है, जिसके ऊपर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है और यह न तो एक सहायक कंपनी है और न ही किसी संयुक्त उद्यम में उसका कोई हित निहित होता है। सहयोगी प्रतिष्ठानों में हितों की गणना इकिवटी पद्धति का उपयोग करके की जाती है। इन हितों को शुरू में ऐसी लागत में मान्यता दी जाती है, जिसमें लेनदेन लागतें शामिल होती हैं। प्रारम्भिक मान्यता के बाद, समेकित वित्तीय विवरणों में इकिवटी-अकाउंटेड निवेशकर्ताओं के समूह के लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) का उस तारीख तक की हिस्सेदारी शामिल होती है, जिस तारीख तक महत्वपूर्ण प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता है। हालांकि, अगर यह आकलन किया जाता है कि सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश / हित बिक्री के लिए रखा गया है, तो ऐसे मामलों में सहयोगी प्रष्ठानोंमें हित की गणना भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 105 के तहत की जाएगी।

एक संयुक्त उद्यम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समूह का संयुक्त नियंत्रण होता है और उसे अपनी देनदारियों के लिए अपनी परिसंपत्तियों और अपनी देयताओं की बाध्यताओं के अधिकारों के बजाय व्यवस्था की निबल परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है।

संयुक्त उद्यम में हितों की गणना इकिवटी पद्धति का उपयोग करके की जाती है। उन्हें शुरू में ऐसी लागत के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें लेनदेन लागतें शामिल होती हैं। प्रारम्भिक मान्यता के बाद, समेकित वित्तीय विवरणों में इकिवटी-अकाउंटेड निवेशकर्ताओं के समूह के लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) का उस तारीख तक की हिस्सेदारी शामिल होती है, जिस तारीख तक महत्वपूर्ण प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

समेकन पर समाप्त हो गए लेनदेने

3.2 समूह के अंदर (इंट्रा-ग्रुप) बकाया राशियों और लेनदेनों और समूह के भतर लेनदेनों से होने वाली किसी भी अघोषित आय और खर्च को समाप्त कर दिया जाता है। इकिवटी अकाउंटेड निवेशकर्ताओं के साथ लेन-देन से उत्पन्न होने वाले अघोषित लाभ को निवेशकर्ता में समूह के हित की सीमा तक निवेश के विरुद्ध समाप्त कर दिया जाता है। अघोषित लाभ की तरह ही अघोषित हानि को भी उसी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन केवल इस हद तक कि यहां क्षतिपूर्ति का कोई सबूत नहीं है।

3.3 तैयारी और मापन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें कुछ वित्तीय परिसंपत्तियोंयां एवं वित्तीय देनदारियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें संबंधित लेखाकरण नीतियों में यथा स्पष्टीकृत उचित मूल्यों पर मापा जाता है। इन नीतियों को समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए सतत रूप से लागू किया गया है।

कार्यात्मक एवं प्रस्तुत मुद्रा

समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपयों ('आईएनआर'), जोकि समूह की कार्यात्मक मुद्रा भी है, में प्रस्तुत किया जाता है।

3.4 राजस्व मान्यता

ब्याज आय

ब्याज आय की पहचान, बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर की गई है।

जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, ऋणकर्ताओं से वसूलियों को निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाता है रु (i) आरईसी की लागत और खर्च (ii) ब्याज कर, यदि कोई है, सहित विलंबित और दाँड़िक ब्याज (iii) ब्याज कर, यदि कोई है, सहित अतिदेय ब्याज और (iv) मूलधन का पुनर्भुगतानय क्रेडिट क्षतिपूरित ऋण और वापस मांगे गए ऋणों को छोड़कर, सबसे पुराने होने के नाते उन्हें पहले समायोजित किया जा रहा है, जहां मूलधन की राशि को ब्याज कर, यदि कोई है, सहित अन्य लागतों, खर्चों, विलंबित और दाँड़िक ब्याज और अतिदेय ब्याज की पूर्ण वसूली के बाद ही विनियोजित किया जाता है। वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) / इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्रीसी कोड (आईबीसी) की कार्यवाही के तहत वसूली को पहले मूलधन की बकाया राशि और शेष वसूली के मद में विनियोजित किया जाता है, उसके बाद ब्याज और अन्य प्रभारों, यदि कोई हैं के मद में विनियोजित किया जाता है।

परिशेषधन लागत पर मापी गई सभी वित्तीय परिसंपत्तियोंयों के लिए, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है, अर्थात वह दर जो वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल वहन राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्याशित अवधि के माध्यम से भविष्य की नकद प्राप्तियों का अनुमान लगाती है।

लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापी गई उत्तरवर्ती वित्तीय परिसंपत्तियोंयों पर ब्याज को मान्यता संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपचित आधार पर दी जाती है।

उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज के सामयिक भुगतान के कारण छूट को मान्यता, संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, संपूर्ण ब्याज राशि का समय पर प्राप्त होने पर दी जाती है और यह तदनुरूपी ब्याज आय के समक्ष शुद्ध आय है।

सरकारी योजनाओं से आय

सरकारी योजनाओं पर एजेंसी शुल्क की आय को मान्यता प्रस्तुत सेवाओं पर आधारित उपचित आधार पर दी जाती है।

लाभांश आय

कारपोरेट निकायों के शेयरों पर लाभांश और म्युच्युअ फंड की यूनिटों से आय को, आरईसी को भुगतान प्राप्ति का अधिकार स्थापित होने पर, उपचित आधार पर खाते में लिया जाता है।

बशर्ते कि अंतिम लाभांश के मामले में, भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को, केवल वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा लाभांश की मंजूरी प्रदान करने पर विचारा जाएगा।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर बाद में मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियोंयों पर लाभांश को मान्यता 'लाभांश आय' शीर्ष के अंतर्गत अलग से दी जाती है।

अन्य सेवाएं

ऋण परिसंपत्तियों पर शुल्क/प्रभारों को, ईआईआर के लिए विचारित किसी समायोजन को छोड़कर, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है। पूर्व-भुगतान प्रीमियम का हिसाब प्राप्ति वर्ष में कंपनी द्वारा किया जाता है।

सेवाएं प्रदान करने (बिक्री) से राजस्व

राजस्व को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि इस बात की संभावना बनी रहे हैं कि समूह को आर्थिक लाभ प्रवाहित होते रहेंगे और राजस्व को विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है।

समूह भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 115 द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का उपयोग करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि राजस्व को कितनी और कब मान्यता दी जानी है, राजस्व की प्रकृति, राशि, समय अनुसूची और अनिश्चितता आदि क्या है। उसी के अनुसार, राजस्व को पाँच चरण वाले दृष्टिकोण के माध्यम से मान्यता दी जाती है:

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

- (i) ग्राहक के साथ संविदा (संविदाओं) की पहचान करना;
- (ii) संविदा में अलग-अलग कार्यनिष्ठादन दायित्वों की पहचान करना;
- (iii) लेन-देन का मूल्य निर्धारित करना;
- (iv) कार्य निष्पादनदायित्वों के लिए लेनदेन की कीमत आवंटित करना; तथा
- (v) कार्य निष्पादन की बाध्यता के पूरे होने पर राजस्व को मान्यता देना;

राजस्वों का मापन प्राप्त या प्राप्यविचारण, छूटों और अन्य अप्रत्यक्ष करों के निवल के उचित मूल्य पर किया जाता है।

कॉस्ट प्लस संविदाओं में – राजस्व को मान्यता संविदा के अनुसार व्ययों की पात्र संविदात्मक मदों और आनुपातिक मार्जिन को शामिल कर दी जाती है।

निर्धारित मूल्य संविदाओं में – राजस्व को मान्यता संविदा के पूरा होने के चरण के आधार पर दी जाती है। समूह ने आकलन किया है कि संविदा के पूरा होने के चरण का निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उस कार्यनिष्ठादन बाध्यता को पूरा करने के लिए अपेक्षित कुल समय के अनुपात के रूप में किया जाता है, जो भारतीय लेखांकन मानक (एएस) 115 के अंतर्गत इन कार्यनिष्ठादन बाध्यताओं की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति का एक उपयुक्त मापक है।

यदि हालात बदलते हैं, तो राजस्व, लागत या पूर्ण होने की दिशा में प्रगति के अनुमानों को संशोधित किया जाता है। अनुमानित राजस्व या लागत में कोई भी परिणामी वृद्धि या कमी को उस अवधि में लाभ या हानि में दर्शाया जाता है, जिसमें संशोधन को जन्म देने वाली परिस्थितियां प्रबंधन द्वारा ज्ञात हो जाती हैं।

टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के तहत पारेषण परियोजनाओं के लिए चयनित बोलीदाताओं / डेवलपर्स से लिए जाने वाले व्यावसायिक प्रभारों की गणना उस वर्ष में की जाती है, जिसमें यह यथोचित रूप से निश्चित होता है कि व्यावसायिक प्रभारों का अंतिम संग्रहण किया जाएगा।

प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेजों की बिक्री से होने वाली आय को संबंधित एसपीवी को क्रेडिट किया जाता है और अर्हता के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) दस्तावेजों की बिक्री से होने वाली आय समूह द्वारा अपने पास रखी जाती है और इसकी गणना समूह की आय के रूप में की जाती है।

3.5 उधार लागत

उधार लेने की लागत में व्याज और ऐसी अन्य लागतें शामिल होती हैं, जिन्हें समूह निधियों की उधारी के संबंध में खर्च करता है। उधार लेने की लागतें, जो एक अर्हकारी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और/या निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से तब तक जिम्मेदार हैं जब तक कि ऐसी अर्हकारी परिसंपत्तियों अपने अभीष्ट उपयोग बिक्री के लिए तैयार नहीं हो जाती, पूंजीकृत होती हैं। एक अर्हकारी परिसंपत्तियों वह है जो आवश्यक रूप से अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयारी के संबंध में पर्याप्त समय लेती है।

अन्य सभी उधार लागतें, प्रभावी व्याज दर पद्धति के अनुसार उपचित आधार पर लाभ और हानि के विवरण हेतु प्रभारित हैं।

3.6 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूलभूत आय की गणना, अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों (आरोप्य करों की कटौती के उपरात) के लिए देय अवधि के संबंध में निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर तनूकृत आय की गणना करने के लिए, अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी हेतु देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को सभी घटाने योग्य संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

3.7 विदेशी मुद्रा रूपांतरण

विदेशी मुद्रा लेनदेन और संतुलन

विदेशी मुद्रा लेनदेन को, लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों का उपयोग करके समूह की कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित किया जाता है।

इस तरह के लेन-देन के निपटान के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा लाभ और अवधि-अंत विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में विभाजित मौद्रिक वस्तुओं के पुनरुत्थान को मान्यता लाभ या हानि विवरण में दी जाती है। हालांकि, 1 अप्रैल 2018 से पूर्व समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यताकृत दीर्घकालिक मौद्रिक मदों के लिए, इस तरह के लाभ और हानि को “विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण खाते” में संचित किया जाता है और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में पहचान करने के द्वारा, इस प्रकार की दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

गैर-मौद्रिक वस्तुओं को अवधि के अंत में पुनः अंतरित नहीं किया जाता है और उनको ऐतिहासिक लागत (लेनदेन की तिथि को विनिमय दरों के उपयोग द्वारा रूपांतरित) पर मापा जाता है।

3.8 अमूर्त परिसंपत्तियां

मान्यता और प्रारंभिक मापन

अमूर्त संपत्ति में मुख्य रूप से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल होता है, जिसे शुरू में लागत पर मापा जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है, जिनमें यह सम्भावना है कि परिसंपत्तियों के कारण भावी आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

उत्तरवर्ती माप प्रक्रिया (परिशोधन विधि, उपयोगिता अवधि और शेष मूल्य)

परिमित उपयोगिता अवधि के साथ सभी अमूर्त को अनुमानित उपयोगिता अवधि से परे एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है, और यदि अमूर्त परिसंपत्तियों को क्षति होने का संकेत होता है तो संभावित हानि का आकलन किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए शेष मूल्य और उपयोगिता अवधि की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन, यदि कोई हो तो, का लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में हिसाब लगाया जाता है। प्रबंधन का अनुमान है कि अमूर्त परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि पांच वर्ष होगी।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

ऐसे व्यय, जो अमूर्त परिसंपत्तियों के तहत पूँजीकरण के लिए पात्र हैं, को उनके अभीष्ट उपयोग हेतु तैयार होने तक 'विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों' के रूप में, रखा जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

किसी अमूर्त परिसंपत्तियों को निपटान के समय, या उसके उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ न होने की प्रत्याशा पर अमान्यकृत कर दिया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्तियों के अमान्यकरण से व्युत्पन्न लाभ या हानि, निवल निपटान आय और परिसंपत्तियों की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापित, को परिसंपत्तियों को अमान्यकृत किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण को मान्यता दी जाती है।

3.9 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

मान्यता और प्रारंभिक मापन

भूमि

उपयोग के लिए रखी गई भूमि को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है। भूमि के लिए, जैसा कि कोई परिमित उपयोगिता अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती है, संबंधित वहन राशि का मूल्यहास नहीं होता है।

अन्य मूर्त परिसंपत्तियां

भूमि के अन्यत्र पीपीई को प्रारंभ में अधिग्रहण लागत या निर्माण लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें ऐसी लागतें जो परिसंपत्तियों को स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य हैं और ऐसी शर्तें जो इसे कंपनी के प्रबंधन द्वारा अभीष्ट ढंग में प्रचालन करने में सक्षम हेतु अनिवार्य बनाती हैं, शामिल हैं।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्तियों की वहन राशि शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्तियों के रूप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक कंपनी में प्रवाहित होंगे। पीपीई के अनुरक्षण या सर्विसिंग लागत को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उत्तरवर्ती माप (मूल्यहास पद्धति, उपयोगिता अवधि, शेष मूल्य और क्षति)

पीपीई को बाद में कम संचित मूल्यहास लागत और क्षतिपूर्ण हानियों पर मापा जाता है। पीपीई पर मूल्यहास को, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग 'ग' के तहत निर्धारित परिसंपत्तियों के उपर्योगी अवधि पर सीधी-रेखा पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को, उक्त के खरीद/बिक्री की तारीख से यथानुपात आधार पर प्रभारित करने के बजाय, परिसंपत्तियों के 15 दिन से अधिक उपयोग होने पर पूरे महीने के लिए प्रभारित किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास 5,000/- - रुपए तक 100% की दर से प्रदान किया जाता है।

शेष मूल्यों, उपयोगी अवधि और मूल्यहास की पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित वर्ष के अंत में की जाती है। भूमि के अन्यत्र पीपीई का क्षति के लिए परीक्षण तब किया जाता है, जब घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह इंगित होता है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है।

अमान्यकरण

पीपीई की एक मद तथा प्रारंभ में मान्यता प्राप्त किसी महत्वपूर्ण अंश को, निपटान पर या भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। पीपीई की किसी मद के अमान्यकरण पर उत्पन्न किसी लाभ या हानि का निर्धारण, निवल निपटान आय और परिसंपत्तियों की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है तथा उसे लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

पूँजीगत कार्य में प्रगति

रिपोर्टिंग तिथि को निर्माणाधीन पीपीई की लागत को 'पूँजीगत कार्य में प्रगति' के रूप में प्रकट किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, पूँजीकरण मानदंड पूर्ण होने पर उधार लागत और परिसंपत्तियों को अभीष्ट उपयोग हेतु इसके कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लागत शामिल होती है। व्यापार संबंधी किसी बद्दे एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए प्रदत्त अग्रिम, जो तुलन-पत्र की तारीख को बकाया है, को 'अग्रिम पूँजी' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

3.10 पट्टा लेखांकन:

समूह अल्पकालिक या कम मूल्य के पट्टे के रूप में पहचाने गए पट्टों को छोड़कर सभी पहले से प्रचालनरत पट्टों के संबंध में उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति और संबंधित पट्टा देयता को मान्यता देता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

समूह संविदा की शुरुआत के समय ही इस बात का मूल्यांकन करता है कि क्या कोई संविदापट्टा संविदा है या इसमें कोई पट्टा निहित है। किसी पट्टे को 'एक ऐसी संविदा, या एक संविदा के भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो परिसंपत्तियों (अंतर्निहित परिसंपत्तियों) को विचारण राशि के बदले में अवधि के लिए उपयोग करने का अधिकार प्रदान करता है।

इस परिभाषा को लागू करने के लिए समूह इस बात आकलन करता है कि क्या संविदा मूल्यांकन की तीन प्रमुख शर्तें को पूरा करती हैं या नहीं, जो कि क्या:

- संविदा में पहचान की गई एक ऐसी परिसंपत्तियों शामिल होती है, जिसे या तो संविदा में स्पष्ट रूप से मान्यता दी जाती है या यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाता है कि समूह द्वारा परिसंपत्तियों उपलब्ध कराई गई है।
- समूह को संविदा की निर्धारित सीमा के भीतर अपने अधिकारों पर विचार करते हुए उपयोग की अवधि में पहचान की गई परिसंपत्तियों के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।
- समूह के पास यह अधिकार है कि वह इस्तेमाल की गई अवधि के दौरान पहचानी गई परिसंपत्तियों के उपयोग का निर्देश दे। समूह यह आकलन करता है कि क्या उसे यह निर्देशित करने का अधिकार है कि उपयोग की संपूर्ण अवधि के दौरान परिसम्पत्ति का उपयोग "कैसे और किस उद्देश्य के लिए" किया जाता है।

पट्टा शुरू होने की तारीख को समूह अपने तुलन पत्र में राइट-ऑफ़—यूज परिसम्पत्ति और पट्टा देयता को मान्यता देता है। राइट-ऑफ़—यूज परिसम्पत्ति को उस लागत पर मापा जाता है, जो पट्टे की देयता के प्रारंभिक मापन, समूह द्वारा की गई किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों, पट्टा कीवधि की समाप्ति पर परिसंपत्तियों को डिसमेंटल करने और हटाने के लिए किसी भी लागत अनुमान और पट्टा प्रारंभ तिथि (प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन का निबल) के अग्रिम तौर पर किए गए किसी भी पट्टा भुगतान से मिलकर बनती है।

समूह पट्टा शुरू होने की तारीख से लेकर राइट-ऑफ़—यूज परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टा अवधि की समाप्ति तक एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर राइट-ऑफ़—यूज परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करता है। समूह ऐसे संकेतक मौजूद होने पर क्षतिपूर्ति के लिए राइट-ऑफ़—यूज परिसम्पत्ति का भी आकलन करता है।

प्रारंभ तिथि को समूह उस तिथि पर पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता का मापन पट्टा में निहित ब्याज दर का उपयोग करके रियायत देते हुए करता है, बशर्ते कि वह दर आसानी से उपलब्ध दर हो या फिर समूह की वृद्धिशील उधार दर हो।

पट्टा देयता के मापन में शामिल पट्टा भुगतान स्थिर भुगतानों (यथार्थ रूप में स्थिर को शामिल करते हुए), किसी सूचकांक या दर के आधार पर परिवर्ती भुगतानों, अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय राशि और ऐसे अपेक्षित विकल्पों, जिनका प्रयोग किया जाना निश्चित है, से उत्पन्न भुगतानों को मिलाकर बनते हैं।

प्रारंभिक मापन के बाद, किए गए और ब्याज के लिए बढ़ाए गए भुगतानों के लिए देयता कम हो जाएगी। किसी भी पुनर्मूल्यांकन या संशोधन को प्रतिबिंधित करने के लिए या यदि इन—यथार्थ रूप से निश्चित भुगतानों में कोई परिवर्तन होते हैं, तो इसे फिर से मापा जाता है।

जब पट्टा देयता को फिर से मापा जाता है, तो संबंधित समायोजन को राइट-ऑफ़—यूज परिसंपत्तियों में और यदि राइट-ऑफ़—यूज परिसंपत्तियों पहले से ही स्थूल हो जाती है, तो इसे लाभ और हानि में दर्शाया जाता है।

3.11 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां वे परिसंपत्तियां हैं जिनका भावी उपयोग अनपेक्षित होता है। लेन—देन की लागत सहित, निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यांकन पर वर्णित किया जाता है। लागत में खरीद मूल्य, पूंजीकरण मानदंड की पूर्ति पर उधार लागत और अभीष्ट उपयोग के लिए परिसंपत्तियों को इसकी कार्यशील स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से लाने के लिए आरोप्य लागत शामिल हैं। व्यापार संबंधी किसी बड़े एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्तियों की वहन राशि शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्तियों के रूप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद्द से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक कंपनी में प्रवाहित होंगे। अन्य सभी मरम्मत एवं अनुरक्षण लागतों को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उत्तरवर्ती माप (मूल्यांकन और उपयोगिता अवधि)

निवेश संपत्ति के रूप में कंपनी के पास केवल भूमि है, जो कि मूल्यांकन नहीं है।

अमान्यकरण

किसी निवेश संपत्ति को उसके निपटान पर या निवेश संपत्ति को उपयोग से स्थायी रूप से हटाने पर भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। संपत्ति के अमान्यकरण से व्युत्पन्न किसी लाभ या हानि (निवेश निपटान आय और परिसंपत्तियों की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में परिचालित) में उस अवधि का लाभ या हानि शामिल हैं, जिसमें संपत्ति को अमान्यकृत किया गया है।

3.12 वित्तीय साधन (इंस्ट्रूमेंट)

वित्तीय साधन (इंस्ट्रूमेंट) एक ऐसा अनुबंध है जो एक एंटिटी की वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य एंटिटी की वित्तीय देयता या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को जन्म देता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को मान्यता तब दी जाती है जब समूह, वित्तीय साधन (इंस्ट्रूमेंट) के संविदात्मक उपबंधों के लिए एक पार्टी बन जाता है और इसे प्रारंभ में लेन-देन की लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर मापा जाता है, इसमें वे शामिल नहीं हैं जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर शुरू में मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उत्तरवर्ती माप को नीचे वर्णित किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के प्रयोजनार्थ, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- ऋण—परिशोधित लागत
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीओसीआई)

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां, एफवीटीपीएल पर या एफवीओसीआई में इकिवटी इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़कर, पहचान के लिए न्यूनतम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में क्षति हेतु समीक्षा के अधीन हैं चाहे इसमें कोई वित्तीय साक्ष्य, जो किसी वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह की क्षति हो। क्षति का निर्धारण करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक क्षेणी हेतु विभिन्न मानदंड लागू किए गए हैं, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है।

परिशोधित लागत

एक वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी व्याज दर (ईआरआर) के उपयोग द्वारा ऋण—परिशोधन लागत पर मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों निम्न शर्तें पूर्ण होती हैं:

- क) वित्तीय परिसंपत्तियों को एक ऐसे बिजनेस मॉडल में रखा जाता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने हेतु संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना है; तथा
- ख) वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाहों, जो बकाया मूल राशि पर मूलधन और व्याज का भुगतान करते हैं, के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं।

अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए क्षति भर्ते को मान्यता परिशोधित लागत पर ली गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर दी गई है।

नकदी प्रवाहों का संशोधन

जब किसी वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदात्मक नकदी प्रवाह परिवर्तित या अन्यथा संशोधित किए जाते हैं, और परिवर्तन या संशोधन से उक्त वित्तीय परिसंपत्तियों के अमान्यकरण में कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि की पुनरुग्णना करता है और लाभ या हानि में संशोधित लाभ या हानि की पहचान करता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि की, पुनर्निर्धारित या संशोधित संविदात्मक नकदी प्रवाहों की वर्तमान मूल्य के रूप में पुनरुग्णना की जाएगी, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल प्रभावी व्याज दर पर छट प्रदान करती है। खर्च हुई लागतें या शुल्क संशोधित वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि को समायोजित करते हैं और उनको संशोधित वित्तीय परिसंपत्तियों की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियों में, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों शामिल हैं जो या तो परिशोधित लागत वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं या वे ट्रेडिंग हेतु रखे गए इकिवटी इंस्ट्रूमेंट हैं अथवा जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और उन्हें प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में नामोदिष्ट किया गया है। सभी व्युपन्न वित्तीय इंस्ट्रूमेंट भी इस श्रेणी में आते हैं, नामोदिष्ट एवं हेतिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रभावी को छोड़कर, जिनके लिए हेज लेखांकन अपेक्षाएं लागू हो सकती हैं। इस श्रेणी में परिसंपत्तियों को, लाभ या हानि में मान्यताकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को, सक्रिय बाजार लेनदेन के संदर्भ में या कोई सक्रिय बाजार न होने की स्थिति में मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

एफवीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियों में उचित मूल्य पर मापे गए इकिवटी इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं। एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत एक इकिवटी निवेश को प्रारंभ में उचित मूल्य एवं लेनदेन लागतों पर मापा जाता है। लाभ एवं हानियों को, अन्य व्यापक आय और इकिवटी के तहत एफवीओसीआई आरक्षित के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि में मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें लाभांश आय, जिसकी पहचान लाभ या हानि में की गई है, शामिल नहीं है। ओसीआई से लाभ एवं हानि के विवरण, यहां तक कि निवेश के अमान्यकरण से भी ऐसे लाभों और हानियों का कोई पुनर्चक्रण नहीं है। हालांकि, समूह इकिवटी के अंतर्गत उक्त का हस्तांतरण कर सकता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

नियम एवं शर्तों के पर्याप्त संशोधन के कारण वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्तियों को अमान्य करता है, जैसे कि ग्राहक को ऋण देना, जब नियम एवं शर्तों को इस सीमा तक पुनर्निर्धारित किया जाता है कि, काफी हद तक, यह एक नया ऋण बन जाता है, और अंतर की एक अमान्यकरण लाभ या हानि के रूप में पहचान करना, जिसमें एक सीमा तक कि किसी क्षतिपूर्ण हानि को पूर्व में दर्ज नहीं किया गया है।

पर्याप्त संशोधन के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

वित्तीय परिसंपत्तियों (या जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्तियों का एक अंश या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का अंश) को, वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह की प्राप्ति का संविदात्मक अधिकार समाप्त होने पर, या वित्तीय परिसंपत्तियों एवं पर्याप्त रूप से सभी जोखिम और पुरस्कार अंतरित किए जाने पर, अमान्यकृत किया जाता है (अर्थात् समूह के तुलना-पत्र से हटा दिया जाता है)। समूह वित्तीय परिसंपत्तियों को भी अमान्यकृत कर देता है, यदि उसने दोनों वित्तीय परिसंपत्तियों को हस्तांतरित और अमान्यकरण के लिए अंतरण अर्हता प्राप्त कर ली हो।

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी व्याज पद्धति के उपयोग द्वारा ऋण-परिशोधन लागत पर मापा जाता है, इसमें ट्रेडिंग या एफवीटीपीएल में नामेदिष्ट के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल नहीं हैं, जिन्हें लाभ या हानि में मान्यकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर बाद में ले जाया जाता है।

वित्तीय देयताओं का अमान्यकरण

एक वित्तीय देयता को तब अमान्यकृत कर दिया जाता है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से मूलतः भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनियम या संशोधन को मूल देयता के अमान्यकरण और नई देयता की मान्यता के रूप में विचारा जाता है। संबंधित वहन राशि में हुए अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

हेज लेखांकन

हेज लेखांकन के लिए अर्हक होने हेतु हेजिंग के संबंध में निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है:

- हेज की गई मद और हेजिंग लिखत के बीच कोई आर्थिक संबंध है।
- क्रेडिट जोखिम का प्रभाव ऐसे मूल्य परिवर्तनों पर वर्चस्व कायम नहीं करता है, जो उस आर्थिक संबंध के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।
- हेजिंग संबंध का हेज अनुपात ठीक वैसा ही है, जैसे कि हेज किए गए मद की मात्रा से उत्पन्न होता है, जितनी कंपनी वास्तविक रूप से हेज करती है और उस हेजिंग लिखत की मात्रा से उत्पन्न होता है, जिसका प्रयोग कंपनी वास्तविक रूप से हेज किए गए मद की उस मात्रा को हेज करने के लिए करती है।

हेज लेखांकन के अंतर्गत निर्धारित सभी व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर बाद में रिपोर्ट की जाती है। उस सीमा तक जहां तक हेज प्रभावी है, नगदी प्रभाव हेज में हेजिंग लिखतों के रूप में निर्धारित व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य वृहद आय शीर्ष के अंतर्गत दी जाती है और इकिवटी में नगदी प्रवाह हेज रिजर्व में इसे शामिल किया जाता है। हेज संबंध में किसी भी अप्रभावशीलता को तत्काल लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है।

जब हेज किया गया मद लाभ अथवा हानि को प्रभावित करता है तो उस समय अन्य वृहद आय में पहले मान्यता प्राप्त किसी लाभ अथवा हानि को इकिवटी से लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है और अन्य वृहद आय में एक पुनः वर्गीकृत समायोजन के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है।

प्रत्येक हेजिंग संबंध की स्थापना के समय में कंपनी हेज संबंधों को कंपनी के जोखिम प्रबंधन लक्ष्य और रणीनियतों के अनुसार औपचारिक रूप से निर्धारित और प्रलेखित करती है। इस प्रलेखन में हेज की गई मद की पहचान, हेजिंग लिखत, हेज किए जा रहे जोखिम (जोखिमों) की प्रकृति, हेज अनुपात और हेजिंग संबंध किस प्रकार से हेजिंग प्रभावशीलता की अपेक्षाओं को पूरा करता है, शामिल हैं।

3.13 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

ऋण परिसंपत्तियों

कंपनी निम्न प्रकार से प्रारम्भिक मान्यता से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर क्षति के लिए 'त्रि-स्तरीय' मॉडल का अनुसरण करता है:

- स्तर-1 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारम्भिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या जिनकी रिपोर्टिंग तिथि में कम क्रेडिट जोखिम है।
- स्तर-2 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारम्भिक मान्यता से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें क्षति के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।
- स्तर-3 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें रिपोर्टिंग तिथि में क्षति के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को चरण-1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12-माह ईसीएल और चरण-2 के लिए लाईफटाइम ईसीएल और चरण-3 ऋण परिसंपत्तियों में मापा जाता है। ईसीएल डिफॉल्ट की संभावना, डिफॉल्ट पर एक्सपोजर और डिफॉल्ट के कारण हानि (लॉस गिवन डिफॉल्ट) का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

डिफॉल्ट की संभावना (पीडी) – डिफॉल्ट की संभावना एक उधारकर्ता के अपने वित्तीय दायित्व, चाहे अगले 12 महीनों (12 महीने पीडी) से अधिक हो, या दायित्व के शेष उपयोग-काल (लाईफटाइम पीडी), पर डिफॉल्ट होने की संभावना को निरूपित करती है।

लॉस गिवन डिफॉल्ट (एलजीडी) – एलजीडी कंपनी की ऐसी स्वभाविक हानि अपेक्षा का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपने आप वाई डिफॉल्ट उत्पन्न होती है। एलजीडी को प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और यह राशि के उस बात को दर्शाता है जो किसी चूक के मामले में वसूलियों के बाद वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा।

एक्सपोजर एट डिफॉल्ट (ईएडी) – ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, संचित ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कंफर्ट शामिल होते हैं, जिसकी कंपनी को चूक के समय प्राप्त होने की उम्मीद होती है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

दूरदेशी (फारवर्ड लुकिंग) आर्थिक जानकारी को 12 महीने एवं लाईफटाइम पीडी, और एलजीडी के निर्धारण में शामिल किया जाता है। प्रत्याशित क्रेडिट हानि के मुख्य पूर्वानुमानों की निगरानी और समीक्षा सतत आधार पर की जाती है।

ऋण के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियां

अपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, समूह यह आकलन करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से उन वित्तीय परिसंपत्तियों पर ऋण जोखिम पर्याप्त रूप से बढ़ गया है। यदि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है, तो समूह 12-महीने की प्रत्याशित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर, अथवा लाईफटाइम क्रेडिट हानियों के समतुल्य राशि पर नुकसान भर्ते को मापता है।

उक्त मूल्यांकन करने के लिए, समूह वित्तीय परिसंपत्तियों पर होने वाले डिफॉल्ट के जोखिम की तुलना, प्रारंभिक मान्यता की तारीख को वित्तीय परिसंपत्तियों पर डिफॉल्ट रूप से घटित होने वाले जोखिम के साथ तुलन-पत्र की तिथि से करता है। समूह उचित और सहायक जानकारी पर भी विचार करता है, जो अदेय लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध है, और जो प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की सूचक है। समूह मानता है कि वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के उपरांत पर्याप्त रूप से बढ़ा नहीं है यदि वित्तीय परिसंपत्तियों तुलन-पत्र की तारीख को निम्न क्रेडिट जोखिम का निर्धारण करती है।

बहु खाते डालना

वित्तीय परिसंपत्तियों को आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से बहु खाते में तब डाला जाता है जब समूह ने वसूली करना बंद कर दिया हो।

3.14 बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियोंयां / निपटान समूह

यदि परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली उनके निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री लेनदेन के माध्यम से मुख्य रूप से की जाएगी और यह माना जाता है कि उनकी बिक्री की प्रबल संभावना है, तो परिसंपत्तियों का वर्गीकरण बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में किया जाता है। आस्थगित कर, कर्मचारी लाभ से उत्पन्न परिसंपत्तियों, वित्तीय परिसंपत्तियों और बीमा संविदा के तहत संविदात्मक अधिकारों जैसी परिसंपत्तियों, जिन्हें विशेष रूप से इस आवश्यकता से छूट दी गई है, को छोड़कर उन्हें बेचने की लागत को घटाकर उनकी वहन राशि पर या उचित मूल्य पर मापा जाता है।

गैर-चालू परिसंपत्तियोंयों का मूल्यांकन या परिशोधन तब नहीं किया जाता है, जब उन्हें बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियों तुलन पत्र में अन्य परिसंपत्तियों से इतर अलग से दर्शाई जाती हैं।

जहां समूह किसी इकाई के नियंत्रण के नुकसान से युक्त बिक्री योजना के लिए प्रतिबद्ध है, तो वह निकाय में निवेश (अर्थात उस निकाय की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों) को बिक्री के रखी गई परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत करता है।

3.15 नकद और नकदी समतुल्य

नकद और नकदी समतुल्य में नकद रूपया एवं मांग जमा, अन्य अल्पावधि सहित, अत्यधिक लिकिवड निवेश (तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता), जो नकदी की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के निर्धारक जोखिम के अधीन हैं, शामिल हैं।

3.16 लाभांश

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभांशों और अंतरिम लाभांशों को उस अवधि, जिसमें उन्हें क्रमशः शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, के दौरान इकिवटी में हुए परिवर्तनों के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.17 महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियां

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को प्रस्तुत पूर्व अवधियों, जिसमें त्रुटि हुई है, के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनः प्रस्तुत करने के द्वारा पूर्वव्यापी ढंग में सही किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत पूर्व की अवधि से पहले हुई है तो, पूर्व अवधि के लिए प्रस्तुत परिसंपत्तियों के प्रारंभिक शेष, देनदारियों और इकिवटी को पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

3.18 पूर्वदत्त व्यय

1,00,000/- रुपए तक के पूर्वदत्त व्यय को प्रारंभिक मान्यता पर व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

3.19 कराधान

लाभ या हानि में मान्यकृत कर व्यय में आस्थगित कर और चालू कर का योग शामिल है। इसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है, सिवाय इसके कि जब यह एक ऐसी मद से संबंधित हो, जिसे ओसीआई में या इकिवटी में सीधे मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे मामले में, कर को ओसीआई में या इकिवटी में सीधे भी मान्यता प्रदान की जाती है।

चालू कर को, अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित और रिपोर्टिंग तिथि को यथा लागू कर की दरों का उपयोग करते हुए, तथा पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के समायोजनों को देखते हुए, वर्ष के लिए कर योग्य आय के संबंध में देय कर के रूप में निर्धारित किया जाता है।

आस्थगित कर को, वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य आय की गणना में प्रयुक्त तदनुरूपी कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की गणना, छूट के बिना, उन कर दरों पर की जाती है, जिनके संबंधित अवधि की प्राप्ति के लिए लागू होने की प्रत्याशा होती है, बशर्ते कि उन दरों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित किया जाए। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों ऑफसेट होती है यदि चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

आस्थगित कर देयता, सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यकृत है। एक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यकृत किया जाता है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके समक्ष कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उनको इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं है कि संबंधित कर लाभ की प्राप्ति होगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों या देनदारियों में परिवर्तनों को मान्यता लाभ या हानि में कर आय या व्यय के एक घटक के रूप में दी जाती है, सिवाय इसके कि वे उन मदों से संबंधित हैं जिन्हें अन्य व्यापक आय में या सीधे इकिवटी में ऐसे मामले में मान्यता दी जाती है, जिनमें संबंधित आस्थगित कर को भी मान्यता क्रमशः अन्य व्यापक आय या इकिवटी में दी जाती है।

लाभांश वितरण कर को उसी समय मान्यता दी जाती है जब लाभांश के भुगतान की देयता को मान्यता दी जाती है।

3.20 कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभों में, वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्थात् प्रदत्त वार्षिक अवकाश) जहां ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के अंतर्गत अनुपस्थितियों का घटित होना प्रत्याशित है, और ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के तहत देय लाभ सभागिता एवं बोनस तथा वर्तमान कर्मचारियों के लिए गैर-वित्तीय लाभ प्रत्याशित हैं और उन्हें बिना छूट देने के आधार पर मापा जाता है, शामिल हैं।

रोजगार पर्यन्त हितलाभ योजनाओं को निम्नानुसार परिभाषित हितलाभ योजनाओं और परिभाषित अंशदान योजनाओं में वर्गीकृत किया गया है:

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना वह योजना है जिसके तहत समूह एक अलग निधि में कर्मचारियों के संबंध में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। समूह पर ऐसी कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता नहीं है कि वह अपने निर्धारित अंशदान के भुगतान के उपरांत कोई और अंशदान का भुगतान करे। परिभाषित अंशदान योजनाओं के समक्ष समूह द्वारा किए गए अंशदान को उस अवधि के लाभ या हानि से प्रभारित किया जाता है, जिससे अंशदान संबंधित हैं।

परिभाषित हितलाभ योजना

समूह के पास उपदान, सेवानिवृत्ति पर्यन्त चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) और अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी) के प्रति दायित्व हैं। जिन्हें पात्र कर्मचारियों को शार्मिल करने वाली परिभाषित हितलाभ योजना के रूप में विचारा जा रहा है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के तहत, एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि को, कर्मचारी के सेवाकाल, अंतिम वेतन और अन्य निश्चित मापदंडों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व समूह का ही रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना के वित्तपोषण के लिए योजना परिसंपत्तियों को अलग किया गया हों।

परिभाषित हितलाभ योजनाओं के प्रति समूह के दायित्व को परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यकृत दायित्व, रिपोर्टिंग तिथि पर निर्धारित हितलाभ लाभ (डीबीओ) का वर्तमान मूल्य है, जो योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य का कम है। प्रबंधन स्वतंत्र बीमांककों की सहायता से प्रतिवर्ष डीबीओ का अनुमान लगाता है।

देयता/परिसंपत्तियों के पुनःमापन के फलस्वरूप बीमांकिक लाभ/हानियां अन्य व्यापक आय में शामिल हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ:

तुलन-पत्र की तारीख के उपरांत एक-वर्ष से अधिक समय के लिए प्राप्त किए जाने वाले देय या प्रत्याशित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों के संबंध में देयता का अनुमान परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है।

पिछले अनुभव और बीमांकक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानियों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है, जिसमें ऐसे लाभों और हानियों को निर्धारित किया गया है।

कर्मचारियों को रियायती दर पर ऋण

रियायती दर पर कर्मचारियों को दिए गए ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और तत्पश्चात उसे परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऐसे ऋणों के प्रारंभिक उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच अंतर को आस्थगित कर्मचारी लागत के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि से परे सीधी-रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि में परिवर्तन के मामले में, परिवर्तन

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

की तिथि को अपरिशोधित आस्थगित कर्मचारी की लागत को संभावित आधार पर ऋण की अद्यतन प्रत्याशित शेष अवधि से अधिक पर परिशोधित किया जाता है।

3.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं, और आकस्मिक परिसंपत्तियां

समूह के पास किसी पिछले वृत्तांत के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होने पर प्रावधानों को मान्यता दी जाती है यह संभव है कि समूह से आर्थिक संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और धनराशि का अनुमान विश्वसनीय तौर पर लगाया जा सकता है। बहिर्वाह का समय या राशि अभी भी अनिश्चित हो सकती है। वर्तमान दायित्व के साथ जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं सहित, रिपोर्टिंग तिथि को उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर, प्रावधानों को वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित अनुमानित खर्च पर मापा जाता है। प्रावधानों में उनके वर्तमान मूल्यों, जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण है।

निम्न हेतु आकस्मिक देयता को अनावृत किया गया है:

- संभावित दायित्व जिनकी पुष्टि केवल भावी घटनाओं द्वारा की जाएगी, समूह के पूर्णतया नियंत्रण में नहीं हैं या
- अतीत की घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जहां यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसे मामलों में, जहां वर्तमान दायित्वों के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह असंभव या दूरस्थ माना जाता है, वहां किसी दायित्व को मान्यकृत या प्रकट नहीं किया जाता है।

ऐसी किसी प्रतिपूर्ति को, जिसे दायित्व (जैसे कि बीमा से) से संबंधित तीसरे पक्ष से एकत्र करने के लिए समूह को लगभग निर्धारित किया जा सकता है, एक पृथक परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि, यह परिसंपत्तियों संबंधित प्रावधान की राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आर्थिक हितलाभों के अंतर्वाह की संभावना पर, संबंधित परिसंपत्तियों को प्रकट किया जाता है।

3.22 उचित मूल्य मापन

समूह वित्तीय इंस्ट्रूमेंट, अर्थात् प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में उचित मूल्य पर व्युत्पन्नों को मापता है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्तियों को बेचने पर प्राप्त की जाएगी या जिसका भुगतान मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को अंतरित करने के लिए किया जाएगा। उचित मूल्य मापन ऐसे पूर्वानुमान पर आधारित है जो परिसंपत्तियों को बेचने या निम्न हेतु देयता को अंतरित करने के संबंध में लेनदेन में होता है:

- परिसंपत्तियों या देयता के लिए मुख्य बाजार में, या
- मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्तियों या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में।

समूह द्वारा मुख्य या सबसे लाभप्रद बाजार में अभिगम्य होना चाहिए।

किसी परिसंपत्तियों या देयता के उचित मूल्य को उन पूर्वानुमानों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें बाजार भागीदार परिसंपत्तियों या देयता, जिसमें जोखिम के बारे में धारणाएं शामिल होती हैं, का मूल्य निर्धारण करने के समय उपयोग करते हैं, और यह मानते हैं कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य मापन में एक बाजार प्रतिभागी की परिसंपत्तियों को ध्यान में रखकर किया जाता है ताकि परिसंपत्तियों को उसके उच्चतम और श्रेष्ठतम उपयोग में अथवा उसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी, जो इस परिसंपत्तियों का उपयोग इसके उच्चतम एवं श्रेष्ठ समय में करेगा, को बेचने के द्वारा आर्थिक लाभ सृजित किया जा सके।

समूह ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, जिसमें प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुटों के उपयोग को अधिकतम और अप्रचलित इनपुटों के उपयोग को कम किया जाता है।

सभी परिसंपत्तियां और देयताएं जिनके लिए समेकित वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया है, जो निम्न स्तरीय इनपुट पर आधारित है, और जो संपूर्ण रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण हैं:

- स्तर 1 – समरूपी परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीकों जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विचार योग्य है।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, अविचारणीय है।

समेकित वित्तीय विवरणों में नियमित रूप से मान्यकृत परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए, समूह यह निर्धारित करता है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण पुनर्मूल्यांकन (न्यूनतम स्तर इनपुट के आधार पर, जो संपूर्ण मूल्य के लिए महत्वपूर्ण है) द्वारा अनुक्रम में स्तरों के बीच अंतरण हुए हैं।

3.23 वित्तीय लिखतों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का वर्तमान में प्रवर्तन योग्य कानूनी अधिकार प्राप्त होता है और परिसंपत्तियोंयों को मूर्त रूप देने तथा बाद में देयताओं का निराकरण करने के लिए निबल आधार पर उनका समाधान करने का कोई इरादा होता है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को ऑफसेट किया जाता है और निबल राशि तुलनपत्र में रिपोर्ट की जाती है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

4. नए / संशोधित मानकों का कार्यान्वयन

116 के रूप में इंडस्ट्रीज – पट्टों

इंड एएस 116 इंड एएस 17 और संबंधित व्याख्याओं का अधिक्रमण करता है। इस मानक में मान्यता, मापन, प्रस्तुति और पट्टों के प्रकटीकरण के लिए सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। इंड एएस 116 एक एकल पट्टेदार लेखांकन मॉडल प्रस्तावित करता है और इसके तहत किसी पट्टेदार को 12 महीने से अधिक की अवधि वाले सभी पट्टों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब तक मान्यता देने की आवश्यकता होती है, जब तक कि अंतर्निहित परिसंपत्तियों का मूल्य कम न हो। इस मानक में पट्टेदारों के लिए संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताएँ भी शामिल हैं।

प्रारंभिक रूप से लागू होने की तारीख 01 अप्रैल 2019 होने के नाते समूह ने संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए और संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का उपयोग करके इंड एएस 116 को अपनाया, जहां राइट-टू-यूज परिसंपत्तियों को पट्टा देयता के बराबर मापा जाता है, जिसे किसी भी प्रीप्रेड राशि अथवा परिवर्तन की तारीख को मौजूदा उपार्जित पट्टा भुगतानों की राशि से समायोजित किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए नोट 51 देखें।

इंड एएस 116 को अपनाए जाने से पहले की अवधि के लिए समूह ने निर्णय को लागू करते हुए एक पट्टे को वित्तीय पट्टा या प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया और वह इस बात का मूल्यांकन करता है कि क्या यह पट्टा परिसम्पत्ति के स्वामित्व से आकस्मिक रूप से जुड़े सभी जोखिमों और पुरस्कारों को स्थानांतरित करता है। किसी संबंधित वित्तीय पट्टा बाध्यता के साथ परिसंपत्तियों की मान्यता के परिणामस्वरूप किसी पट्टे को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रचालनरत पट्टों के मामले में किराए के भुगतानों को भुगतान के वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता दी गई।

इंड एएस 12 – परिशिष्ट ग, आयकर के विचारण पर अनिश्चितता:

परिशिष्ट के अनुसार कर योग्य लाभ (या हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों का निर्धारण करते समय परिशिष्ट को तब लागू किया जाना चाहिए, जब इंड एएस 12 के तहत आयकर विचारण पर अनिश्चितता होती है। परिशिष्ट के अनुसार कंपनियों को प्रत्येक कर उपचार, या कर उपचार के समूह को स्वीकार करने वाले प्रासंगिक कर प्राधिकार की संभावना निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, जो कि कंपनियों ने अपने आयकर दाखिल में प्रयोग किया है या प्रयोग करने की योजना बनाई है, जिसके लिए यह माना जाना चाहिए कि इससे कर योग्य लाभ (कर हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों का निर्धारण करते समय कर उपचार के अपेक्षित मूल्य या सबसे अधिक सभावित राशि की गणना हो पाएगी।

परिशिष्ट ग और इंड एएस 12 को अपनाने पर समूह ने विचार किया कि क्या इससे कोई अनिश्चित कर स्थिति उत्पन्न होती है। समूह ने अपने कर अनुपालन के आधार पर निर्धारित किया कि इस बात की संभावना है कि इसके कर उपचारों को कराधान प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। समूह के समेकित वित्तीय विवरणों पर परिशिष्ट का कोई प्रभाव नहीं था।

इंड एएस 12 – आयकर में संशोधन

इंड एएस 12 'आय कर' के मार्गदर्शन में किए गए संशोधन लाभांश वितरण करों के लिए लेखांकन से संबंधित हैं। संशोधन में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी निकाय लाभांश के परिणामस्वरूप आयकर को मान्यता लाभ अथवा हानि, अन्य वृहद आय या इक्विटी में उसी प्रकार देंगी, जहां निकाय में उन पिछले लेन – देनों अथवा घटनाओं को मूल रूप से मान्यता दी थी।

चूंकि कंपनी की चालू प्रक्रिया इन संशोधनों के अनुरूप है, अतः कंपनी के वित्तीय विवरणों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

इंड एएस 19 – संशोधन, कमी अथवा निराकरण की योजना में संशोधन

इंड एएस 19, 'कर्मचारी लाभ' में संशोधन लेखांकन के संबंध में संशोधन, कमी अथवा निराकरण की योजना से संबंधित हैं, जिसके अंतर्गत किसी निकाय को चालू सेवा लागत निर्धारित करने और किसी योजनाबद्ध संशोधन, कमी अथवा निराकरण के बाद शेष बची अवधि के लिए निबल व्याज का निर्धारण करने के लिए अद्यतन अनुमानों का प्रयोग करना आवश्यक है; और पिछली सेवा लागत के भाग के रूप में लाभ अथवा हानि, या निराकरण पर किसी लाभ अथवा हानि में, किसी अधिशेष में किसी कमी को मान्यता देने की आवश्यकता है, भले ही उस अधिशेष को परिसंपत्तियों सीमा के प्रभाव के कारण पहले मान्यता नहीं दी गई थी।

इन संशोधनों का कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था क्योंकि वर्ष के दौरान इसमें कोई योजनाबद्ध संशोधन, कमी अथवा निराकरण निहित नहीं था।

4.1 हेज लेखांकन को अपनाना

कंपनी ने इंड एएस 109 में हेज लेखांकन आवश्यकताओं को सभावित रूप से 01 जनवरी 2020 से लागू किया है, जिसमें कुछ व्युत्पन्न संविदाओं को 'नकदी प्रवाह हेज' संबंधों में हेजिंग लिखतों के रूप में निर्धारित किया गया है। ये व्यवस्थाएं विदेशी मुद्रा विनियम जोखिम और विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित कुछ ऋण लिखतों से उत्पन्न होने वाले व्याज दर जोखिम के उन्मूलन के लिए की गई हैं।

4.2 जारी किए गए परंतु अभी तक प्रभावी नहीं मानक

एमसीए द्वारा ऐसे कोई नए संशोधन जारी नहीं किए गए हैं, जो 01अप्रैल 2020 की अवधि से प्रभावी हैं।

5. लेखांकन नीतियों और अनिश्चितता के आकलन को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, आकलन करने और ऐसे पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्टकृत राशियों और संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से अलग हो सकते हैं।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयता को मान्यता – वह सीमा, जिस हद तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी जा सकती है, यह भविष्य की कर योग्य आय की सम्भावना के आकलन पर आधारित है, जिसके विरुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों का सदुपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रबंधन का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत बनाए गए और अनुरक्षित विशेष रिजर्व से निकासी करने का कोई इरादा नहीं है और इस प्रकार, बनाए गए और रखे गए विशेष रिजर्व प्रत्यावर्तित होने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए, समूह उक्त रिजर्व पर किसी भी तरह की कर देयता सृजित नहीं करता है।

समूह की कंपनियों के अवितरित रिजर्व पर आस्थगित कर देयता की मान्यता – वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों के लिए घोषित लाभांश की सीमा तक इक्विटी निवेशों से लाभांश आय के संबंध में लागू कर कानूनों में प्रावधान उपलब्ध कराए जाते हैं। कंपनी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और लाभांश वितरण नीति को ध्यान में रखते हुए कंपनी समूह की कंपनियों के अवितरित रिजर्व पर कोई कर देयता की उम्मीद तब नहीं करती है जब इस तरह के रिजर्व वितरित कर दिए जाते हैं। इसलिए, कंपनी समूह कंपनियों के अवितरित रिजर्व पर कोई आस्थगित कर देयता नहीं बनाती है।

परिसंपत्तियों की क्षति के लिए संकेतकों का मूल्यांकन – परिसंपत्तियों की क्षति के संकेतकों की प्रयोज्यता का मूल्यांकन करने के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का मूल्यांकन करने की आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूलनीय राशि में गिरावट हो सकती है। एसपीवी में निवेश – पारेषण परियोजनाओं को भारत सरकार से आदेश के अनुसार प्रबंधित किया जाता है और समूह के पास इन परियोजनाओं की प्रासंगिक गतिविधियों को एकत्रफा रूप से निर्देशित करने की व्यावहारिक क्षमता उपलब्ध नहीं है। इसलिए समूह संबंधित एसपीवी में अपने निवेश को महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले सहयोगी प्रतिष्ठानों के रूप में मानता है, जबकि उनकी पदत्ति इक्विटी शेयर पूँजी में कंपनी की शेयरधारिता 100% होती है।

क्रेडिट प्रभावित ऋणों पर व्याज आय की गैर-मान्यता – क्रेडिट-प्रभावित ऋण परिसंपत्तियों पर व्याज आय को, विवेकपूर्ण विषय, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधानों के लंबित परिणाम के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है।

महत्वपूर्ण आकलन

कोविड-19 महामारी के प्रकोप का प्रभाव – कोविड 19 महामारी कंपनी के प्रचालन को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भावी विकास पर निर्भर करेगा, जो कि अनिश्चित हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ कोविड 19 महामारी की गंभीरता से संबंधित कोई नई सूचना और सरकार अथवा कंपनी द्वारा इसके प्रसार को रोकने अथवा इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए कोई आगामी कार्रवाई शामिल हैं।

मूल्यव्यापास/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि – प्रबंधन परिसंपत्तियों की प्रत्याशित उपयोगिता के आधार पर, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यव्यापास/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि के संबंध में अपने आकलन की समीक्षा करता है। इन आकलनों में अनिश्चितता, तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित हैं जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को परिवर्तित कर सकती है।

परिभाषित हितलाभ दायित्व (डीबीओ) – डीबीओ के संबंध में प्रबंधन का आकलन कई अंतर्निहित पूर्वानुमानों जैसे मुद्रास्फीति, मृत्यु दर, छूट की दर और भावी वेतन-वृद्धियों की प्रत्याशा पर आधारित है। इन पूर्वानुमानों में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक सुनिश्चित हितलाभ व्ययों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

उचित मूल्य मापन – वित्तीय इंस्ट्रूमेंटों के उचित मूल्य (जहां सक्रिय बाजार की भाव-दरें उपलब्ध नहीं हैं) निर्धारित करने के लिए प्रबंधन मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है। इसमें ऐसे विकासशील आकलन और पूर्वानुमान शामिल हैं, जो बाजार भागीदारों इंस्ट्रूमेंट की कीमत तय करने के अनुरूप होंगे। किसी परिसंपत्तियों या देयता के उचित मूल्य का आकलन करने में, समूह बाजार-अवलोकनीय डेटा का उपयोग उसके उपलब्ध होने की सीमा तक करता है। बाजार-अवलोकनीय डेटा की अनुपलब्धता के मामले में, उचित मूल्यांकन के लिए स्तर 2 और स्तर 3 पदानुक्रम का उपयोग किया जाता है।

आयकर – आयकरों के प्रावधान को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण आकलन शामिल हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान की जाने वाली राशिधावसूल की जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्तियों का आकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता भी शामिल है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) – परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि भत्ते के मापन में जटिल मॉडल और भावी आर्थिक स्थितियों एवं क्रेडिट व्यवहार (अर्थात् डिफॉल्ट रूप से ग्राहकों की संभावना और परिणामी नुकसान) के बारे में महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों की आवश्यकता होती है। ईसीएल का आकलन करने के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का मूल्यांकन करते हुए समूह निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है:

- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मापदंड का निर्धारण;
- प्रत्येक प्रकार के उत्पाद/बाजार और संबद्ध ईसीएल के लिए दूरंदेशी परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष भार की स्थापना करना; तथा
- ईसीएल को मापने के लिए समरूपी वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों की स्थापना करना;
- डिफॉल्ट की संभाव्यता और डिफॉल्ट फलस्वरूप हानि का आकलन करना (डिफॉल्ट के मामले में वसूलनीय राशि का आकलन करना)।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

6 नकद एवं नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार	31-03-19 के अनुसार
-बैंकों में शेष राशि	1,195.40	343.60
-कैश ऑन हैंड (पोस्टेज एवं अग्रदाय सहित)	0.06	0.01
	उप - जोड़	1,195.46
आवधिक जमा राशि एवं अन्य नकदी समतुल्य		
3 माह से कम की मूल परिपक्वता के साथ जमा	522.25	38.38
	उप - जोड़	522.25
जोड़ (नकद एवं नकदी समतुल्य)	1,717.71	381.99

7 अन्य बैंकों में शेष राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार	31-03-19 के अनुसार
-बैंकों में चिन्हित शेष		
-अप्रदत्त लाभांश के लिए	4.75	4.15
-अनुदान के रूप में आगे संवितरण के लिए सरकारी निधि के लिए	1,817.72	988.31
- चिन्हित आवधिक जमा राशि		
-इसके अतिरिक्त संवितरण हेतु सरकारी निधि के लिए	32.98	2.15
-न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जमा राशि	0.53	2.47
-प्रतिभूतियों के लंबित आवंटन हेतु उपयोग के लिए अनुपलब्ध बैंकों में शेष राशि	400.19	722.04
-अन्य आवधिक जमा राशि	1.28	13.96
जोड़ (अन्य बैंकों में शेष)	2,257.45	1,733.08

-3 माह से अधिक लेकिन 12 माह से कम की शेष परिपक्वता के साथ सावधि जमा	33.90	13.10
-12 माह से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा	-	-
-12 माह से अधिक के लिए मार्जिन राशि हेतु धारित सावधि जमा	0.37	0.86

7.1 31 मार्च 2020 के अनुसार (पिछले वर्ष शून्य) नकद और नकदी समतुल्य एवं अन्य बैंकों में शेष के संबंध में कोई रिपैट्रिएशन प्रतिबंध नहीं है क्योंकि प्रतिवेदन के वर्ष और पूर्व के वर्षों में प्रस्तुत कर दिए गए थे

8 ट्रेड प्राप्त

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार	31-03-19 के अनुसार
(क) प्रतिभूति, शोध्य समझे गए	87.92	117.03
घटाएँ : प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते	(13.66)	(9.75)
	74.26	107.28
(ख) ट्रेड प्राप्त जिनकी ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि है	52.01	34.89
घटाएँ : प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते	(15.55)	(4.45)
	36.46	30.44
(ग) क्रेडिट इंपेयर्ड प्राप्त	33.60	23.83
घटाएँ : प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते	(33.60)	(23.83)
	-	-
कुल ट्रेड प्राप्त (क+ख+ग)	110.72	137.72

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

9. व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों को कम करने (हेजिंग) के लिए व्युत्पन्न लिखतों (डेरिवेटिव) में प्रवेश करती है। जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए आयोजित किए गए डेरिवेटिव में ऐसे उपाय (हेजेज) शामिल होते हैं जिन्हें हेज लेखांकन आवश्यकताओं के तहत प्रभावी हेजेज के रूप में नामित किया जाता है या वे ऐसे हेजेज होते हैं, जो मितव्यवी हेजेज हैं। नीचे दी गई सारणी में उनकी आरंभिक राशियों के साथ परिसंपत्तियों या देनदारियों के रूप में रिकॉर्ड किए गए व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य दर्शाएं गए हैं।

व्युत्पन्नों के संबंध में जोखिम प्रबंधन प्रकटनों के लिए नोट 50 देखें।

भाग - I

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार			31-03-19 के अनुसार		
	कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i) मुद्रा व्युत्पन्न						
—स्पॉट एवं अग्रिम	565.39	27.62	-	518.78	-	10.26
—मुद्रा मुद्रा	3,094.32	432.94	-	5,701.69	419.05	0.41
—अन्य						
—कॉल स्प्रेड	6,068.56	504.12	-	3,839.01	129.43	-
—सीगुल विकल्प	22,321.22	2,212.46	-	14,306.98	1,093.63	18.57
उप — जोड़ (i)	32,049.49	3,177.14	-	24,366.46	1,642.11	29.24
(ii) ब्याज दर व्युत्पन्न						
—अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर विनिमय	29,056.52	141.71	586.06	21,436.70	160.47	130.16
उप जोड़ (ii)	29,056.52	141.71	586.06	21,436.70	160.47	130.16
(iii) अन्य व्युत्पन्न						
—रिवर्स क्रोस मुद्रा स्वैप	4,347.00	-	739.67	-	-	-
कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें (i + ii + iii)	65,453.01	3,318.85	1,325.73	45,803.16	1,802.58	159.40

भाग - II

भाग- I में शामिल डेरिवेटिव्स ऐसे हैं जो हेजिंग और जोखिम प्रबंधन के प्रयोजन से धारित हैं, जो इस प्रकार हैं: (4.1 टिप्पणी के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार			31-03-19 के अनुसार		
	कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i) मुद्रा व्युत्पन्न						
—मुद्रा स्वैप	8,638.68	2.32	303.14	-	-	-
—अन्य						
—कॉल स्प्रेड	1,884.65	97.16	-			
सीगुल विकल्प	11,348.70	1,662.20	-			
ब्याज दर व्युत्पन्न						
—अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर विनिमय	9,498.62	5.24	134.45	-	-	-
उप — जोड़ (i)	31,370.65	1,766.92	437.59	-	-	-
(ii) गैर- नामोदिष्ट व्युत्पन्न	34,082.36	1,551.93	888.14	45,803.16	1,802.58	159.40
कुल — व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	65,453.01	3,318.85	1,325.73	45,803.16	1,802.58	159.40

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रभावी नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखत के रूप में नामित व्युत्पन्न लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। गैर-नामित व्युत्पन्न लिखत के लिए उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

10. ऋण

कंपनी ने भारतीय— लेखांकन मानक 109 की अपेक्षाओं के अनुसार सभी ऋणों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार		31-03-19 के अनुसार	
	मूल ओ / एस	परिशोधित लागत	मूल ओ / एस	परिशोधित लागत
(क) ऋण				
(i) आवधिक ऋण	321,526.76	323,177.53	279,021.68	279,748.67
(ii) कार्यशील पूँजीगत ऋण	897.92	902.01	2,188.00	2,200.18
कुल (क)— निवल ऋण	322,424.68	324,079.54	281,209.68	281,948.85
घटाएँ: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(11,996.04)	(11,996.04)	(11,497.93)	(11,497.93)
कुल (क)— सकल ऋण	310,428.64	312,083.50	269,711.75	270,450.92
(ख) प्रतिभूति व्यौरा				
(i) मूर्ति परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	244,034.67	245,113.22	216,394.62	206,845.46
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	-	-	-	-
(iii) बैंक / सरकारी गारंटी के अंतर्गत	58,166.76	58,684.29	42,575.45	52,751.86
(iv) अप्रतिभूत	20,223.25	20,282.03	22,239.61	22,351.53
कुल (ख)— सकल ऋण	322,424.68	324,079.54	281,209.68	281,948.85
घटाएँ: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(11,996.04)	(11,996.04)	(11,497.93)	(11,497.93)
कुल(ख) — निवल ऋण	310,428.64	312,083.50	269,711.75	270,450.92
(ग) (I) भारत में ऋण				
(i) सार्वजनिक क्षेत्र	284,644.05	286,210.40	247,719.13	248,463.55
(ii) निजी क्षेत्र	37,780.63	37,869.14	33,490.55	33,485.30
कुल (ग) (I) — सकल ऋण	322,424.68	324,079.54	281,209.68	281,948.85
घटाएँ: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(11,996.04)	(11,996.04)	(11,497.93)	(11,497.93)
कुल (ग) (I) — निवल ऋण	310,428.64	312,083.50	269,711.75	270,450.92
(ग) (II) भारत से बाहर ऋण				
(i) सार्वजनिक क्षेत्र	-	-	-	-
(ii) निजी क्षेत्र	-	-	-	-
कुल (ग) (II) — सकल ऋण	-	-	-	-
घटाएँ: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	-	-	-	-
कुल (ग) (II) — निवल ऋण	-	-	-	-
कुल (ग) (I) एवं (ग) (II)	310,428.64	312,083.50	269,711.75	270,450.92

10.1 भारतीय—लेखांकन मानक के तहत सूचित किए गए आंकड़ों और ऋणों के संबंध में बकाया संविदा राशि के बीच सामंजस्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार	31-03-19 के अनुसार
निवल ऋण	312,083.50	270,450.92
घटाएँ : भारतीय— लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित व्याज और बकाया राशि	(1,351.75)	(445.05)
घटाएँ : भारतीय— लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित व्याज और बिन बकाया राशि	(382.63)	(341.01)
जोड़ : भारतीय— लेखांकन मानक के तहत बंद की गई संभावित ऋण हानि के लिए भत्ता	11,996.04	11,497.93
जोड़े प्रमाणी व्याज दर (ईआईआर) पर शुल्क आधारित आय के संबंध में भारतीय— लेखांकन मानक समायोजन	79.52	46.89
सकल ऋण	322,424.68	281,209.68

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

10.2 – ऋणों के संबंध में इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार	31-03-19 के अनुसार
प्रारम्भिक शेष	11,497.93	11,275.45
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रदान किया गया इंपेयरमेंट हानि भत्ते (37 के संदर्भ में)	876.52	222.48
घटाएँ : ऋणों के राइट ऑफ प्रयुक्त भत्ते	(378.41)	-
वर्ष समाप्ति पर	11,996.04	11,497.93

10.3 इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की कार्यवाही / वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) के तहत निपटान के संदर्भ में कंपनी ने ₹378.41 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की राशि के ऋणों को बढ़ेखाते में डाला है। चालू वर्ष के लिए राइट-ऑफ का विवरण निम्नानुसार है:

(क) माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), हैदराबाद बैंच द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2019 को लैंको तीस्ता हाइको पावर लिमिटेड के संबंध में पारित किए गए समाधान योजना के अनुमोदन के अनुक्रम में कंपनी ने आदेश के अनुसार इस तरह के इकिवटी शेयरों को निकाले जाने (एक्सटिंग्युशमेंट) पर ₹ 112.67 करोड़ (₹ 124.12 करोड़ की वसूलियों का निबल) की ऋण राशि और ₹ 102 करोड़ (प्रत्येक ₹ 10 के 10.20 करोड़ इकिवटी शेयर) के इकिवटी निवेश को बढ़ेखाते में डाल दिया है।

(ख) रतन इंडिया पावर लिमिटेड के संबंध में 23 दिसंबर 2019 को निष्पादित की गई एक बारी निपटान (ओटीएस) व्यवस्था के अनुसरण में कंपनी ने ₹ 478.09 करोड़ की वसूलियों (₹ 405.90 करोड़ की नकद राशि, ₹ 17.59 करोड़ के इकिवटी शेयर, ₹ 22.18 करोड़ के मोचन योग्य (रिडीमेबल) शेयर और ₹ 32.42 करोड़ के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संचयी मोचन योग्य (रिडीमेबल) वरीयता शेयर) का विनियोजन करने के बाद ₹ 265.74 करोड़ की राशि को बढ़ेखाते में डाला है। निपटान के तहत प्राप्त लिखतों को 'निवेश' शीर्ष के तहत वर्गीकृत किया गया है (नोट संख्या 11 देखें)।

10.4 कंपनी तुलन पत्र (बैलेंस शीट) की तारीख के अनुसार शेष राशि के लिए ऋणकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि के लिए उनसे जानकारी प्राप्त करती है। ऋणकर्ताओं से प्राप्त बकाया राशियों की पुष्टियों का सारांश निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार		31-03-19 के अनुसार	
	%	राशि	%	राशि
कंपनी के सकल ऋण बही		322,424.68		281,209.68
ऋण परिसम्पत्तियां जिनके लिए ऋणकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त हुई है।	88%	285,183.96	89%	249,046.78
ऋण परिसम्पत्तियां जिनके लिए ऋणकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त होना बाकी है।	12%	37,240.72	11%	32,162.90
जिसमें से				
मूर्त परिसंपत्तियों के प्रतिभूति ऋण	67%	25,015.01	72%	23,286.95
सरकारी गारंटी द्वारा बीमित ऋण/सरकार को दिए गए ऋण।	21%	7,685.39	25%	7,938.71
अप्रतिभूति ऋण	12%	4,540.32	3%	937.24

11. निवेश

(क) निवेश

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2020 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				कुल
		अन्य व्यापक आय का जरिए	हानि या लाभ के जरिए	हानि या लाभ के जरिए उचित मूल्य पर नामांदास्त	(5=2+3+4)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6=1+5)	(6=1+5)	
ऋण प्रतिभूतियां						
–इंडियन बैंक का 11.15% बेमियादी बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)	-	-	500.31	-	500.31	500.31
बैंक ऑफ बड़ौदा का 11.25% बेमियादी बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)	-	-	500.00	-	500.00	500.00
सिंडिकेट बैंक का 11.25% बेमियादी बॉण्ड' (प्रत्येक ₹ 0.10 करोड़ के 5,000 बॉण्ड्स)	-	-	500.31	-	500.31	500.31

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2020 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				कुल
		अन्य व्यापक आय का जरिए	हानि या लाभ के जरिए	हानि या लाभ के जरिए उचित मूल्य पर नामोदिष्ट	उप-जोड़	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हुडको) के 7.30% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 1,000 के 86,798 बॉण्ड)	8.81	-	-	-	-	8.81
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचएआई) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 1,000 के 42,855 बॉण्ड)	4.60	-	-	-	-	4.60
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचएआई) के 7.39% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 1,000 के 35,463 बॉण्ड)	3.67	-	-	-	-	3.67
इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (आईआरईडीए) के 7.49% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 1,000 के 61,308 बॉण्ड)	6.22	-	-	-	-	6.22
इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन (आईआरएफसी) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 1,000 के 22,338 बॉण्ड)	2.31	-	-	-	-	2.31
नेशनल बैंक फॉर एंप्रीकल्चर एंड रुरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (नाबाड़) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 1,000 के 14,028 बॉण्ड)	1.40	-	-	-	-	1.40
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हुडको) का 8.76% कर मुक्त 20 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 1,000 के 50,000 बॉण्ड)	5.09	-	-	-	-	5.09
उप-जोड़—ऋण प्रतिभूतियां	32.10	-	1,500.62	-	1,500.62	1,532.72
इकिवटी इन्स्ट्रुमेंट						
—एनएचपीसी लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 17,53,02,206 इकिवटी शेयर)	-	349.73	-	-	349.73	349.73
—इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 1 के 1,22,71,211 इकिवटी शेयर)	-	157.01	-	-	157.01	157.01
—हुडको लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 3,47,429 इकिवटी शेयर)	-	0.69	-	-	0.69	0.69
—यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 1,60,00,000 इकिवटी शेयर)	-	-	-	-	-	-
—रतन इंडिया पावर लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 9,25,68,105 इकिवटी शेयर)	-	-	12.50	-	12.50	12.50
उप-जोड़ — इकिवटी इन्स्ट्रुमेंट्स	-	507.43	12.50	-	519.93	519.93
प्रेफरेंस प्रतिभूतियों में निवेश						
—रतन इंडिया पावर लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 2,87,20,978 प्रेफरेंस शेयर विमोचनीय)	22.93	-	-	-	-	22.93
—रतन इंडिया पावर लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 4,33,03,616 विकल्पतः परिवर्तनीय संचयी विमोचनीय)	-	-	45.41	-	45.41	45.41
उप — जोड़ — प्रेफरेंस शेयर	22.93	-	45.41	-	45.41	68.34
अन्य						

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड में)

31 मार्च, 2020 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				कुल
		अन्य व्यापक आय का जरिए	हानि या लाभ के जरिए	हानि या लाभ के जरिए उचित मूल्य पर नामोदिष्ट	उप-जोड़	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)
- 'स्माल इज ब्यूटीफुल' निधि की यूनिट (प्रत्येक ₹ 10 के 61,52,200 यूनिटें)	-	6.12	-	-	6.12	6.12
उप-जोड़ - अन्य	-	6.12	-	-	6.12	6.12
(i) विदेशों में निवेश	-	-	-	-	-	-
(ii) भारत में निवेश	55.03	513.55	1,558.53	-	2,072.08	2,127.11
जोड़ (ख)	55.03	513.55	1,558.53	-	2,072.08	2,127.11
घटाएँ : इंपेयरमेंट हानि के लिए भत्ते (ग)	-	-	-	-	-	-
जोड़ - निवल (घ = क-ग)	55.03	513.55	1,558.53	-	2,072.08	2,127.11

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समामेलन के संबंध में टिप्पणी 21.2 (ii) देखें

(₹ करोड में)

31 मार्च, 2019 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				कुल	
		अन्य व्यापक आय के जरिए	लाभ और हानि के जरिए	हानि या लाभ के जरिए उचित मूल्य पर नामोदिष्ट	उप-जोड़		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6=1+5)
सरकारी प्रतिभूतियां						-	-
-मध्य प्रदेश सरकार के पावर बॉण्ड -II (प्रत्येक ₹ 47.16 करोड के 1 बॉण्ड)	47.16	-	-	-	-	47.16	
उप-जोड़ - सरकारी प्रतिभूतियां	47.16	-	-	-	-	47.16	
ऋण प्रतिभूतियां							
-इंडियन बैंक के बेमियादी बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 0.10 करोड के 5,000 बॉण्ड्स)	-	-	500.31	-	500.31	500.31	
बैंक ऑफ बड़ौदा के 11.25% बेमियादी बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 0.10 करोड के 5,000 बॉण्ड्स)	-	-	556.25	-	556.25	556.25	
-सिंडिकेट बैंक के बेमियादी बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 0.10 करोड के 5,000 बॉण्ड्स)	-	-	500.31	-	500.31	500.31	
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हुडको) के 7.39% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 1,000 के 86,798 बॉण्ड)	8.81	-	-	-	-	8.81	
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचएआई) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 1,000 के 42,855 बॉण्ड)	4.60	-	-	-	-	4.60	
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचएआई) के 7.39% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 1,000 के 35,463 बॉण्ड)	3.68	-	-	-	-	3.68	
इंडियन रिस्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (आईआरईडीए) के 7.49% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 1,000 के 61,308 बॉण्ड)	6.22	-	-	-	-	6.22	

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2019 के अनुसार	परिशोधित लागत	उचित मूल्य के अनुसार				कुल
		अन्य व्यापक आय के जरिए	लाभ और हानि के जरिए	हानि या लाभ के जरिए उचित मूल्य पर नामोदिष्ट	उप-जोड़	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6=1+5)
इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन (आईआरएफसी) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 1,000 के 22,338 बॉण्ड)	2.31	-	-	-	-	2.31
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रुरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (नाबाड़) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 1,000 के 14,028 बॉण्ड)	1.40	-	-	-	-	1.40
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हुड़को) के 8.76% कर मुक्त 20 वर्षीय प्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तित बॉण्ड (प्रत्येक ₹ 1,000 के 50,000 बॉण्ड)	5.09	-	-	-	-	5.09
उप-जोड़ ऋण प्रतिभूतियां	32.11	-	1,556.87	-	1,556.87	1,588.98
इकिवटी इन्स्ट्रुमेंट						
—एनएचपीसी लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 18,40,11,865 इकिवटी शेयर)	-	433.00	-	-	433.00	433.00
—इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 1 के 1,25,00,000 इकिवटी शेयर)	-	206.25	-	-	206.25	206.25
—हुड़को लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 3,47,429 इकिवटी शेयर)	-	1.56	-	-	1.56	1.56
—यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 1,60,00,000 इकिवटी शेयर)	-	-	-	-	-	-
उप-जोड़ इकिवटी इन्स्ट्रुमेंट	-	640.81	-	-	640.81	640.81
अन्य						
—‘स्माल इज ब्यूटीफुल’ निधि की यूनिट (प्रत्येक ₹ 10 की 61,52,200 यूनिटें)	-	6.18	-	-	6.18	6.18
उप-जोड़ — अन्य	-	6.18	-	-	6.18	6.18
जोड़ — सकल (क)	79.27	646.99	1,556.87	-	2,203.86	2,283.13
(i) विदेशों में निवेश	-	-	-	-	-	-
(ii) भारत में निवेश	79.27	646.99	1,556.87	-	2,203.86	2,283.13
जोड़ (ख)	79.27	646.99	1,556.87	-	2,203.86	2,283.13
घटाएँ : इपेयरमेंट हानि के लिए भत्ते (ग)	-	-	-	-	-	-
जोड़ — निवेश (घ = क—ग)	79.27	646.99	1,556.87	-	2,203.86	2,283.13
(ख) इकिवटी मेथड का प्रयोग करने के लिए लेखा कृत निवेश						

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
संयुक्त उपक्रमों में निवेश		
—एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (प्रत्येक ₹ 10 के 21,81,00,000 इकिवटी शेयर)	258.47	179.63
जोड़	258.47	179.63

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के राइट इश्यू ऑफर के तहत कंपनी को दिनांक 8 जून 2019 को ₹ 71.60 करोड़ की राशि के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के 7,16,00,000 शेयर आवंटित किए गए हैं। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल में कंपनी की हिस्सेदारी 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 21.70% की तुलना में 22.18% है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

- 11.1** रतन इंडिया पावर लिमिटेड के संबंध में दिनांक 23 दिसंबर 2019 को निष्पादित वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) व्यवस्था के अनुक्रम में कंपनी को 9,25,68,105 इकिवटी शेयर, 2,87,20,978 मोबाइल बैल (रिडीमेबल) वरीयता शेयर और 4,33,03,616 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संचयी प्रतिदेय प्राथमिकता शेयर आवंटित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए नोट 10.3 देखें।
- 11.2** कंपनी ने एफवीओसीआई (अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य) पर कुछ इकिवटी लिखतों को नामित करने के लिए एक अपरिवर्तनीय विकल्प चुना है। कंपनी का मुख्य कार्य (प्रचालन) विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार, इन लिखतों के मूल्य में उत्तर-चढ़ाव से लाभ और हानि के स्टेंडअलोन स्टेटमेंट को अलग करने के प्रयोजन से प्रबंधन का मानना है कि यह एफवीओसीआई (फेयर वैल्यू इन प्रॉफिट एंड लॉस) के वर्गीकरण के बजाय उन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान डिरिक्नाइज्ड एफवीओसीआई निवेशों का विवरण

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	वित्त वर्ष 2019-20			वित्त वर्ष 2018-19		
	डिरिक्नाइज्ड शेयरों की संख्या	डिरिक्नीशन के समय उचित मूल्य	डिरिक्नीशन पर संचयी लाभधानि	डिरिक्नाइज्ड शेयरों की संख्या	डिरिक्नीशन के समय उचित मूल्य	डिरिक्नीशन पर संचयी लाभधानि
इंडियन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	228,789.0	4.23	4.21	-	-	-
लैन्को तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड	102,000,000.0	-	(102.00)	-	-	-
एनएचपीसी	-	-	-	8,709,659.00	24.39	5.42

भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज लिमिटेड के बाई बैंक ऑफर के तहत कंपनी ने दिनांक 10 अप्रैल 2019 को 4.23 करोड़ रूपए की राशि के लिए 2,28,789 शेयर बेच दिए हैं और इसके परिणामस्वरूप उन्हें मान्यता नहीं दी है अर्थात् डिरिक्नाइज्ड किया है। शेयरों को प्रचलित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर वापस खरीदने की घेशकश की गई थी और कंपनी ने इसे खुले बाजार में कम कीमतों पर शेयरों को बेचने के बजाय इस मोड के माध्यम से बहुत सारे इकिवटी शेयरों को बेचने का एक अवसर माना।

माननीय राष्ट्रीय कंपनी का नून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), हैदराबाद बैंच द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2019 को लैंको तीस्ता हाइड्रो पॉवर लिमिटेड के संबंध में पारित संकल्प योजना के अनुमोदन के अनुक्रम में कंपनी ने आदेश के अनुसार 102 करोड़ रूपए (प्रत्येक 10 रूपए के 10.20 करोड़ इकिवटी शेयर) के इकिवटी निवेश को बद्धेखाते में डाल दिया है।

इकिवटी शेयरों की वास्तविक बिक्री के कारण निवेशों को मान्यता न देने के बाद कंपनी ने इस तरह के शेयरों पर निबल कर प्रभाव के संचयी लाभ या हानि को अन्य व्यापक आय से अवधि के दौरान बनाए रखी गई आय में स्थानांतरित कर दिया है।

12. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप 'अन्य व्यापक परिसंपत्तियों' के अंतर्गत सभी घटकों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.20 के अनुसार	31.03.19 के अनुसार
(क) कार्मिकों को ऋण (टिप्पणी 12.1 के संदर्भ में)	34.61	28.80
(ख) कार्मिकों को अग्रिम	0.30	0.32
(ग) प्रतिभूति जमा राशि	1.88	1.76
(घ) भारत सरकार से वसूली योग्य		
– भारत सरकार के पूर्णतया सेवा प्रदत्त बॉण्ड के संबंध में (टिप्पणी 23.5 के संदर्भ में)	21,931.30	18,131.11
– सरकारी योजनाओं पर एंजेसी प्रभार	50.64	159.61
– सरकारी योजनाओं पर व्यय की अदायगी	48.17	0.91
कुल – भारत सरकार से वसूली योग्य	22,030.11	18,291.63
(च) राज्य विद्युत बोर्डों / अन्यों से वसूलनी	5.20	14.12
(छ) अन्य वसूली योग्य राशि	37.23	39.40
घटाएँ : इंपेयरमेंट हानि के लिए भत्ते (टिप्पणी 12.2 के संदर्भ में)	(30.85)	(26.69)
अन्य राशि वसूली योग्य (निवल)	6.38	12.71
(ज) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	21.19	14.65
कुल (क से ज)	22,099.67	18,363.99

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

12.1 कार्मिकों को ऋण के विवरण

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्मिकों के दिए जाने वाले सभी ऋणों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड में)

उपरोक्त आंकड़ों में ऐसे क्रहणों पर उपचित ब्याज, जिसकी कूल राशि रु. 6.59 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 5.72 करोड़) है, शामिल है।

12.2 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन

(₹ करोड में)

विवरण	31.03.20 के अनुसार	31.03.19 के अनुसार
प्रारम्भिक शेष	26.69	12.27
जोड़े : वर्ष के दौरान सृजित	5.78	14.42
घटाएँ : वर्ष के दौरान वापस बदल दिया गया / समायोजित किया गया	(1.62)	-
समाप्ति पर शेष	30.85	26.69

13 चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.20 के अनुसार	31.03.19 के अनुसार
अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	1,889.71	2,056.31
घटाएँ: आय कर हेतु प्रावधान	(1,613.59)	(1,850.05)
	उप- जोड़ (1)	276.12
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर पर जमा कर	201.11	92.12
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर हेतु प्रावधान	(67.29)	(5.21)
	उप- जोड़ (2)	133.82
चाल कर परिसंपत्तियां (निवल)	409.94	293.17

14 आस्थगित कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.20 के अनुसार	31.03.19 के अनुसार
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	2,050.57	2,305.93

14.1.31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में रिकॉर्ड	ओसीआई में रिकॉर्ड	अन्य	समाप्ति पर शेष राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ					
प्रत्याशित ऋण हानियाँ	2,977.79	(686.06)	-	-	2,291.73
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	4.19	(0.06)	-	-	4.13
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	7.57	(2.06)	-	-	5.51

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में रिकग्नाइज्ड	ओसीआई में रिकग्नाइज्ड	अन्य	समाप्ति पर शेष राशि
अन्य व्यय के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-
एफवीओसीआई निवेशों	(0.78)	(1.61)	12.39	-	10.00
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	(12.04)	306.79	144.90	-	439.65
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार (पट्टा देयताओं का निवल)	-	0.04	-	-	0.04
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	2,976.73	(382.96)	157.29	-	2,751.06
आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर्णों के विभिन्न कर आधार में देय	2.82	(1.30)	-	-	1.52
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय उतार-चढ़ाव	267.26	181.69	-	-	448.95
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	336.89	(99.44)	-	-	237.45
सहायक कंपनियों का समेकित असंवितरित लाभ का हिस्सा	56.35	(56.35)	-	-	-
इकिवटी पद्धति का प्रयोग करने के लिए लेखाकृत संयुक्त उद्यम का असंवितरित लाभ का हिस्सा	7.48	(7.48)	-	-	-
अन्य	-	12.57	-	-	12.57
कुल आस्थगित कर देयताएं	670.80	29.69	-	-	700.49
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	2,305.93	(412.65)	157.29	-	2,050.57

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में रिकग्नाइज्ड	ओसीआई में रिकग्नाइज्ड	अन्य	समाप्ति पर शेष राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,992.06	(14.27)	-	-	2,977.79
अर्जित अवकाश और लॉयल्टी बोनस के लिए प्रावधान	3.62	0.57	-	-	4.19
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	6.91	0.66	-	-	7.57
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	3,002.59	(13.04)	-	-	2,989.55
आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर्णों के विभिन्न कर आधार में देय	2.98	(0.16)	-	-	2.82
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय उतार-चढ़ाव	30.15	237.11	-	-	267.26
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	(9.27)	21.31	-	-	12.04
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	61.88	275.01	-	-	336.89
एफवीओसीआई निवेशों	0.10	-	0.68	-	0.78
सहायक कंपनियों का समेकित असंवितरित लाभ का हिस्सा	68.38	(12.03)	-	-	56.35
इकिवटी पद्धति का प्रयोग करने के लिए लेखाकृत संयुक्त उद्यम का असंवितरित लाभ का हिस्सा	5.94	1.54	-	-	7.48
कुल आस्थगित कर देयताएं	160.16	522.78	0.68	-	683.62
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	2,842.43	(535.82)	(0.68)	-	2,305.93

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

15 निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष के दौरान बिक्री / समायोजन	समाप्ति पर शेष राशि
वित्त वर्ष 2019–20	0.01	-	-	0.01
वित्त वर्ष 2018–19	0.01	-	-	0.01

15.1 कंपनी ने निवेश परिसंपत्ति के रूप में कम आंके गए भावी प्रयोग के लिए रखी गई भूमि वर्गीकृत की है और उस पर कोई किराये की आय अर्जित नहीं कर रही है।

15.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
धारित मूल्य	0.01	0.01
उचित मूल्य	0.61	0.61

कंपनी कम से कम वार्षिक रूप से अपनी निवेश संपत्तियों के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन प्राप्त करती है। उचित मूल्य का सर्वोत्तम साक्ष्य उन संपत्तियों के लिए सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमतें हैं। जहां वह सूचना उपलब्ध नहीं है, वहां कंपनी विभिन्न स्रोतों से सूचना पर विचार करती है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- विभिन्न प्रकार की समान परिसंपत्तियों के सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमतें अथवा कम सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों की हाल की कीमतें जो उन अंतरों को दर्शाने के लिए समायोजित की गई हैं।
- जिस अधिकार क्षेत्र में निवेश संपत्ति स्थित है, वहां वर्तमान सर्किल दरें।

निवेश संपत्ति का उचित मूल्य स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया गया है और प्रयुक्त मुख्य इनपुट समान परिसंपत्तियों की सर्किल दरें और वर्तमान कीमतें हैं। निवेश संपत्ति के लिए सभी परिणामी उचित मूल्य आकलन लेवल-3 में शामिल हैं।

16 संपत्ति, संचय एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियाँ

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

विवरण	संपत्ति, संचय एवं उपस्कर						(₹ करोड़ में)						
	फ्रीहोल्ड भूमि	लीजहोल्ड भूमि	भवन	राईट टू यूज—भवन	फर्मीचर और फिल्सचर्स	ईडीपी उपस्कर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	लीजहोल्ड सुधार	कुल अचल संपत्ति	पूँजीगत कार्य प्रगति पर है	विकासाध ीन अमूर्त परिसंपत्तिया	
सकल धारित मूल्य													
31.03.2018 के अनुसार	82.92	1.59	31.74	-	9.38	18.20	17.60	0.40	2.36	164.19	127.23	1.46	12.47
परिवर्धन	27.47	-	-	1.82	5.12	3.25	-	0.12	37.78	58.34	0.13	4.91	-
पूँजीगत लागत उदाहरिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.37	-	-	-
निपटान / समायोजन	-	-	-	0.21	0.87	0.95	-	-	2.03	-	-	-	-
31.03.2019 के अनुसार	110.39	1.59	31.74	-	10.99	22.45	19.90	0.40	2.48	199.94	196.94	1.59	17.38
परिवर्धन	-	-	-	2.65	1.84	2.84	3.30	-	10.63	74.89	-	3.57	-
पूँजीगत लागत उदाहरिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.79	-	-	-
निपटान/ समायोजन	-	-	-	0.84	2.35	2.22	-	-	5.41	-	0.82	7.21	-
31.03.2020 के अनुसार	110.39	1.59	31.74	2.65	11.99	22.94	20.98	0.40	2.48	205.16	287.82	0.77	13.74

संचित अवमूल्यन / परिशोधन

31.03.2018 अनुसार	-	0.29	8.10	-	5.94	13.21	9.33	0.27	0.46	37.60	-	-	7.31
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.02	0.48	-	0.65	2.75	2.41	0.03	0.44	6.78	-	-	1.52
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-	-	0.06	0.61	0.40	-	-	1.07	-	-	-
31.03.2019 के अनुसार	-	0.31	8.58	-	6.53	15.35	11.34	0.30	0.90	43.31	-	-	8.83
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.01	0.48	0.77	0.73	3.25	2.78	0.02	0.44	8.48	-	-	3.30
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-	-	0.35	2.04	1.21	-	-	3.60	-	-	7.21
31.03.2020 के अनुसार	-	0.32	9.06	0.77	6.91	16.56	12.91	0.32	1.34	48.19	-	-	4.92
31.03.19 के अनुसार	110.39	1.28	23.16	-	4.46	7.10	8.56	0.10	1.58	156.63	196.94	1.59	8.55
निवल ब्लॉक	110.39	1.27	22.68	1.88	5.08	6.38	8.07	0.08	1.14	156.97	287.62	0.77	8.82

*यह दस्तावेज़ (एच्ची होल्ड) भूमि का प्रतिनिधित्व करता है जिसे आवारीय लेज़ाक्टन मानक (इड एस्सी) 17 के अंतर्गत वित्तीय यहू के लागत में वर्गीकृत किया गया और इसे इड एस्सी/16 के रूप में परिचित किए जाने एवं 01 अगस्त 2019 से उपयोग के अधिकार (आवारीय) परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

**यह दस्तावेज़ (एच्ची होल्ड) भूमि का प्रतिनिधित्व करता है जिसे आवारीय लेज़ाक्टन मानक (इड एस्सी) 17 के अंतर्गत वित्तीय यहू के लागत में वर्गीकृत किया गया और इसे इड एस्सी/16 के रूप में परिचित किए जाने एवं 01 अगस्त 2019 से उपयोग के अधिकार (आवारीय) परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

वार्षिक रिपोर्ट 2019-20



समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

16.1 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी द्वारा अधिगृहीत कुछ अचल संपत्तियों के संबंध में कनवेंस डीड के पंजीकरण के संबंध में औपचारिकताएं अभी निष्पादित की जानी हैं। ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	भूमि	भवन	भूमि	भवन
सकल धारित मूल्य	68.31	4.59	68.31	4.59
निवल धारित मूल्य	68.31	2.14	68.31	2.20

16.2 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार कंपनी के प्रतिभूति उधारों के तुलना में प्रतिभूत के रूप में रखे गए हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
सकल धारित मूल्य	3.45	3.45
निवल धारित मूल्य	2.41	2.46

16.3 प्रबंधन के मत में उन परिस्थितियों में कोई परिवर्तन अथवा कोई घटनाएं नहीं हैं जो भारतीय लेखांकन मानक 36 "परिसंपत्तियों की हानि" के संदर्भ में पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों की हानि दर्शाएं। तदनुसार, हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

16.4 जबकि कंपनी ने किसी अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण के लिए कोई विशिष्ट उधार नहीं लिया है, फिर भी कंपनी ने इंड एएस 23 'उधार लेने की लागत' के संदर्भ में कंपनी के लिए उधार की औसत दर पर सामान्य उधारियों के लिए उधार लेने की कुछ लागतों को पूँजीकृत किया गया है। लागू लेखांकन मार्गदर्शन के अनुसार, कंपनी ने उस अवधि के लिए उधार लेने की लागत को पूँजीकृत नहीं किया है जिसके दौरान निर्माण कार्य को कोविड-19 व्यवधानों के कारण रोक दिया गया है।

16.5 भारतीय लेखांकन मानक 38 "अमूर्त परिसंपत्तियां" के तहत अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटन

परिशोधन दर 20 प्रतिशत (परिसंपत्ति की कुल लागत के मामले में 100 प्रतिशत, 5,000 रुपए अथवा कम है)।

17 अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
प्रतिभूति, शोध्य समझे गए		
(क) पूँजीगत अग्रिम (प्रतिभूति, शोध्य समझे गए)	50.38	35.72
(ख) अन्य अग्रिम	5.75	30.82
(ग) सरकारी प्राधिकरण के पास शेष	59.58	62.02
(घ) पूर्वप्रदत्त व्यय	0.22	7.64
(च) आस्थगित कार्मिक लागत	13.21	12.20
(छ) आस्थगित व्यय	3.19	-
(ज) अन्य परिसंपत्तियां	0.04	0.01
कुल (क से ज)	132.37	148.41

18 निपटान समूह

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां		
(क) संबंध कंपनियों के लिए निवेश	0.20	0.50
(ख) संबंध कंपनियों के लिए ऋण	9.33	9.06
कुल (क+ख)	9.53	9.56
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देयताएँ		
(ग) एसोसिएट के लिए प्रतिदेय	0.68	0.08
कुल (ग)	0.68	0.08
निपटान समूह – निवल परिसंपत्तियां (क+ख+ग)	8.85	9.48

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

18.1 संबद्ध कंपनियों में निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार	31-03-19 के अनुसार
संबद्ध कंपनियों (पूर्णतया प्रदत्त) के इकिवटी लिखतों में निवेश		
ग्राहक ₹ 10 के प्रति इकिवटी शेरर		
दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड"	-	-
अजमेर फार्गी ट्रांस्को लिमिटेड	-	0.05
भिंडगुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
जम खंभालिया ट्रांस्को लिमिटेड	-	0.05
खेतडी ट्रांस्को लिमिटेड	-	0.05
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
लाकड़िया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड	-	0.05
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05
कुल	0.20	0.50

**दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड की अधिसूचना को दिनांक 25 मार्च 2019 को जारी किए गए विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के पत्र के आधार पर निरस्त किया गया और तत्पश्चात निवेश को बद्धखाते में जाला गया। एमओपी के साथ कंपनी का नाम हटवाने के लिए एमओपी की अनुमति वर्ष के दौरान प्राप्त कर ली गई है।

18.2 संबद्ध कंपनियों के लिए ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार	31-03-19 के अनुसार
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.49	1.99
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.18	1.94
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.43	1.71
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.23	1.76
अजमेर फार्गी ट्रांस्को लिमिटेड	-	0.18
भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.88
उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.25
डब्ल्यूआरएसएस XXI (ए) ट्रांस्को लिमिटेड	-	0.35
कुल	9.33	9.06

18.3 बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार	31-03-19 के अनुसार
बिदर कर्नाटक लाइन*	0.10	-
गडग कर्नाटक पार्ट ए लाइन*	0.10	-
सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट ए लाइन*	0.11	-
सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट बी लाइन*	0.06	-
सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट सी लाइन*	0.16	-
राजगढ़ मध्य प्रदेश लाइन*	0.15	-
उसमानाबाद महाराष्ट्र लाइन*	-	-
खेतडी ट्रांस्को लिमिटेड	-	0.04
लाकड़िया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड	-	0.04
कुल	0.68	0.08

* ये एसपीवी निगमन की प्रक्रिया में हैं। हालांकि, मार्च 2020 तक आरएफपी जारी किया गया इसलिए आवंटन नीति के अनुसार, व्यय आवंटित किया गया है। प्रबंधन ने विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से, विद्युत मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार इन कंपनियों को उन्हें बेचने की दृष्टि से निगमित किया था। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि प्रबंधन उन्हें बेचने के सिवाय उन कंपनियों से लाभ प्राप्त करेगा। अतः इन सभी निवेशों (संबद्ध परिसंपत्तियों और देयताओं सहित) को बिक्री के लिए रखी गई है कि रूप में वर्गीकृत किया गया है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

19 देय ट्रेड

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	(₹ करोड़ में)
देय ट्रेड			
एमएसएमई का कुल बकाया देय	0.15	2.65	
एमएसएमई से भिन्न जमाकर्ताओं का कुल बकाया देय	46.00	64.64	
कुल	46.15	67.29	

20 ऋण प्रतिभूतियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
(क) प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियाँ				
(i) संस्थागत बॉण्ड	3,470.00	3,679.51	11,019.40	11,599.27
(ii) 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	21,976.14	22,781.73	23,157.88	24,010.13
(i) कर मुक्त बॉण्ड	12,602.97	13,041.35	12,577.97	13,010.38
(iv) बॉण्ड आवेदन राशि	400.19	399.41	722.04	720.48
उप – जोड़ (क)	38,449.30	39,902.00	47,477.29	49,340.26
(ख) अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियाँ				
(i) संस्थागत बॉण्ड	148,650.20	153,672.91	118,253.90	122,201.55
(ii) अवसंरचना बॉण्ड	16.46	25.19	91.43	98.75
(iii) जीरो कूपन बॉण्ड	1,364.85	1,363.91	1,259.57	1,258.56
(iv) विदेशी मुद्रा बॉण्ड	22,615.78	22,064.56	12,796.69	12,172.07
उप – जोड़ (ख)	172,647.29	177,126.57	132,401.59	135,730.93
(ग) अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण प्रतिभूतियाँ				
(i) कमर्शियल पेपर	2,925.00	2,889.68	7,975.00	7,696.32
उप – जोड़ (ग)	2,925.00	2,889.68	7,975.00	7,696.32
कुल – ऋण प्रतिभूतियाँ (क+ख+ग)	214,021.59	219,918.25	187,853.88	192,767.51
भारत में / से बाहर निर्गत ऋण प्रतिभूतियाँ				
(i) भारत में निर्गत ऋण – प्रतिभूतियाँ	191,405.81	197,853.69	175,057.19	180,595.44
(ii) विदेशों में निर्गत ऋण प्रतिभूतियाँ	22,615.78	22,064.56	12,796.69	12,172.07
जोड़ – ऋण प्रतिभूतियाँ	214,021.59	219,918.25	187,853.88	192,767.51

कृपया अंकित मूल्य में प्रतिविस्त्रित आंकड़ों और परिशोधित लागत के आंकड़ों के बीच पुनर्मिलान के लिए नोट संख्या 22.2 देखें, जिसमें अर्जित ब्याज और परिशोधित खर्च शामिल हैं।

20.1 प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियाँ का विवरण – प्रतिभूति के विवरण के लिए टिप्पणी 21.6 का संदर्भ लें

(I) संस्थागत बॉण्ड

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार		(₹ करोड़ में)
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	
123-IIIवी श्रृंखला – 9.34% सममूल्य पर दिनांक 23.08.2024 को विमोचनीय	1,955.00	2,063.95	1,955.00	2,062.61	
123-I श्रृंखला – 9.40% सममूल्य पर दिनांक 17.07.2021 को विमोचनीय	1,515.00	1,615.56	1,515.00	1,615.29	
92-II श्रृंखला – 8.65% सममूल्य पर दिनांक 22.01.2020 को विमोचनीय	-	-	945.30	960.65	
91-II श्रृंखला – 8.80% सममूल्य पर दिनांक 18.11.2019 को विमोचनीय	-	-	995.90	1,028.23	
90-सी-II श्रृंखला – 8.80% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2019 को विमोचनीय	-	-	1,040.00	1,084.29	
90-ख-II श्रृंखला – 8.72% सममूल्य पर दिनांक 04.09.2019 को विमोचनीय	-	-	868.20	911.48	
90वीं श्रृंखला – 8.80% सममूल्य पर दिनांक 03.08.2019 को विमोचनीय	-	-	2,000.00	2,116.21	
122वीं श्रृंखला – 9.02% सममूल्य पर दिनांक 18.06.2019 को विमोचनीय	-	-	1,700.00	1,820.51	
कुल संस्थागत बॉण्ड	3,470.00	3,679.51	11,019.40	11,599.27	

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ii) 54 ईसी पूँजी लाभ कर छूट बॉण्ड

(₹ करोड में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
श्रृंखला XII (2018–19) 5.75% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान विमोचनीय	5,759.14	5,907.48	-	-
श्रृंखला XII (2018–19) 5.75% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान विमोचनीय	6,651.77	6,934.10	5,929.73	6,083.83
श्रृंखला XI (2017–18) 5.25% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान विमोचनीय	9,565.23	9,940.15	9,565.23	9,934.60
श्रृंखला X (2016–17) 5.25–6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान विमोचनीय	-	-	7,662.92	7,991.70
जोड़—54 ईसी पूँजी लाभ कर छूट बॉण्ड	21,976.14	22,781.73	23,157.88	24,010.13

(III) कर मुक्त बॉण्ड

(₹ करोड में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
श्रृंखला 2015–16 भाग 1	696.56	710.38	696.56	710.13
वार्षिक रूप से 6.89% से 7.43% की परिवर्ती व्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.93 करोड के बॉण्ड 05.11.2025 को विमोच्य है, ₹ 172.90 करोड के बॉण्ड 05.11.2030 को विमोच्य है और ₹ 417.73 करोड के बॉण्ड 05.11.2035 को विमोच्य है।	300.00	306.98	300.00	306.92
श्रृंखला 2015–16 श्रृंखला 5क 7.17% के सममूल्य पर 23.07.2025 को विमोचनीय हैं।	-	-	-	-
श्रृंखला 2013–14 भाग 2	1,057.40	1,083.38	1,057.40	1,082.77
वार्षिक रूप से 8.19% से 8.88% की परिवर्ती व्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 419.32 करोड के बॉण्ड 22.03.2024 को विमोच्य है, ₹ 528.42 करोड के बॉण्ड 23.03.2029 को विमोच्य है और ₹ 109.66 करोड के बॉण्ड 24.3.2034 को विमोच्य है।	150.00	155.69	150.00	155.64
श्रृंखला 2013–14 श्रृंखला 4क एवं 4ख	150.00	155.69	150.00	155.64
वार्षिक रूप से 8.18% से 8.54% की परिवर्ती व्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.00 करोड के बॉण्ड सममूल्य पर 11.10.2023 को विमोच्य है और ₹ 45.00 करोड के बॉण्ड 11.10.2028 को विमोच्य है।	3,410.60	3,494.00	3,410.60	3,492.27
श्रृंखला 2013–14 भाग 1	1,350.00	1,415.07	1,350.00	1,414.77
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.71% की परिवर्ती व्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 575.06 करोड के बॉण्ड सममूल्य पर 25.09.2023 को विमोच्य है, ₹ 2,780.26 करोड 25.09.2028 को विमोच्य है और ₹ 55.28 करोड 26.09.2033 को विमोच्य है।	131.06	133.92	131.06	133.84
श्रृंखला 2013–14 श्रृंखला 3क एवं 3ख	2,007.35	2,053.10	1,982.35	2,026.43
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.46% की परिवर्ती व्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 209.00 करोड के बॉण्ड सममूल्य पर 29.08.2023 को विमोच्य है और ₹ 1,141.00 करोड के बॉण्ड 29.08.2028 को विमोच्य है।	500.00	513.01	500.00	512.92
श्रृंखला 2012–13 भाग 2	500.00	513.01	500.00	512.92
वार्षिक रूप से 6.88% से 7.54% की परिवर्ती व्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 81.35 करोड के बॉण्ड दिनांक 27.03.2023 को विमोचनीय हैं और ₹ 49.71 करोड के बॉण्ड दिनांक 27.03.2028 को विमोचनीय हैं।	2,007.35	2,053.10	1,982.35	2,026.43
श्रृंखला 2012–13 भाग 1	131.06	133.92	131.06	133.84
वार्षिक रूप से 7.22% से 7.88% की परिवर्ती व्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 1,165.31 करोड के बॉण्ड दिनांक 19.12.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 842.04 करोड के बॉण्ड दिनांक 20.12.2027 को विमोचनीय हैं।	131.06	133.92	131.06	133.84
श्रृंखला 2012–13 श्रृंखला 2क और 2ख	131.06	133.92	131.06	133.84
वार्षिक रूप से क्रमशः 7.21% तथा 7.38% की परिवर्ती व्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 255.00 करोड के बॉण्ड दिनांक 21.11.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 245.00 करोड के बॉण्ड दिनांक 22.11.2027 को विमोचनीय हैं।	131.06	133.92	131.06	133.84

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
श्रृंखला 2011–12 वार्षिक रूप से 7.93% से 8.32% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 839.67 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 28.03.2022 को विमोच्य हैं और ₹ 2,160.33 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 29.03.2027 को विमोच्य हैं। जोड़ – कर–मुक्त बॉण्ड	3,000.00	3,175.82	3,000.00	3,174.69
	12,602.97	13,041.35	12,577.97	13,010.38

(iv) बॉण्ड आवेदन राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	400.19	399.41	722.04	720.48
5.75% आबंटन की डीम्ड तिथि से 5 वर्ष के बाद सममूल्य पर प्रतिदेय				
जोड़: बॉण्ड आवेदन राशि	400.19	399.41	722.04	720.48

20.2 अप्रतिभूत दीर्घावधिक ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

(I) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
183वीं श्रृंखला— 8.29% सममूल्य पर दिनांक 16.09.2034 को विमोचनीय	3,028.00	3,163.54	-	-
182वीं श्रृंखला— 8.18% सममूल्य पर दिनांक 22.08.2034 को विमोचनीय	5,063.00	5,315.09	-	-
189वीं श्रृंखला— 7.92% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2030 को विमोचनीय	3,054.90	3,054.80	-	-
188वीं बी श्रृंखला— 7.89% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2030 को विमोचनीय	1,100.00	1,100.07	-	-
192वीं श्रृंखला— 7.50% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2030 को विमोचनीय	2,382.00	2,393.16	-	-
184वीं-ए श्रृंखला— 8.25% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2029 को आंशिक रूप से प्रदत्त डिबेंचर विमोचनीय	290.20	302.31	-	-
180वीं-बी श्रृंखला— 8.30% सममूल्य पर दिनांक 25.06.2029 को विमोचनीय	2,070.90	2,163.58	-	-
178वीं- श्रृंखला— 8.80% सममूल्य पर दिनांक 14.05.2029 को विमोचनीय	1,097.00	1,167.75	-	-
176वीं- श्रृंखला— 8.85% सममूल्य पर दिनांक 16.04.2029 को विमोचनीय	1,600.70	1,735.59	-	-
169वीं श्रृंखला— 8.37% सममूल्य पर दिनांक 07.12.2028 को विमोचनीय	2,554.00	2,621.29	2,554.00	2,620.27
168वीं श्रृंखला— 8.56% सममूल्य पर दिनांक 29.11.2028 को विमोचनीय	2,552.40	2,626.01	2,552.40	2,624.99
163वीं श्रृंखला— 8.63% सममूल्य पर दिनांक 25.08.2028 को विमोचनीय	2,500.00	2,628.20	2,500.00	2,627.34
162वीं श्रृंखला— 8.55% सममूल्य पर दिनांक 09.08.2028 को विमोचनीय	2,500.00	2,637.55	2,500.00	2,636.73
156वीं श्रृंखला— 7.70% सममूल्य पर दिनांक 10.12.2027 को विमोचनीय	3,533.00	3,614.64	3,533.00	3,614.04
147वीं श्रृंखला— 7.95% सममूल्य पर दिनांक 12.03.2027 को विमोचनीय	2,745.00	2,745.34	2,745.00	2,745.25
142वीं श्रृंखला— 7.54% सममूल्य पर दिनांक 30.12.2026 को विमोचनीय	3,000.00	3,056.26	3,000.00	3,055.73
140वीं श्रृंखला— 7.52% सममूल्य पर दिनांक 07.11.2026 को विमोचनीय	2,100.00	2,152.27	2,100.00	2,151.90
136वीं श्रृंखला— 8.11% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2025 को विमोचनीय	2,585.00	2,671.22	2,585.00	2,670.69
95-II श्रृंखला— 8.75% सममूल्य पर दिनांक 14.07.2025 को विमोचनीय	1,800.00	1,913.61	1,800.00	1,913.49
94वीं श्रृंखला— 8.75% सममूल्य पर दिनांक 09.06.2025 को विमोचनीय	1,250.00	1,339.05	1,250.00	1,339.00
133वीं श्रृंखला— 8.30% सममूल्य पर दिनांक 10.04.2025 को विमोचनीय	2,396.00	2,452.91	2,396.00	2,452.88
190वीं ए श्रृंखला— 6.88% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2025 को विमोचनीय	2,500.00	2,523.03	-	-
131वीं श्रृंखला— 8.35% सममूल्य पर दिनांक 21.02.2025 को विमोचनीय	2,285.00	2,304.14	2,285.00	2,303.12
130वीं श्रृंखला— 8.27% सममूल्य पर दिनांक 06.02.2025 को विमोचनीय	2,325.00	2,493.00	2,325.00	2,492.75

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
129वीं श्रृंखला— 8.23% सममूल्य पर दिनांक 23.01.2025 को विमोचनीय	1,925.00	2,063.40	1,925.00	2,063.19
128वीं श्रृंखला— 8.57% सममूल्य पर दिनांक 21.12.2024 को विमोचनीय	2,250.00	2,418.53	2,250.00	2,418.29
186वीं बी श्रृंखला— 7.40% सममूल्य पर दिनांक 26.11.2024 को विमोचनीय	1,500.00	1,537.86	-	-
191वीं बी श्रृंखला— 6.99% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2024 को विमोचनीय	1,100.00	1,107.13	-	-
180वीं ए श्रृंखला— 8.10% सममूल्य पर दिनांक 25.06.2024 को विमोचनीय	1,018.00	1,070.52	-	-
184वीं बी श्रृंखला एसटीआरपी-डी — 7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2023 को विमोचनीय	298.00	309.47	-	-
191वीं ए श्रृंखला— 6.80% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2023 को विमोचनीय	1,100.00	1,106.95	-	-
114वीं श्रृंखला— 8.82% सममूल्य पर दिनांक 12.04.2023 को विमोचनीय	4,300.00	4,666.58	4,300.00	4,666.20
188वीं ए श्रृंखला— 7.12% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2023 को विमोचनीय	1,400.00	1,400.13	-	-
159वीं श्रृंखला— 7.99% सममूल्य पर दिनांक 23.02.2023 को विमोचनीय	950.00	957.40	950.00	957.07
187वीं श्रृंखला— 7.24% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2022 को विमोचनीय	2,090.00	2,129.37	-	-
185वीं श्रृंखला— 7.09% सममूल्य पर दिनांक 13.12.2022 को विमोचनीय	2,759.00	2,816.83	-	-
155वीं श्रृंखला— 7.45% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2022 को विमोचनीय	1,912.00	1,959.12	1,912.00	1,958.62
111-II श्रृंखला— 9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2022 को विमोचनीय	2,211.20	2,283.64	2,211.20	2,283.10
152वीं श्रृंखला— 7.09% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2022 को विमोचनीय	1,225.00	1,264.12	1,225.00	1,263.82
184वीं-बी श्रृंखला एसटीआरपी-सी— 7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2022 को विमोचनीय	300.00	311.56	-	-
150वीं श्रृंखला— 7.03% सममूल्य पर दिनांक 07.09.2022 को विमोचनीय	2,670.00	2,775.25	2,670.00	2,774.70
186वीं ए श्रृंखला— 6.90% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2022 को विमोचनीय	2,500.00	2,559.27	-	-
107वीं श्रृंखला— 9.35% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2022 को विमोचनीय	2,378.20	2,554.46	2,378.20	2,554.12
179वीं श्रृंखला— 8.15% सममूल्य पर दिनांक 10.06.2022 को विमोचनीय	1,000.00	1,065.61	-	-
167वीं श्रृंखला— 8.45% सममूल्य पर दिनांक 22.03.2022 को विमोचनीय	2,571.80	2,577.54	2,571.80	2,576.88
173वीं श्रृंखला— 8.35% सममूल्य पर दिनांक 11.3.2022 को विमोचनीय	2,500.00	2,510.23	2,500.00	2,509.41
132वीं श्रृंखला— 8.27% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2022 को विमोचनीय	700.00	750.72	700.00	750.61
145वीं श्रृंखला— 7.46% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2022 को विमोचनीय	625.00	628.97	625.00	628.75
165वीं श्रृंखला— 8.83% सममूल्य पर दिनांक 21.01.2022 को विमोचनीय	2,171.00	2,207.50	2,171.00	2,206.47
193वीं श्रृंखला— 6.99% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2021 को विमोचनीय	1,115.00	1,118.70	-	-
190वीं बी श्रृंखला— 6.32% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2021 को विमोचनीय	2,489.40	2,511.05	-	-
177वीं श्रृंखला— 8.50% सममूल्य पर दिनांक 20.12.2021 को विमोचनीय	1,245.00	1,274.50	-	-
141वीं श्रृंखला— 7.14% सममूल्य पर दिनांक 09.12.2021 को विमोचनीय	1,020.00	1,038.00	1,020.00	1,037.69
127वीं श्रृंखला— 8.44% सममूल्य पर दिनांक 04.12.2021 को विमोचनीय	1,550.00	1,664.78	1,550.00	1,664.56
105वीं श्रृंखला— 9.75% सममूल्य पर दिनांक 11.11.2021 को विमोचनीय	3,922.20	4,070.07	3,922.20	4,069.16
139वीं श्रृंखला— 7.24% सममूल्य पर दिनांक 21.10.2021 को विमोचनीय	2,500.00	2,575.10	2,500.00	2,574.49
184वीं-बी श्रृंखला एसटीआरपी- बी— 7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2021 को विमोचनीय	300.00	311.57	-	-
101-III श्रृंखला— 9.48% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2021 को विमोचनीय	3,171.80	3,364.34	3,171.80	3,363.70
100वीं श्रृंखला— 9.63% सममूल्य पर दिनांक 15.07.2021 को विमोचनीय	1,500.00	1,603.01	1,500.00	1,602.90
174वीं श्रृंखला— 8.15% सममूल्य पर दिनांक 18.06.2021 को विमोचनीय	2,720.00	2,894.03	2,720.00	2,727.18
161बी श्रृंखला— 7.73% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2021 को विमोचनीय	800.00	849.01	800.00	848.86
154 श्रृंखला— 7.18% सममूल्य पर दिनांक 21.05.2021 को विमोचनीय	600.00	637.04	600.00	636.89
157वीं श्रृंखला— 7.60% सममूल्य पर दिनांक 17.04.2021 को विमोचनीय	1,055.00	1,131.47	1,055.00	1,131.27
158वीं श्रृंखला— 7.70% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय	2,465.00	2,473.46	2,465.00	2,473.14
98वीं श्रृंखला— 9.18% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय	3,000.00	3,012.79	3,000.00	3,012.83
153वां श्रृंखला— 6.99% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2020 को विमोचनीय	2,850.00	2,899.77	2,850.00	2,898.98
97वीं श्रृंखला— 8.80% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2020 को विमोचनीय	2,120.50	2,183.61	2,120.50	2,183.11
96वीं श्रृंखला— 8.80% सममूल्य पर दिनांक 26.10.2020 को विमोचनीय	1,150.00	1,193.96	1,150.00	1,193.81

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
184वीं—बी श्रृंखला एसटीआरपी—ए — 7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2020 को विमोचनीय	300.00	311.63	-	-
149वीं श्रृंखला— 6.87% सममूल्य पर दिनांक 24.09.2020 को विमोचनीय	2,485.00	2,573.44	2,485.00	2,572.86
135वीं श्रृंखला— 8.36% सममूल्य पर दिनांक 22.09.2020 को विमोचनीय	2,750.00	2,817.12	2,750.00	2,817.11
144वीं श्रृंखला— 7.13% सममूल्य पर दिनांक 21.09.2020 को विमोचनीय	835.00	840.30	835.00	840.00
172वीं श्रृंखला— 8.57% सममूल्य पर दिनांक 20.08.2020 को विमोचनीय	1,790.00	1,884.21	1,790.00	1,806.05
134वीं श्रृंखला— 8.37% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2020 को विमोचनीय	2,675.00	2,740.31	2,675.00	2,740.10
143वीं श्रृंखला— 6.83% सममूल्य पर दिनांक 29.06.2020 को विमोचनीय	1,275.00	1,289.46	1,275.00	1,289.08
148वीं श्रृंखला— 7.42% सममूल्य पर दिनांक 17.06.2020 को विमोचनीय	1,200.00	1,203.61	1,200.00	1,203.42
161वां ए श्रृंखला— 7.59% सममूल्य पर दिनांक 13.03.2020 को विमोचनीय	-	-	3,000.00	3,010.44
113वीं श्रृंखला— 8.87% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2020 को विमोचनीय	-	-	1,542.00	1,550.86
111—I श्रृंखला— 9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2019 को विमोचनीय	-	-	452.80	467.65
126वीं श्रृंखला— 8.56% सममूल्य पर दिनांक 13.11.2019 को विमोचनीय	-	-	1,700.00	1,755.25
125वीं श्रृंखला— 9.04% सममूल्य पर दिनांक 11.10.2019 को विमोचनीय	-	-	3,000.00	3,124.59
160वीं श्रृंखला— 7.77% सममूल्य पर दिनांक 16.09.2019 को विमोचनीय	-	-	1,450.00	1,510.68
108-II श्रृंखला— 9.39% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2019 को विमोचनीय	-	-	960.00	1,022.94
95—I श्रृंखला— 8.70% सममूल्य पर दिनांक 12.07.2019 को विमोचनीय	-	-	200.00	212.54
जोड़ — संस्थागत बॉण्ड	148,650.20	153,672.91	118,253.90	122,201.55

ii अवसंचरना बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
श्रृंखला-II (2011–12) — सममूल्य पर विमोचनीय	11.07	19.80	11.07	18.37
श्रृंखला-I (2010–11) — सममूल्य पर विमोचनीय	5.39	5.39	80.36	80.38
कुल— इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड	16.46	25.19	91.43	98.75

जारी किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों का विवरण इस प्रकार है:

15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला II (2011–12)

(₹ करोड़ में)

व्याज दर	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	विमोचन का विवरण
8.95% संचयी	5.73	5.73	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.95% वार्षिक	1.38	1.38	
9.15% संचयी	2.83	2.83	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
9.15% वार्षिक	1.13	1.13	
जोड़	11.07	11.07	

राशि को अंकित मूल्य पर दर्शाया गया है।

31.03.2011 को आबंटित श्रृंखला-I (2010–11)

(₹ करोड़ में)

व्याज दर	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	विमोचन का विवरण
8.00%	-	16.92	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 5/6/7/8/9 वर्ष के बाद बॉण्डधारक से पुनः खरीद का विकल्प
8.20%	-	58.04	
8.10%	1.61	1.61	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.20%	3.78	3.79	
Total	5.39	80.36	

राशि को अंकित मूल्य पर दर्शाया गया है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iii) जीरो कूपन बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार		31-03-19 के अनुसार	
	अंकित मूल्य *	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य *	परिशोधित मूल्य
जेडसीबी - श्रृंखला - II (अपरिशोधित निवल बहु पर 89,510 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 03.02.2021 को विमोचनीय हैं।)	250.29	250.14	230.11	229.95
जेडसीबी - श्रृंखला - I (अपरिशोधित निवल बहु पर 3,92,700 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 15.12.2020 को विमोचनीय हैं।)	1,114.56	1,113.77	1,029.46	1,028.61
कुल - जीरो कूपन बॉण्ड	1,364.85	1,363.91	1,259.57	1,258.56

* जीरो कूपन बॉण्ड्स के जारी होने पर अपरिशोधित निवल अंकित मूल्य को दर्शाता है।

(iv) विदेशी मुद्रा बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार		31-03-19 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
4.625% यूएस \$300 मिलियन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 22.03.2028 को विमोचनीय	2,261.58	2,035.23	2,075.14	1,848.33
3.875% यूएस \$450 मिलियन ग्रीन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 07.07.2027 को विमोचनीय	3,392.37	2,982.46	3,112.71	2,693.94
3.50% यूएस \$500 मिलियन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 12.12.2024 को विमोचनीय	3,769.30	3,795.87	-	-
3.375% यूएस \$650 मिलियन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 25.07.2024 को विमोचनीय	4,900.08	4,900.27	-	-
4.625% यूएस \$700 मिलियन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 13.11.2023 को विमोचनीय	5,277.01	5,329.61	4,841.99	4,882.85
3.068% यूएस \$400 मिलियन बॉण्ड - सममूल्य पर दिनांक 18.12.2020 को विमोचनीय	3,015.44	3,021.12	2,766.85	2,746.95
उप-जोड़ - विदेशी मुद्रा बॉण्ड	22,615.78	22,064.56	12,796.69	12,172.07

20.3 अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

(i) वाणिज्यिक दस्तावेज

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार		31-03-19 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
वाणिज्यिक दस्तावेज	2,925.00	2,889.68	7,975.00	7,696.32

बकाया वाणिज्यिक दस्तावेज का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार		31-03-19 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
57वीं श्रृंखला - 8.04% दिनांक 30.04.2019 को प्रतिदेय	-	-	2,750.00	2,732.99
58वीं श्रृंखला - 7.60% दिनांक 27.09.2019 को प्रतिदेय	-	-	1,875.00	1,808.27
59वीं श्रृंखला - 7.72% दिनांक 30.12.2019 को प्रतिदेय	-	-	2,350.00	2,222.86
60वीं श्रृंखला - 7.90% दिनांक 04.03.2020 को प्रतिदेय	-	-	1,000.00	932.20
63वीं श्रृंखला - 7.90% दिनांक 19.06.2020 को प्रतिदेय	675.00	664.69	-	-
64वीं श्रृंखला - 5.48% दिनांक 15.06.2020 को प्रतिदेय	2,250.00	2,224.99	-	-
कुल	2,925.00	2,889.68	7,975.00	7,696.32

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

21. उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियाँ के अलावा)

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी उधारियों (ऋण प्रतिभूतियाँ के अलावा) को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार		31-03-19 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
(क) प्रतिभूत दीर्घावधि उधारियाँ				
(i) अन्य से आवधिक ऋण – वित्तीय संस्थाएँ	-	-	200.00	207.33
उप-जोड़ (क)	-	-	200.00	207.33
(ख) अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियाँ				
(i) पट्टा देयताएँ	2.12	2.12	0.11	0.11
(ii) भारत सरकार से आवधिक ऋण	10,000.00	10,326.81	5,000.00	5,121.84
(iii) बैंकों से आवधिक ऋण	18,899.78	18,900.72	18,550.00	18,555.08
(iv) वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
(v) विदेशी मुद्रा उधारियाँ	21,762.71	21,579.29	17,637.62	17,450.46
(vi) एफसीएनआर (बी) ऋण	1,017.71	1,020.89	933.81	936.96
उप-जोड़ (ख)	52,682.32	52,829.83	43,121.54	43,064.45
(ग) अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियाँ				
(i) एफसीएनआर (बी) ऋण	5,955.49	5,964.91	3,389.39	3,390.76
(ii) बैंकों से मांग पर अल्पावधि ऋण / ऋण प्रतिदेय	2,754.86	2,755.92	-	-
उप-जोड़ (ग)	8,710.35	8,720.83	3,389.39	3,390.76
कुल- उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियाँ के अलावा) (क से ग)	61,392.67	61,550.66	46,710.93	46,662.54
भारत में / से बाहर उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियाँ के अलावा)				
(i) भारत में उधारियाँ	39,629.96	39,971.37	29,073.31	29,212.08
(ii) भारत से उधारियाँ	21,762.71	21,579.29	17,637.62	17,450.46
कुल - उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियाँ के अलावा	61,392.67	61,550.66	46,710.93	46,662.54

कृपया अंकित मूल्य में प्रतिविवित अंकड़ों और परिशोधित लागत के आंकड़ों के बीच पुनर्मिलान के लिए नोट संख्या 22.2 देखें, जिसमें अर्जित व्याज और परिशोधित खर्च शामिल हैं।

21.1 –प्रतिभूत दीर्घावधि उधारियों का विवरण – प्रतिभूति के विवरण के लिए टिप्पणी 21.6 का संदर्भ देंखें

(i) अन्य से प्रतिभूत आवधिक ऋण – वित्तीय संस्थाएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार		31-03-19 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
– भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)		-	200.00	207.33
जोड़ – अन्य से आवधिक ऋण – वित्तीय संस्थाएँ	-	-	200.00	207.33

21.2 अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियों के विवरण

(i) नेशनल स्माल सेविंग फंड (एनएसएसएफ) से अप्रतिभूत आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार		31-03-19 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
– नेशनल स्माल सेविंग फंड (एनएसएसएफ) से ऋण	10,000.00	10,326.81	5,000.00	5,121.84
13.12.2028 को ₹ 5000 करोड़ प्रतिदेय एवं 04.10.2029 को ₹ 5000 करोड़ प्रतिदेय				
जोड़ – सरकार से आवधिक ऋण	10,000.00	10,326.81	5,000.00	5,121.84

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ii) बैंकों से अप्रतिभूत आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार		31-03-19 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
- बैंक ऑफ बड़ौदा 12.12.2020 को ₹. 416.75 करोड़ प्रतिदेय, ₹ 12.12.2021 को 1041.75 करोड़ प्रतिदेय एवं 12.12.2022 को ₹ 1041.50 करोड़ प्रतिदेय	2,500.00	2,500.52	-	-
- कारपोरेशन बैंक * ऋण 6 अर्धवार्षिक किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त 06.09.2021 को देय है।	699.99	699.99	1,000.00	1,000.00
-एचडीएफसी बैंक 29.04.2020 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय, 29.09.2023 को ₹ 300 करोड़ प्रतिदेय, 11.10.2023 को ₹ 350 करोड़ प्रतिदेय, 06.11.2023 को ₹ 350 करोड़ प्रतिदेय, 15.01.2024 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय	2,000.00	2,000.42	2,000.00	2,000.46
-पंजाब नेशनल बैंक ₹ 2,000 करोड़ 3 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त 14.09.2021 को देय है।	1,999.99	1,999.99	3,500.00	3,500.00
-स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ₹ 5,000 करोड़ 3 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय तथा पहली किश्त 15.10.2021 को देय है, ₹ 2,300 करोड़ 5 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय तथा पहली किश्त 05.09.2020 को देय है।	7,299.92	7,299.92	7,300.00	7,300.00
-ओरिएंटल बैंक ऑफ कार्मस*ऋण 8 अर्ध-वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त 30.03.2022 को देय हो रही है।	399.88	399.88	750.00	750.00
-यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऋण 6 अर्ध-वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त 24.06.2022 को देय हो रही है।	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00
-सिंडिकेट बैंक*₹ 500 करोड़ 4 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय तथा पहली किश्त 28.08.2021 को देय है, ₹ 2,000 करोड़ 4 वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय तथा पहली किश्त 28.02.2022 को देय है।	2,500.00	2,500.00	-	-
-यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया*-बैंक ऑफ इंडिया	-	-	1,000.00	1,004.50
-केनरा बैंक	-	-	2,000.00	2,000.00
जोड़ - बैंकों से अप्रतिभूत आवधिक ऋण	18,899.78	18,900.72	18,550.00	18,555.08

* पंजाब नेशनल बैंक के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के विलय सिंडिकेट बैंक के केनरा बैंक के साथ विलय और इलाहाबाद बैंक के इंडियन बैंक के साथ विलय की अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 4 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या क्रमशः जी. एस. आर. 153(ई) जी.एस. आर. 154(ई) जी.एस. आर. 155(ई) और जी.एस. आर. 156(ई) के जरिए प्रकाशित की गई। ये विलय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हैं।

(iii) अन्य से अप्रतिभूत आवधिक ऋण – वित्तीय संस्थाएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार		31-03-19 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
- इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
04.06.2022 को प्रतिदेय				
जोड़ - अन्य से आवधिक ऋण – वित्तीय संस्थाएं	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iv) विदेशी मुद्रा उधारियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार		31-03-19 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
(1) ओडीए ऋण – भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत				
जेआईसीए ऋण – 0.75% जेआईसीए –I ऋण दिनांक 20.03.2021 तक छमाही किश्तों में प्रतिदेय, अगली किश्त दिनांक 20.09.2020 को देय ही रही है और 0.65% जेआईसीए –II ऋण 20.03.2023 तक छमाही किश्तों में प्रतिदेय, अगली किश्त 20.09.2020 को देय हो रही है।	99.46	99.48	131.40	131.43
2.89% के एफडब्ल्यू –II ऋण – 30.12.2020 तक € 3.88 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय कर दिया गया। अंतिम किश्त 30.06.2020 को भुगतान कर दी गयी।	64.60	65.03	120.87	121.66
1.86% के एफडब्ल्यू –III ऋण – 30.03.2024 तक € 5.26 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है, अगली किश्त 30.06.2020 को देय है।	393.41	393.52	449.87	449.13
उप जोड़ – (1)	557.47	558.03	702.14	702.22
(2) ओडीए ऋण – भारत सरकार गारंटीकृत के बिना				
6 एम यूएसडी एलआईबीओआर +0.13% के एफडब्ल्यू – IV ऋण – 15.11.2030 तक € 12.00 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है, अगली किश्त 15.11.2021 को देय है।	1,220.98	1,227.88	-	-
उप जोड़ – (2)	1,220.98	1,227.88	-	-
(3) द्विपक्षीय /सिंडिकेट ऋण				
यूएस \$75 मिलियन– 30.03.2025 को प्रतिदेय	565.39	554.38	-	-
एसजी \$72.07 मिलियन– 30.03.2025 को प्रतिदेय	380.80	367.22	-	-
यूएस \$100 मिलियन– दि01.07.2024 को प्रतिदेय	753.86	749.10	-	-
यूएस \$150 मिलियन– 29.03.2024 को प्रतिदेय	1,130.79	1,104.53	518.78	501.99
यूएस \$250 मिलियन– 27.03.2024 को प्रतिदेय	1,884.65	1,855.66	1,729.28	1,696.87
¥ 10,327.012 मिलियन–31.08.2023 को प्रतिदेय	719.28	700.98	645.65	624.64
यूएस \$250 मिलियन– 08.08.2023 को प्रतिदेय	1,884.65	1,877.67	1,729.28	1,721.63
यूएस \$150 मिलियन– 12.09.2022 को प्रतिदेय	1,130.79	1,121.92	-	-
यूएस \$200 मिलियन– 28.07.2022 को प्रतिदेय	1,507.72	1,494.21	1,383.43	1,365.67
यूएस \$230 मिलियन– 19.01.2022 को प्रतिदेय	1,733.88	1,702.97	1,590.94	1,551.91
यूएस \$100 मिलियन– 05.10.2021 को प्रतिदेय	753.86	745.81	691.71	678.55
यूएस \$240 मिलियन– 26.03.2021 को प्रतिदेय	1,809.26	1,793.23	1,660.11	1,631.60
यूएस \$160 मिलियन–26.03.2021 को प्रतिदेय	1,206.17	1,195.78	1,106.74	1,087.77
यूएस \$300 मिलियन– 29.07.2020 को प्रतिदेय	2,261.58	2,269.17	2,075.14	2,076.19
यूएस \$300 मिलियन–01.12.2020 को प्रतिदेय।	2,261.58	2,260.75	2,075.14	2,067.94
यूएस \$250 मिलियन– \$57.5 मिलियन 26.11.2017 को प्रदत्त एवं \$192.5 मिलियन 29.05.2019 को प्रतिदेय	-	-	1,331.55	1,346.66
यूएस \$57.50 मिलियन– 29.05.2019 को प्रदत्त	-	-	397.73	396.82
उप–जोड़: (3)	19,984.26	19,793.38	16,935.48	16,748.24
जोड़ –विदेशी मुद्रा उधारियाँ (1+2+3)	21,762.71	21,579.29	17,637.62	17,450.46

(v) एफसीएनआर (ख) ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार		31-03-19 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
यूएस \$135 मिलियन– यूएस \$60 मिलियन 04.09.2021 को प्रतिदेय तथा \$75 मिलियन दिनांक 22.10.2021 को प्रतिदेय	1,017.71	1,020.89	933.81	936.96
जोड़ –एफसीएनआर (ख) ऋण	1,017.71	1,020.89	933.81	936.96

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

21.3 अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियाँ

(प) एफसीएनआर (ख) ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार		31-03-19 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य
यूएस \$100 मिलियन— यूएस \$25 मिलियन 30.09.2020 को प्रतिदेय एवं यूएस \$75 मिलियन 22.01.2021 को प्रतिदेय	753.86	753.86	-	-
यूएस \$140 मिलियन—13.01.2021 को प्रतिदेय	1,055.40	1,055.51	-	-
यूएस \$100 मिलियन—21.12.2020 को प्रतिदेय	753.86	753.92	-	-
यूएस \$100 मिलियन—03.12.2020 को प्रतिदेय	753.86	753.93	-	-
यूएस \$200 मिलियन— 21.09.2020 को प्रतिदेय	1,507.72	1,512.87	-	-
यूएस \$150 मिलियन— 25.06.2020 एवं 25.06.2020 को दो किश्तों में प्रतिदेय	1,130.79	1,134.82	-	-
यूएस \$140 मिलियन—11.01.2020 को प्रदत्त	-	-	1,037.57	1,037.97
यूएस \$100 मिलियन—19.12.2019 को प्रदत्त	-	-	691.71	691.99
यूएस \$100 मिलियन—09.12.2019 को प्रदत्त	-	-	691.71	692.00
यूएस \$150 मिलियन—31.08.2019 को प्रदत्त	-	-	968.40	968.80
जोड़ —एफसीएनआर (ख) ऋण	5,955.49	5,964.91	3,389.39	3,390.76

21.4 टिप्पणी संख्या 21.1 (i) एवं 21.2 (i) से (iii) में उल्लिखित है कि सरकार/बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण 7.02% से 8.29% मासिक, तिमाही एवं अर्धवार्षिक ब्याज दरों पर प्रतिदेय है।

21.5 टिप्पणी संख्या 21.2 (ख)(iv)(3) में विदेशी मुद्रा उधार 6 माह के अमेरिकी डॉलर/जेपीवाई एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक द्वारा पेशकश की गई दर) के लिए 65 बीपीएस से 150 बीपीएस की ब्याज दर पर लिए गए हैं।

21.6 सुरक्षित ऋण प्रतिभूतियों और उधार के सुरक्षा विवरण कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षित बॉण्ड और जो तूलन पत्र की तारीख के अनुसार बकाया हैं, के लिए, कुछ अचल संपत्तियों पर बंधक के माध्यम से और/या कंपनी की प्राप्तियों पर शुल्क लगाकर 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड सीरीज 123—I और 123-III बीको विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति पर पहले समरूप प्रभार और जारीकर्ता के बुक ऋण जो अन्य ऋणदाता / ट्रस्टी से प्रभारित किए जाते हैं और जो आईटीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में देय ब्याज की राशि और हर समय बकाया बॉण्ड की राशि के एकीकृत अंकित मूल्य के एकबारगी न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथबॉण्ड ट्रस्ट डीड की शर्तों के अनुसार जारीकर्ता और ट्रस्टी के बीच यथास्वीकृत किए जाते हैं, केमा/यम से सुरक्षित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बांडों को शॉप नंबर 12, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक नंबर 35, चर्च रोड, मायलापुर, चेन्नई में परिसर में प्रथम समरूप (पारीपासु) प्रभार और विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड (जिसे पूर्व में आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के रूप में जाना जाता रहा है) के पक्ष में एमएसईसीडीएल की 4,998.66 करोड़ रुपए की प्राप्तियों के अनुमान द्वारा सुरक्षित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉन्ड्स को एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में कंपनी के बही ऋणों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित किए जाते हैं, से इतर) पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 और 2015–16 के दौरान जारी की गई 54 ईसी कैपिटल गेन टैक्स एगजेशन बॉण्ड और टैक्स फ्री बॉन्ड्स की बॉण्ड सीरीज XI, XII और XIII को (क) उप-प्लॉट नंबर 8, टीपीएस नंबर 2, एफपी नंबर 584 पी, ग्राम – सुभानपुरा, जिला वडोदरा स्थित परिसरों के बंधक और (ख) एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में प्राप्तियों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) के अनुमान पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई प्राप्तियों और संपत्ति, प्लांट और उपस्कर (पीपीई) के मूल्य के लिए नोट संख्या 10 और 16.2 देखें।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

22 अधीनस्थ देयताएं

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(i) 175वीं श्रृंखला – अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स – 8.97% सममूल्य पर 28.03.2029 को विमोचनीय	2,151.20	2,151.86	2,151.20	2,151.24
(ii) 115वीं श्रृंखला / अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स / 8.06% सममूल्य पर 31.05.2023 को विमोचनीय जोड़ / अधीनस्थ देयताएं	2,500.00	2,667.79	2,500.00	2,667.52
भारत के बाहर / में अधीनस्थ देयताएं	4,651.20	4,819.65	4,651.20	4,818.76
(i) भारत में उधारियाँ	4,651.20	4,819.65	4,651.20	4,818.76
(ii) भारत के बाहर उधारियाँ	-	-	-	-
जोड़ – अधीनस्थ देयताएं	4,651.20	4,819.65	4,651.20	4,818.76

22.1 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग तथा वर्ष के दौरान रेटिंग में बदलाव

घरेलू क्रेडिट रेटिंग

विवरण	दीर्घावधि दरें	अल्पावधि दरें
क्रिसिल	क्रिसिल एएए	क्रिसिल ए1+
इक्रा	इक्रा एएए	इक्रा ए1+
केयर	केयर एएए	केयर ए1+
इंडिया रेटिंग्स और रिसर्च	आईएनडी एएए	इंड ए1+

अंतराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

विवरण	रेटिंग
फिचर रेटिंग	बीबीबी-
मूडीज	बीएए3

वर्ष के दौरान रेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

22.2 उधारियों के संबंध में वहनीय मूल्य और बकाया वास्तविक राशि के बीच सामंजस्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋण प्रतिभूतियाँ	अन्य उधारियाँ	अधीनस्थ देयताएं	कुल
31 मार्च 2020 के अनुसार				
भारतीय— लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	219,918.25	61,550.66	4,819.65	286,288.56
घटाएँ: भारतीय— लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(6,872.67)	(392.52)	(170.57)	(7,435.76)
जोड़ें: प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर अंतरण लागत के संबंध में भारतीय— लेखांकन मानक समायोजन	976.01	234.53	2.12	1,212.66
कुल बकाया उधारियाँ	214,021.59	61,392.67	4,651.20	280,065.46
31 मार्च 2019 के अनुसार				
भारतीय— लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	192,767.51	46,662.54	4,818.76	244,248.81
घटाएँ: भारतीय— लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(6,060.00)	(207.10)	(169.96)	(6,437.06)
जोड़ें: प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर अंतरण लागत के संबंध में भारतीय— लेखांकन मानक समायोजन	1,146.37	255.49	2.40	1,404.26
कुल बकाया उधारियाँ	187,853.88	46,710.93	4,651.20	239,216.01

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

22.3 कंपनी बैंकों / वित्तीय संस्थानों / सरकार से सावधि ऋणों के मिश्रण और ऋण प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से विभिन्न अवधियों बॉण्ड के माध्यम से विभिन्न मुद्राओं में धन जुटाती है। वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि का उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज / सूचना ज्ञापन में बताई गई वस्तुओं (प्रयोजनों) के लिए किया गया है। इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों, उधारियों और अधीनस्थ देनदारियों के पुनर्भुगतान में तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार कोई चूक नहीं हुई है और कंपनी ने अपने सभी ऋण चुकाने संबंधी सभी बाध्यताओं को पूरा किया है, चाहे वे वर्ष के दौरान मूलधन या ब्याज से संबंधित क्यों न रही हों।

23 अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(क) अप्रदत्त लाभांश	4.75	4.15
(ख) वापसी योग्य बॉण्ड आवेदन राशि तथा इस पर उपचित ब्याज	-	0.05
(ग) अप्रदत्त मूलधन एवं बॉण्डों पर ब्याज		
—परिपक्व बॉण्ड एवं उन पर उपचित ब्याज	39.13	39.52
—बॉण्डों पर ब्याज	17.97	15.91
उप—जोड़ (ग)	57.10	55.43
(घ) सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां (संचयी)	85,431.74	77,717.88
जोड़: सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज (वापसी का निवल)	31.96	42.57
घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित (संचयी)	(83,684.07)	(76,903.42)
सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरित की जाने वाली असंवितरित निधि	1,779.63	857.03
(च) भारत सरकार द्वारा पूर्णतया सेवा प्रदत्त बाण्ड्स हेतु देय	21,792.32	17,996.06
(छ) निधिपोषित कार्यक्रम हितलाभों के लिए देय राशियां	0.38	31.78
(ज) अन्य देयताएं	148.03	282.57
जोड़ (क से ज तक)	23,782.21	19,227.07

23.1 बॉण्डों पर भुगतान न किए गए लाभांश, मूलधन और ब्याज में वे राशियां शामिल हैं जो या तो निवेशकों द्वारा दावा नहीं की गई हैं या निवेशकों के दावों आदि से संबंधित लबित औपचारिकताओं के कारण रुकी हुई हैं। 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ)में हस्तांतरित होने के लिए देय राशि ₹ 0.47 करोड़ (31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.54 करोड़) है जो कि निर्धारित समय सीमा के भीतर रखानांतरित कर दी गई है।

23.2 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत सब्सिडी:

कंपनी एक ब्याज संबंधी सब्सिडी निधि खाते का रखरखाव कर रही है तथा उसे पात्र योजनाओं की वास्तविक प्रतिदेय समय अनुसूची, ऋण स्थगन वर्ष और प्रतिदेय अवधि की परवाह किए बिना भारत सरकार के पत्र सं. अ.शा. 32024/17/97—पीएफसी दिनांक 23.09.1997 तथा ओ.एम.सं. 32024/23/2001—पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों एवं वर्ष के अनुसार परिकल्पित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार द्वारा एजी एवं एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरण हेतु) दी गयी थी। आहरण के समय विचार में ली गयी विनिर्दिष्ट दर एवं वर्ष और वास्तविक के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं के समाप्त होने के पश्चात ही सुनिश्चित किया जा सकेगा।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.69 करोड़ (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.63 करोड़) की निवल राशि ब्याज सब्सिडी निधि की शेष राशि को निरूपित करती है, जिसे त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत उधारकर्ताओं को भविष्य में उत्पन्न होने वाली उनकी ब्याज देयता के लिए दी जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के समाप्त वर्ष	31.03.2019 के समाप्त वर्ष
ब्याज सब्सिडी निधि का आरंभिक शेष	0.63	0.53
जोड़: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	0.06	0.11
घटाएं: उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी सहायता	-	0.01
ब्याज सब्सिडी निधि का वर्ष के अंत में शेष	0.69	0.63

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

23.3 भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के क्रियान्वयन के लिए आरईसी लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों का संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियों पृथक बैंक खाते में रखी जाती है। स्कीम (पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों सहित) की असंवितरित निधियों को उन पर अर्जित ब्याज सहित शीर्ष "असंवितरित सब्सिडी / के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

23.4 वर्ष की सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज का संचलन निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

विवरण	31.03.2020 के समाप्त वर्ष	(₹ करोड़ में)	31.03.2019 के समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष	42.57		24.41
जोड़े: वर्ष के दौरान अर्जित व्यय	50.10		93.70
घटाएँ: वर्ष के दौरान सरकार को वापस की गई राशि	60.71		75.53
घटाएँ: एजी एवं एसपी अनुदान के खाते पर अर्जित ब्याज में से संवितरण	-		0.01
वर्ष के अंत में शेष	31.96		42.57

23.5 वर्ष के दौरान डीडीयूजीजेवाई स्कीम के लिए भारत सरकार की निधियन आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर सममूल्य 10 लाख ₹ के अंकित मूल्य के डिब्बेचर के रूप में अप्रतिभूत, विमोचन, अपरिवर्तनीय, कर योग्य बॉण्ड के माध्यम से कुल ₹ 3,782.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 13,827 करोड़) राशि जुटाई गई है। दिनांक 9 सितंबर, 2019 को विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के पत्र के अनुसार उपर्युक्त बॉण्ड के मूल और ब्याज के अदायगी, विद्युत मंत्रालय की मांग पर भारत सरकार द्वारा बजट प्रावधान में की जाएगी। तदनुसार ब्याज के साथ-साथ इस प्रकार के बॉण्ड की राशि भी कंपनी द्वारा भारत सरकार से वसूली योग्य राशि के रूप में शामिल की गई है (टिप्पणी 12)।

भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवाप्रदत्त जुटाये गए बॉण्ड्स का विवरण निम्नलिखित है:

विवरण	कूपन दर	ब्याज की आवृत्ति	विमोचन का दिनांक	31.03.2020 के अनुसार	(₹ करोड़ में)	31.03.2019 के अनुसार
जीओआई -I श्रृंखला	8.09%	अर्द्ध- वार्षिक	21-3-2028	1,837.00		1,837.00
जीओआई -II श्रृंखला	8.01%	अर्द्ध- वार्षिक	24-3-2028	1,410.00		1,410.00
जीओआई -III श्रृंखला	8.06%	अर्द्ध- वार्षिक	27-3-2028	753.00		753.00
जीओआई -IV श्रृंखला	8.70%	अर्द्ध- वार्षिक	28-9-2028	3,000.00		3,000.00
जीओआई -V श्रृंखला	8.54%	अर्द्ध- वार्षिक	15-11-2028	3,600.00		3,600.00
जीओआई -VI श्रृंखला	8.80%	अर्द्ध- वार्षिक	22-1-2029	2,027.00		2,027.00
जीओआई -VII श्रृंखला	8.60%	अर्द्ध- वार्षिक	8-3-2029	1,200.00		1,200.00
जीओआई -VIII श्रृंखला	8.30%	अर्द्ध- वार्षिक	25-3-2029	4,000.00		4,000.00
जीओआई -IX श्रृंखला	7.14%	अर्द्ध- वार्षिक	2-3-2030	1,500.00		-
जीओआई -X श्रृंखला	8.25%	अर्द्ध- वार्षिक	26-3-2030	532.30		-
जीओआई -XI श्रृंखला	7.20%	अर्द्ध- वार्षिक	31-3-2030	1,750.00		-
जोड़				21,609.30		17,827.00

24. प्रावधान

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	(₹ करोड़ में)	31.03.2019 के अनुसार
निम्न के लिए प्रावधान			
(क) कार्मिक हितलाभ			
अर्जित अवकाश देयता	16.22		11.80
चिकित्सा अवकाश देयता	21.87		21.67
निपटान भत्ता	1.60		1.42
आर्थिक पुनर्वास योजना	4.25		3.69
दीर्घ सेवा अवार्ड	1.89		1.24
प्रोत्साहन	52.57		46.99
वेतन पुनर्निर्धारण	-		13.06
लॉयल्टी बोनस	0.31		0.37
उप-जोड़ (क)	98.71		100.24
(ख) अन्य			
सुविधा पत्र पर अपेक्षित क्रेडिट हानि	8.38		-
उप-जोड़ (ख)	8.38		-
जोड़ (क+ख)	107.09		100.24

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

24.1 सुविधा पत्र पर अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के समाप्त वर्ष	31.03.2019 के समाप्त वर्ष
आरभिक शेष	-	0.16
जोड़ें: वर्ष के दौरान सुजित	8.38	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापस किया गया / समायोजित किया गया	-	(0.16)
वर्ष के अंत में शेष	8.38	-

25. अन्य गैर – वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के समाप्त वर्ष	31.03.2019 के समाप्त वर्ष
(क) अग्रिम रूप से प्राप्त आय	0.15	2.63
(ख) सुझी देयताओं का लेखा (ब्याज पूँजीकरण)	6.57	21.99
(ग) असंवितरित ऋणों पर अपरिशोधित शुल्क	46.15	25.76
(घ) भारत सरकार की तरफ से सरकारी योजनाओं के संबंध में अग्रिम प्राप्त	4.14	16.20
(च) सांविधिक देय	24.74	37.31
(छ) अन्य देयताएं	1.48	0.71
जोड़ (क से छ)	83.23	104.60

26. इकिवटी शेयर पूँजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019–20		वित्तीय वर्ष 2018–19	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत:				
प्रत्येक ₹ 10 के इकिवटी शेयर	5,000,000,000	5,000.00	5,000,000,000	5,000.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त:				
प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णतः प्रदत्त इकिवटी शेयर	1,974,918,000	1,974.92	1,974,918,000	1,974.92
जोड़	1,974,918,000	1,974.92	1,974,918,000	1,974.92

26.1 वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का सार्वजनिक

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019–20		वित्तीय वर्ष 2018–19	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
वर्ष के प्रारंभ में पूँजीगत शेयरों की संख्या	1,974,918,000	1,974.92	1,974,918,000	1,974.92
जोड़े: वर्ष के दौरान जारी एवं आवंटित बोनस शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में पूँजीगत शेयरों की संख्या	1,974,918,000	1,974.92	1,974,918,000	1,974.92

26.2 पिछले वर्ष और पिछले पांच वर्षों के दौरान बोनस शेयरों का आबटन

वित्तीय वर्ष 2016–17 को छोड़कर, जब कंपनी ने बोनस शेयरों के द्वारा पूर्णतया प्रदत्त के रूप में 98,74,59,000 इकिवटी शेयर आवंटित किए थे, पिछले वर्ष और पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी बोनस शेयर जारी नहीं किया गया था।

26.3 कंपनी ने नकद में प्राप्त किए जा रहे भुगतान के बिना ठेके के अनुसरण में न तो कोई इकिवटी शेयर जारी किया है और न ही वर्तमान वर्ष और तुलन–पत्र की तिथि के पूर्व के पांच वर्षों में शेयरों की कोई बायबैक की है।

26.4 इकिवटी शेयर के अधिकार, वरीयता और प्रतिबंध

कंपनी के इकिवटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें आनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को, कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों (लागू सीमा में), कंपनी अधिनियम, 1956 (लागू सीमा में), सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और संस्था के ज्ञापन तथा एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार ऐसे सभी अधिकार प्राप्त हैं।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

26.5 तुलन पत्र की तिथि के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त इकिवटी शेयरों के 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारक:

शेयरधारकों के नाम	31-03-2020 के अनुसार	31-03-2019 के अनुसार		
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	1,039,495,247	52.63%	1,039,495,247	52.63%
एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी ए/सी एचडीएफसी हाइब्रिड ऋण निधि	139,425,284	7.06%	114,683,937	5.81%

26.6 अनुषंगी और संबद्ध कंपनियों सहित कंपनी द्वारा धारित इकिवटी शेयरों का विवरण

शेयरधारकों के नाम	31-03-2020 के अनुसार	31-03-2019 के अनुसार		
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	1,039,495,247	52.63%	1,039,495,247	52.63%

27. अन्य इकिवटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2020 के अनुसार	31-03-2019 के अनुसार
(क) अन्य आरक्षित निधि		
(i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	16,659.10	15,136.78
(ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	2,992.83	3,034.72
(iii) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45—आईसी के अधीन आरक्षित निधि	2,131.00	1,153.00
(iv) डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि	-	1,318.13
(v) प्रतिभूति प्रीमियम	2,236.54	2,236.54
(vi) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता	(1,719.38)	(764.82)
(vii) पूँजी आरक्षित निधि	4.70	-
(viii) सामान्य आरक्षित निधि	6,976.23	5,230.54
(ix) इंपेयरमेंट आरक्षित निधि	793.29	-
(ख) बरकरार रखा गया अर्जन	3,674.25	5,088.19
(ग) अन्य व्यापक आय (ओसीआई)		
—इकिवटी मेथड हेतु लेखाकृत संयुक्त उपक्रमों के अन्य व्यापक आय / (हानि) का शेयर	(2.48)	1.46
—अन्य व्यापक आय के माध्यम से इकिवटी लिखते	106.26	136.88
—नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग	(226.08)	-
—हेजिंग रिजर्व की लागत	(204.75)	-
जोड़ — अन्य इकिवटी (क+ख+ग)	33,421.51	32,571.42

'अन्य इकिवटी' के घटक में जोड़ या कटौती का प्रकटन 'इकिवटी में परिवर्तन के विवरण' में किया गया है।

27.1 आरक्षित निधि से झ्रॉ-डाउन

विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाए गए आरक्षित भंडार के सांविधिक परिवर्तनों और सदुपयोग के लिए कंपनी ने वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न आरक्षित निधियों निम्नलिखित राशियों को सामान्य आरक्षित निधियों में स्थानांतरित कर दिया है:

(क) कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2019 को जारी की गई अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 574(ई) के अनुक्रम में डिबेंचर रिडेप्शन रिजर्व (डीआरआर) से ₹ 1,367.27 करोड़। नोट संख्या 27.5 देखें।

(ख) ऋण और परिसंपत्तियों पर वास्तविक राइट-ऑफ के कारण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viiए) (ग) के तहत अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों के लिए आरक्षित निधि से ₹ 378.41 करोड़।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आरक्षित निधियों में से कोई भी राशि आहरित नहीं की गई है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

27.2 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार, कंपनी दीर्घावधि वित्तीय क्रियाकलाप से प्राप्त होने वाले लाभ का अधिकतम 20 प्रतिशत तक कठौती के लिए पात्र है बशर्ते ऐसी राशि का अंतरण तथा उसे विशेष रिजर्व खाते में अंकित किया गया हो।

27.3 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए रिजर्व, कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अनुसार कंपनी आयकर अधिनियम के अनुसार कुल आय का अधिकतम पांच प्रतिशत तक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए किसी प्रावधान/रिजर्व के संबंध में कठौती प्राप्त करने के लिए पात्र है। इस प्रकार से रखे गए रिजर्व का प्राथमिक रूप से उपयोग वास्तविक अशोध्य ऋण अथवा उसके किसी हिस्से के समायोजन के लिए किया जाएगा।

27.4 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934की धारा 45—आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधियां

कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45—आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधियों की आवश्यकता के अनुसार आरक्षित निधियों का निर्माण कर रही है, जिसमें लाभांश की घोषणा से पहले निबल लाभ के कम से कम 20% के बराबर की राशि अंतरित किया जाना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय—समय पर यथाविनिर्दिष्ट किए जा रहे उद्देश्यों को छोड़कर आरक्षित निधि से कोई विनियोग करने की अनुमति नहीं है और इसके अलावा, इस तरह के किसी भी विनियोग के बारे में ऐसे आहरण की तारीख से 21 दिन के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया जाना आवश्यक है।

27.5 डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71(4) के प्रावधानों, जिसे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई कंपनी (शेयर पूँजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 द्वारा और अधिक स्पष्ट किया गया है, के अनुसार कंपनी ने इस तरह के डिबेंचर की परिपक्वता अवधि के दौरान वर्तमान सेवा (ऋण प्रतिभूतियों का जारी करना और सूचीकरण) विनियम, 2008 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण के माध्यम से जारी किए गए डिबेंचरों के मूल्य के 25: तक के बराबर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) बनाया और निजी तौर पर नियोजित डिबेंचरों के मामले में कोई डीआरआर आवश्यक नहीं है। हालांकि, वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के बाद, कंपनी को कंपनी (शेयर पूँजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 के नियम 18 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 के अनुक्रम में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) बनाने की आवश्यकता नहीं है।

27.6 प्रतिभूति प्रीमियम

प्रतिभूति प्रीमियम कंपनी द्वारा शेयरों और ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाता है। इसका प्रयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

27.7 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता

कंपनी ने पूर्ववर्ती लागू लेखांकन मानक 11 'विदेशी विनियम दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के पैरा 46क के अनुसार ऐसी मदों की बकाया अवधि में लंबी अवधि की विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा विनियम दरों में उतार-चढ़ाव से नुकसान/लाभ के मोचन के लिए एक रिश्तर (अपरिवर्तनीय) विकल्प चुना था। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एस) के प्रावधानों के अनुरूप 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनियम अंतर के संबंध में पूर्ववर्ती जीएपी के अनुसार इस तरह के माचन (रिडेम्पशन) की नीति को जारी रखने का विकल्प चुना। इस खाते में बकाया राशि मोचित लाभ/(हानि) का प्रतिनिधित्व करती है, जो पात्र दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देनदारियों की बकाया अवधि में मोचित किया जाएगा।

27.8 सामान्य आरक्षित निधि (रिजर्व)

सामान्य रिजर्व में कंपनी के मुनाफे से विनियोजित राशि और साथ ही सांविधिक आरक्षित निधियों से हस्तांतरित राशि भी शामिल होती है। कंपनी अधिनियम, 1956 के तत्कालीन प्रावधानों के मैनेजर, कंपनी ने लाभांश की घोषणा से पहले मुनाफे का कुछ प्रतिशत सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित कर दिया था। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 लाभांश की घोषणा से पहले आरक्षित निधि में मुनाफे के अंतरण को अनिवार्य नहीं बनाता है।

27.9 क्षतिपूर्ति आरक्षित निधि

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एनबीएफसी द्वारा 'भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन' के संबंध में दिनांक 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या डीओआर (एनबीएफसी), सीसी. पीडी. सं. 109 / 22.10.106 / 2019-20 जारी की। उपर्युक्त परिपत्र के संदर्भ में, यदि भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) 109 के तहत क्षतिपूर्ति भत्ता आरबीआई द्वारा जारी किए गए आय निर्धारण, परिसम्पत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) शर्तों (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान की तुलना में कम है, तो कंपनी को कर के बाद उनके निबल लाभ से अंतर को "क्षतिपूर्ति आरक्षित निधि" में विनियोजित करना आवश्यक है। पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई से पूर्व अनुमति के बिना इस आरक्षित निधि (रिजर्व) से कोई निकासी की अनुमति नहीं है। क्षतिपूर्ति भत्ते और आईआरएसीपी की शर्तों के तहत किए गए प्रावधान के बीच तुलना के संदर्भ में प्रकटन के लिए नोट 50.1.3 (डब्ल्यू) देखें।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

27.10 अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से इकिवटी लिखत

कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से इकिवटी प्रतिभूतियों में कछु निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन को मान्यता देने का विकल्प चुना है। ये परिवर्तन इकिवटी के भीतर ओसीआई की आरक्षित निधि में संचित किए जाते हैं। जब संबंधित इकिवटी प्रतिभूतियों को मान्यता नहीं दी जाती है तो समूह इस आरक्षित निधि से राशियों को रखी गई में अंतरित करता है।

27.11 नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार पर जुड़े ब्याज दर से जुड़े जोखिम के प्रबंधन के लिए व्युत्पन्न लिखतों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर के जोखिम को कम करने के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा वादा संविदाओं, क्रॉस करेंसी स्वैप, विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। हेज लेखांकन के तहत निर्धारित व्युत्पन्न संविदाएं जिस सीमा तक प्रभावी हेज होती हैं, हेजिंग लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'कैश फ्लो हेजिंग रिजर्व' में मान्यता दी जाती है। ऐसी आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ या हानि विवरण में तब पुनः वर्गीकृत किया जाता है जब हेज किए गए आइटम लाभ या हानि को प्रभावित करता है।

27.12 हेजिंग रिजर्व की लागत

कंपनी 'कैश फ्लो हेज' संबंधों में हेजिंग लिखत के रूप में विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं के आंतरिक मूल्य को निर्धारित करती है। किसी विकल्प के समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है और एक तर्कसंगत आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में ऋणमोचित (एमोर्टाइज) किया जाता है।

27.13 कंपनी द्वारा प्रत्येक ₹ 10/- के इकिवटी शेयरों के लिए प्रस्तावित/घोषित लाभांश

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष		31.03.2019 को समाप्त वर्ष	
	प्रति इकिवटी शेयर लाभांश (₹)	लाभांश राशि (₹ करोड़ में)	प्रति इकिवटी शेयर लाभांश (₹)	लाभांश राशि (₹ करोड़ में)
आंतरिक लाभांश	11.00	2,172.41	11.00	2,172.41
वर्ष के लिए कुल लाभांश	11.00	2,172.41	11.00	2,172.41

28. ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष			31.03.2019 को समाप्त वर्ष		
	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अनुमान	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों अनुमान	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अनुमान	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अनुमान	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों अनुमान	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अनुमान
(क) ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज						
(i) दीर्घावधि वित्तपोषण	-	29,245.18	-	-	24,405.17	-
घटाएं: समय पर अदायगी/ कार्य पूरा करने आदि के लिए छट	-	(0.08)	-	-	(6.11)	-
दीर्घावधि वित्तपोषण (निवल)	-	29,245.10	-	-	24,399.06	-
(ii) अल्पावधि वित्तपोषण	-	177.23	-	-	328.84	-
उप-जोड़ (क)	-	29,422.33	-	-	24,727.90	-
(ख) निवेशों पर ब्याज आय						
(i) सीपी/ आईसीडी पर ब्याज	-	0.21	-	-	0.67	-
(ii) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	-	1.89	-	-	9.43	-
(iii) दीर्घावधि निवेशों पर ब्याज	-	3.14	169.75	-	18.01	168.25
उप-जोड़ (ख)	-	5.24	169.75	-	28.11	168.25
(ग) बैंकों के पास जमाओं पर ब्याज						
(i) डिपॉजिट पर ब्याज	-	66.27	-	-	51.81	-
उप-जोड़ (ग)	-	66.27	-	-	51.81	-
(घ) अन्य आय पर ब्याज						
(i) कार्मिकों को दिए गए अग्रिमों पर ब्याज	-	4.45	-	-	3.89	-
(ii) मोबालाइजेशन अग्रिमों पर ब्याज	-	2.39	-	-	2.80	-
(iii) अनविच्छिन्न ऑफ डिस्काउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स	-	0.08	-	-	0.09	-
(iv) एसपीवी पर ब्याज	-	1.27	-	-	0.77	-
उप-जोड़ (घ)	-	8.19	-	-	7.55	-
जोड़ (क से घ)	-	29,502.03	169.75	-	24,815.37	168.25

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

29. लाभांश आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
-दीर्घावधि निवेशों से लाभांश	36.94	20.38
जोड़—लाभांश आय	36.94	20.38

29.1 एफवीओसीआई में नामोदिष्ट इकिवटी निवेशों पर मान्य लाभांश का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
निम्न पर लाभांश:		
-वर्ष के अंत में धारित निवेशों पर	36.94	20.14
-वर्ष के दौरान अमान्य किए गए निवेशों पर	-	0.24
जोड़	36.94	20.38

30. शुल्क एवं कमीशन आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
शुल्क आधारित आय	6.68	2.78
पूर्व अदायगी प्रीमियम	12.75	139.29
सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शुल्क	19.52	83.02
जोड़— शुल्क एवं कमीशन आय	38.95	225.09

31. सेवा की बिक्री

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग सर्विसेज	166.80	149.72
आईटी कार्यान्वयन परियोजनाओं का निष्पादन	7.68	19.42
आरईसी से आय — यूई ग्राम परियोजना	7.63	-
प्रलेखन शुल्क	-	0.79
कुल— सेवा की बिक्री	182.11	169.93

32. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
-रिटेन बैंक प्रावधान/देयताएं	-	10.83
-प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से शुल्क	6.38	8.69
-आयकर वापसी से ब्याज	2.85	-
-दीर्घावधि के बिक्री पर लाभ	3.16	-
-विविध आय	64.88	12.79
जोड़— अन्य आय	77.27	32.31

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

33. वित्तीय लागतें

वित्तीय लागतें वित्तीय देयताओं पर खर्च की गई हैं और इनका मापन परिशोधित लागत पर किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(i) ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज		
—घरेलू ऋण प्रतिभूतियां	13,923.95	12,965.67
—विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां	698.20	441.83
—वाणिज्यिक दस्तावेज	463.66	402.84
उप-जोड़ (i)	15,085.81	13,810.34
(ii) उधारियों पर ब्याज		
—भारत सरकार से ऋण	612.97	121.84
—बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण	1,725.10	594.30
—बाह्य वाणिज्यिक दस्तावेज	1,073.79	914.19
—पट्टा देयता	0.29	-
उप-जोड़ (ii)	3,412.15	1,630.33
(iii) अधीनस्थ देयताओं पर ब्याज		
—अधीनस्थ बॉण्ड	395.36	203.25
उप-जोड़ (iii)	395.36	203.25
(iv) अन्य ब्याज व्यय		
—स्वैप प्रीमियम	108.83	-
—आय कर पर ब्याज	0.21	3.70
—कर्मचारी लाभ के प्रति देयता पर ब्याज	4.60	-
—विविध ब्याज व्यय	0.13	2.95
उप-जोड़ (iv)	113.77	6.65
जोड़ — वित्तीय लागतें	19,007.09	15,650.57
घटाएः पूँजीकृत वित्तीय लागत	(15.79)	(11.37)
जोड़— वित्तीय लागतें (निवल)	18,991.30	15,639.20

34. निवल ट्रांसलेशन/लेन-देन विनिमय हानि / (लाभ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
निवल ट्रांसलेशन / लेन-देन विनिमय हानि / (लाभ)	2,357.90	521.19
जोड़	2,357.90	521.19

उपरोक्त आंकड़ों में 1 अप्रैल 2018 से पहले 675.95 करोड़ (पिछले वर्ष 726.35 करोड़) की राशि को वित्तीय विवरणों में मान्यता दिए गए दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर निवल परिवर्तन / लेनदेन विनिमय हानि/(लाभ) का मोबान शामिल है।

34.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान एफबीआईएल (फाइनेंशियल बैंचमार्क इंडिया लिमिटेड) की संदर्भ दरों पर अंतरित की जाती हैं अथवा जहां एफबीआईएल संदर्भ दरों किसी मुद्रा के लिए उपलब्ध न हों, वहां ल्लूमबर्ग पर उल्लिखित उसी दर के लिए अंतिम दर पर अंतरित की जाती है। रिपोर्ट करने की तारीख को संबंधित दरों निम्नलिखितानुसार हैं:

विनिमय दरों	यूएसडी / आईएनआर	जेपीवाई / आईएनआर	यूरो / आईएनआर	एसजीडी / आईएनआर
31 मार्च 2020 के अनुसार	75.3859	0.6965	83.0496	52.8342
31 मार्च 2019 के अनुसार	69.1713	0.6252	77.7024	51.1422

35. शुल्क एवं कमीशन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(i) गारंटी शुल्क	13.29	11.06
(ii) सूचीकरण एवं ट्रस्टीशिप शुल्क	1.51	1.67
(iii) एजेंसी शुल्क	1.66	0.78
(iv) क्रेडिट रेटिंग व्यय	3.05	2.85
(v) अन्य वित्तीय प्रभार	5.93	18.02
जोड़ (i से v)	25.44	34.38

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

36. उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल प्राप्ति / (हानि)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(क) लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय उपस्कर्तों पर निवल प्राप्ति / (हानि)		
(i) ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर	-	-
(ii) अन्य		
–व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तन	(47.72)	(351.52)
–एफवीटीपीएल निवेशों के उचित	6.40	-
–म्यूचुअल फंड में अतिरिक्त निधि के अल्पावधि निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन	15.47	3.00
उप-जोड़ (ii)	(25.85)	(348.52)
जोड़ (क)	(25.85)	(348.52)
उचित मूल्य परिवर्तनों का ब्यौरा		
–वसूली की गयी	(60.07)	(619.05)
–वसूली नहीं वसूली की गयी	34.22	270.53
उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल प्राप्ति / (हानि)	(25.85)	(348.52)

इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन उनसे इतर हैं जो उपार्जित ब्याज आय / व्यय के कारण उत्पन्न होते हैं और ये ऐसी मितव्ययी हेजेज के रूप में नामित व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हेज अकाउंटिंग और अप्रभावी हेज के तहत नामित नहीं होते हैं।

37. वित्तीय लिखतों पर हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष		31.03.2019 को समाप्त वर्ष	
	एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर	एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर
(i) – ऋण*	-	884.91	-	222.32
(ii) – अन्य	-	34.58	-	21.17
जोड़ (i+ii)	-	919.49	-	243.49

*सुविधा पत्र पर क्षतिपूर्ति भत्ते के मद में ₹8.38 करोड़ (पिछले वर्ष ₹-0.16 करोड़) की राशि शामिल है।

38. प्रदान की गई सेवाओं की लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
परियोजना व्यय	71.61	85.15
कुल	71.61	85.15

39. कार्मिक हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
– वेतन और भत्ते	145.83	130.70
– भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	15.49	14.93
– सेवानिवृति के बाद चिकित्सा सुविधा संबंधी व्यय	5.07	11.70
– कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा संबंधी किराया	1.58	0.69
– कार्मिक कल्याण व्यय	25.18	19.35
जोड़	193.15	177.37

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

40. मूल्यहास एवं परिशोधन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
- संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर पर मूल्यहास	8.48	6.77
- मूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन	3.29	1.52
जोड़	11.77	8.29

41. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
- प्रत्यक्ष व्यय	254.53	99.93
- ओवरहेड्स	4.76	4.56
कुल	259.29	104.49

41.1 सीएसआर व्यय के संबंध में प्रकटीकरण:

(क) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष			31.03.2019 को समाप्त वर्ष		
	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-			
(ii) उपरोक्त (i) के अन्यत्र प्रयोजन पर						
स्वास्थ्य / स्वच्छता / अपशिष्ट प्रबंधन / पेयजल	55.38	-	55.38	42.25	-	42.25
शिक्षा / व्यावसायिक / कौशल विकास	41.63	-	41.63	6.66	-	6.66
पर्यावरणीय संधारणीयता (सौर अनुप्रयोग / बनीकरण / ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	32.21	-	32.21	16.37	-	16.37
खेल-कूद	0.02	-	0.02	0.06	-	0.06
पीएम केयर फंड में योगदान	100.00	-	100.00	-	-	-
कोविड-19 के कारण प्रवासी श्रमिकों को भोजन / राशन का प्रावधान	1.59	-	1.59	-	-	-
अन्य	23.70	-	23.70	34.59	-	34.59
प्रशिक्षण, प्रभाव मूल्यांकन आदि सहित प्रशासनिक ऊपरी खर्च	4.76	-	4.76	4.56	-	4.56
जोड़ (ii)	259.29	-	259.29	104.49	-	104.49

कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के समर्थन में, कंपनी ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थितियों में राहत निधि (पीएम केयर्स फंड) में राहत के लिए ₹ 150 करोड़ का कुल योगदान किया, जिसमें से ₹ 100 करोड़ का योगदान वर्ष 2019-20 के दौरान और शेष ₹ 50 करोड़ का योगदान 31 मार्च, 2020 के बाद किया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने प्रवासी श्रमिकों को भोजन / राशन के वितरण के लिए ₹ 10 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की है, जिसमें से ₹ 7.07 करोड़ की राशि आज की तारीख तक खर्च की जा चुकी है, जिसमें 31 मार्च, 2020 तक खर्च की गई ₹ 1.59 करोड़ की राशि शामिल है। महामारी के प्रकोप के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए कंपनी के कर्मचारियों ने अप्रैल, 2020 में एक दिन के वेतन का भी पीएम केयर्स फंड में योगदान दिया।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

42. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
– यात्रा एवं वाहन सुविधा	15.80	17.05
– प्रचार एवं प्रोन्नति व्यय	6.03	83.22
– मरम्मत और अनुरक्षण	12.38	7.81
– किराया, दरें एवं ऊर्जा लागतें	15.12	17.55
– बीमा प्रभार	0.13	0.05
– संप्रेषण लागत	3.42	2.72
– प्रिंटिंग और स्टेशनरी	2.92	4.11
– निदेशकों के बैठक शुल्क	0.19	0.24
– लेखा परीक्षकों का शुल्क एवं व्यय	1.62	1.63
– विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	12.21	10.10
– डोनेशन	-	2.00
– संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के निपटान पर निवल हानि	1.69	0.86
– मॉनिटरिंग व्यय	12.49	10.85
– विविध व्यय	46.41	30.57
	जोड़	130.41
		188.76

42.1 लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय के संबंध में प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
सांविधिक लेखापरीक्षकों को दिया गया शुल्क:		
– लेखापरीक्षक के रूप में	0.50	0.48
– कराधान मामलों के लिए*	0.13	0.29
– कंपनी के कानूनी मामलों के लिए (सीमित समीक्षा शुल्क सहित)	0.35	0.45
– अन्य सेवाओं के लिए	-	-
(i) एमटीएन ऑफर दस्तावेज / कम्फर्ट लेटर का प्रमाणन	0.40	0.20
(ii) अन्य प्रमाणन	0.06	0.08
– व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.04	0.03
	उप-जोड़	1.48
लेखापरीक्षकों को प्रदत्त शुल्क के संबंध में गैर-वसूली योग्य कर जमा	0.14	0.10
जोड़— लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय	1.62	1.63

* पिछले वर्षों से संबंधित कर लेखापरीक्षा शुल्क शून्य (पिछले वर्ष ₹. 0.09 करोड़) शामिल है।

43. कर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
– चालू कर व्यय	1,579.79	1,826.51
– पिछले वर्षों से संबंधित चालू कर व्यय / (लाभ)	65.27	(13.28)
	उप-जोड़ – चालू कर	1,645.06
– आस्थगित कर व्यय / (क्रेडिट)	412.65	535.83
	जोड़	2,057.71
		2,349.06

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

43.1 प्रभावी कर दर का सामंजस्य

लाभ एवं हानि विवरण में सूचित किए गए आय कर व्यय की सांविधिक आय कर दर पर अनुमानित आय कर व्यय का पुनर्समाधान निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	7,029.98	8,090.44
सांविधिक आयकर व्यय	25.168%	34.944%
प्रत्याशित आय कर व्यय	1,769.31	2,827.12
आय कर समायोजनों का कर प्रभाव:		
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती के लाभ	(383.14)	(462.51)
सीएसआर व्यय की अनुमति न होना	20.68	19.08
गैर-कटौती योग्य अन्य कर व्यय	1.93	1.01
अग्रिम आय कर और ब्याज की न दी गई अनुमति	-	1.20
आय में छूट	(9.62)	(5.84)
टैक्स फ्री बॉण्ड पर आय के कर प्रभाव	(1.65)	(1.93)
पूर्व वर्षों का आय कर	65.27	(13.28)
कर दरों में परिवर्तन का प्रभाव	661.54	1.95
विभिन्न कर दरों पर प्रभार्य आय का प्रभाव	-	(4.27)
पूर्ववर्ती वर्ष के लिए अननंतिम व्यय का प्रभाव	(1.22)	-
सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अविवादित लाभ पर आस्थगित कर का प्रभाव / (प्रत्यावर्तन)	(63.83)	-
सहायक कंपनियों के अवितरित लाभ पर कर का प्रभाव	-	(12.03)
इकिवटी पद्धति का उपयोग करके परिकलित संयुक्त उद्यम (जेवी) के लाभ पर कर का प्रभाव	(2.30)	(1.45)
जेवी द्वारा भुगतान किए गए लाभांश पर कर का प्रभाव	0.43	-
इंट्रा ग्रुप रेवेन्यू रिवर्सल के कर का प्रभाव	0.31	-
कर व्यय	2,057.71	2,349.05

43.2 वर्ष के दौरान कंपनी के लिए लागू कर की दर 34.944% से घटकर 25.168% हो गई है क्योंकि कंपनी ने कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा पेश किए गए अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीए के तहत अनुमत विकल्प का प्रयोग किया था। कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय कर के प्रावधान को मान्यता दी है और तदनुसार अपनी आस्थगित कर संपत्तियों का पुनर्मापन किया है।

44. अर्जन प्रति शेयर

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
गुणक (न्यूमरेटर)		
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ (₹ करोड़ में)	4,972.27	5,741.38
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत तथा बंद प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ (₹ करोड़ में)	4,972.27	5,741.38
हर (डिनोमिनेटर)		
इकिवटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1,974,918,000	1,974,918,000
प्रति शेयर मूल तथा कम की गई आय (₹ 10/- प्रति इकिवटी शेयर के लिए ₹ में) (सतत प्रचालनों के लिए)	25.18	29.07
प्रति शेयर मूल तथा कम की गई आय (₹ 10/- प्रति इकिवटी शेयर के लिए ₹ में) (सतत तथा बंद प्रचालनों के लिए)	25.18	29.07

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

45. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

45.1 आकस्मिक देयताएं, जिनका निम्न के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार	31-03-19 के अनुसार
(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	0.22	0.08
(ख) कराधान मांग		
—आय कर विभाग द्वारा की गई मांग	113.99	91.03
—कंपनी को दी गई राहत के विरुद्ध आय कर विभाग द्वारा दायर अपीलों के विरुद्ध मांग	38.30	30.42
—सेवा कर के संबंध में की गई मांग	-	0.36
(ग) अन्य		
— सुविधा पत्र	951.29	-
— बैंक गारंटी	30.78	29.86

उपर्युक्त 'क' में उल्लिखित राशि जो माध्यरथ मामलों सहित विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में है और न्यायालय/माध्यरथ के मामलों के निपटान के परिणाम पर निर्भर करती है।

उपर्युक्त 'ख' में उल्लिखित राशि दिल्ली उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों सहित आय कर विभाग/सेवा कर विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों के विरुद्ध है। कंपनी इन कर मांगों का विरोध कर रही है और प्रबंधन का विश्वास है कि उसकी स्थिति अपील प्रक्रिया में माने जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, इन कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम से कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणामों पर वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

45.2 प्रतिबद्धताएं जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार	31-03-19 के अनुसार
— पूंजीगत लेखे में निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाएं		
— संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के संबंध में	315.07	362.33
— अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में	-	2.82
— अन्य प्रतिबद्धताएं		
— सीएसआर प्रतिबद्धताएं	291.44	301.46

46. वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकार का व्योरा:

विवरण	नियामक का नाम	पंजीकरण का व्योरा
(i) कारपोरेट पहचान संख्या	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	L40101DL1969GOI005095
(ii) पंजीकरण संख्या	भारतीय रिजर्व बैंक	14.000011
(iii) लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर (एलईआई) कोड	ग्लोबल लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन (जीएलईआईएफ)	335800B4YRYWAMIJZ374

47. सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

47.1 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

भारत सरकार ने देश में सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण के लिए "प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना" – सौभाग्य स्कीम शुरू की है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शेष गैर-विद्युतीकृत घरों को और शहरी क्षेत्रों में गरीब घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत के कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना है। सौभाग्य स्कीम का पूंजीगत परिव्यय पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान 12,320 करोड़ रुपए की कुल बजटीय सहायता सहित 16,320 करोड़ रुपए है। विद्युत मंत्रालय ने सौभाग्य स्कीम के प्रचालन के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।

47.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) ग्रामीण विद्युत वितरण की सभी पहलों को शामिल करने वाली भारत सरकार की अग्रणी योजना है। इस स्कीम के तहत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 85 प्रतिशत) भारत सरकार के अनुदान के रूप में और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने पर 15 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है। डीडीयूजीजेवाई निम्नलिखित परियोजना घटकों के माध्यम से देश में 'सभी के लिए 24x7 विद्युत' हासिल करने के लिए सुविधा प्रदान करती है:

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

- (i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति तथा गैर-कृषि उपभोक्ताओं को सतत विद्युत आपूर्ति सुकर बनाने के लिए कृषि तथा गैर-कृषि फीडरों को पृथक करना;
- (ii) वितरण ट्रांसफार्मर /फीडरों /उपभोक्ताओं की मीटिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण तथा वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना और उसकी वृद्धि करना;
- (iii) माइक्रो-ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क;
- (iv) डीडीयूजीजेवाई 12वीं एवं 13वीं योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण घटक।

उपर्युक्त योजना के (i) तथा (ii) पर घटकों का अनुमानित परिव्यय 43,033 करोड़ रुपए होगा जिसमें पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार से 33,453 करोड़ रुपए की बजाए योजना शामिल है। 12वीं तथा 13वीं योजना में जारी रखने के लिए सीसीईए द्वारा अनुमोदित आरजीजीवीवाई की स्कोर पृथक ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक के रूप में इस योजना में मिला दी गई है।

47.3 राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

वर्ष 2012–13 के दौरान राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक व्याज सब्सिडी योजना, क्रियाशील हुई। योजना को विद्युत क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह योजना, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सावंजनिक और निजी विद्युत वितरण यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर, सुधारात्मक उपायों के संबंध में व्याज सब्सिडी उपलब्ध करायेगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि वर्ष 2012–13 और 2013–14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के समक्ष ऋण संवितरण के लिए 14 वर्षों से अधिक में विस्तारित ₹ 8,466 करोड़ की समग्र रूप पर व्याज सब्सिडी (उधारकर्ताओं को व्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांककों को भुगतान तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों सहित) प्रदान करेगी। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना को संक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामांदिष्ट किया गया है।

47.4 प्रधानमंत्री की जम्मू व कश्मीर विकास योजना (पीएमडीपी)

जम्मू व कश्मीर सरकार, विद्युत विकास विभाग ने सभी सामग्री एवं सेवा कार्यों की डिजाइन, इंजीनियरी, खरीद, आपूर्ति, खड़ा करने के कार्य, परीक्षण और आरंभ करने के लिए प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से निकाली जाने वाली वास्तविक लागत के अनुसार नामांकन आधार पर जम्मू व कश्मीर राज्य में पीएमडीपी के तहत वितरण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में आरईसीपीडीसीएल और आरईसीटीपीसीएल को नियुक्त किया है।

47.5 ऊर्जा मित्र एवं 11 केवी फीडर मॉनीटरिंग

विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा मित्र एवं 11 केवी फीडर मॉनीटरिंग नामक दो योजनाएं शुरू की हैं। ऊर्जा मित्र एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को विद्युत बंदी/कटौती/खराबी/शटडाउन (योजनागत और गैर-योजनागत दोनों) के संबंध में सूचना प्रदान करना है। फीडर मॉनीटरिंग स्कीम 66, 33/11 केवी सब-स्टेशनों से सभी बाहर जाने वाली वास्तविक लागत के अनुसार नामांकन आधार पर जम्मू व कश्मीर राज्य में मॉनीटरिंग, सावधानी, मीटर के आंकड़ों का विश्लेषण, सूचना प्रसारण और ऊर्जा जांच के लिए वास्तविक समय के आधार पर सार्वजनिक पटल सहित विभिन्न दावेदारों के लिए ऑनलाइन सूचना उपलब्ध कराने के लिए है। आरईसीटीपीसीएल को दोनों स्कीमों के लिए प्रमुख एजेंसी नियुक्त किया गया है।

48. पूंजी प्रबंधन

यह समूह यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूंजी का प्रबंधन करता है कि वह दावेदारों को अधिकतम आय करते हुए एक चलती हुई संस्था के रूप में जारी रहेगा। समूह की पूंजीगत संरचना में समूह द्वारा किए गए दीर्घावधि उधार तथा इकिवटी शामिल हैं।

प्रबंधन अत्यधिक वृद्धि से बचते हुए दक्ष समग्र वित्तपोषण संरचना बनाए रखने के लिए समूह की पूंजीगत आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है। यह समूह पूंजीगत संरचना का प्रबंधन करता है और गतिशील व्यापारिक पर्यावरण तथा क्षेत्र के अंतर्गत परिसमाप्ता की रिथिति के आलोक में उपयुक्त साधनों के माध्यम से निधियां जुटाता है। इसके अतिरिक्त, पूंजी पुनर्गठन के संबंध में समूह को अन्य बातों के साथ-साथ विनिवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा बोनस शेयर, लाभांश वितरण, इकिवटी शेयरों की वापसी आदि जारी करने के संबंध में जारी किए गए "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पूंजी पुनर्गठन" के संबंध में दिशा-निर्देशों से भी दिशानिर्देशित होता है। इस समूह ने बाहरी रूप से लगाई गई सभी पूंजीगत आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

समूह का ऋण-इकिवटी अनुपात निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार	31-03-19 के अनुसार
कुल ऋण	280,065.46	239,216.01
निवल कीमत	35,396.43	34,546.34
ऋण - इकिवटी अनुपात	7.91	6.92

कुल ऋण बकाया मूल को दर्शाता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

लाभांश वितरण नीति

निदेशक बोर्ड कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश भुगतान की मॉनीटरिंग करता है। कंपनी की लाभांश वितरण नीति विभिन्न कारकों पर जोर देती है जिनमें वर्तमान एवं भावी पूँजीगत आवश्यकताएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) की पूँजी, वैकल्पिक स्रोतों से निधियां जुटाने की लागत, नकद प्रवाह रिथित और समय—समय पर लागू दिशा—निर्देशों के अधीन लाभांश पर कर सहित लागू कर नकद प्रवाह रिथित और समय—समय पर लागू दिशा—निर्देशों के अधीन कंपनी का निवल मूल्य शामिल है, परंतु यह यहीं तक सीमित नहीं है।

डीआईपीएएम, भारत सरकार द्वारा जारी वर्तमान दिशा—निर्देशों के अनुसार कंपनी को पीएटी का 30 प्रतिशत, न्यूनतम वार्षिक लाभांश अथवा निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, देना अपेक्षित होता है। यद्यपि, कंपनी इन दिशा—निर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है, तथापि, विभिन्न वित्तीय मानदंडों, नकद प्रवाह रिथित और भावी वृद्धि के लिए अपेक्षित निधियों के विश्लेषण के बाद कम लाभांश प्रस्तावित कर सकती है।

कंपनी ने अपने प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतियां भी अपनाई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ—साथ व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति, व्हीसल ब्लोअर नीति, आरईसी इकिवटी शेयरों/प्रतिभूतियों में भीतरी व्यापार के निरोध के लिए सहिता, धोखाधड़ी रोकने के लिए नीति, व्यापक व्यवहार सहिता, बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नीतियां, उचित परिपाठी सहिता आदि शामिल हैं।

49. जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात में पूँजी

कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्धारित पूँजी पर्याप्तता अपेक्षाओं का पालन कर रही है। एक एनबीएफसी और अवसंरचना वित्तपोषण कंपनी (एनबीएफसी—आईएफसी) होने के नाते आरईसी को 15 प्रतिशत (न्यूनतम 10 प्रतिशत टियर—1 पूँजी के साथ) के जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) में पूँजी बनाए रखना अपेक्षित होता है।

विवरण	31.03.20 के अनुसार	31.03.19 के अनुसार
(i) सीआरएआर (%)	16.06%	17.77%
(ii) सीआरएआर— टियर I पूँजी (%)	13.17%	14.44%
(iii) सीआरएआर— टियर II पूँजी (%)	2.89%	3.33%

वित्तीय वर्ष के दौरान जुटाई टियर-II पूँजी एवं मियादी ऋण लिखत का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19
टियर-II पूँजी के रूप में जुटाये गए अधीनस्थ ऋण की राशि	-	2,151.20
मियादी ऋण लिखत के निर्गम द्वारा जुटायी गयी राशि	-	-

50. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

इस समूह के निदेशक बोर्ड की कंपनी जोखिम प्रबंधन कार्यालयों की स्थापना और नजर रखने की समग्र जिम्मेदारी है। इस समूह ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ ऋण जोखिम, प्रचलनात्मक जोखिम और संगठन का बाजार जोखिम शामिल है। इस समूह की जोखिम प्रबंधन नीतियां विभिन्न जोखिम श्रेणियों, स्वतंत्र जोखिम दृष्टि और आवधिक मॉनीटरिंग के लिए उपयुक्त सुपरिभाषित नीतियों द्वारा दिशा—निर्देशित होती हैं। एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का भी गठन किया गया है जिसका मुख्य कार्य संगठन के विभिन्न जोखिमों की पहचान करना और उनकी मॉनीटरिंग करना तथा उन्हें कम करने के लिए कार्रवाई सुझाव देना है।

इस टिप्पणी में जोखिम के स्रोतों को स्पष्ट किया गया है जिनमें कंपनी सामने आती है और कंपनी कैसे वित्तीय विवरण में जोखिम तथा संबंधित प्रभाव का प्रबंधन करती है:

जोखिम	से उत्पन्न होने वाली स्थिति	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद एवं नकद समतुल्य, ऋण, व्यापार प्राप्त, परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां, ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	पुराना विश्लेषण	बैंक जमा, परिसमाप्त निधियां, परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण, ऋण सीमाएं एवं पारिंवेक
तरलता जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां, सहायक देयताएं एवं अन्य वित्तीय देयताएं	चल रहे नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम — मुद्रा जोखिम	मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां तथा भारतीय रुपए (आईएनएआर) में न बताई गई देयताएं	नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	व्युत्पन्न संविदाएं
बाजार जोखिम — व्याज दर जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां और परिवर्तनीय व्याज दरों पर सहायक देयताएं	संबंदनशीलता विश्लेषण	व्युत्पन्न संविदाएं
बाजार जोखिम — इकिवटी कीमत जोखिम	उल्लिखित इकिवटी प्रतिभूतियों में निवेश	संबंदनशीलता विश्लेषण	नीतिगत निवेशों पर जोर देकर पोर्टफोलियो का विविधीकरण

जोखिम के अत्यधिक संकेंद्रण से बचने के लिए समूह की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविधीकृत पोर्टफोलियो बनाए रखने पर जोर देने के लिए विशिष्ट दिशा—निर्देश शामिल हैं। ऋण जोखिमों के अभिज्ञात संकेंद्रणों का नियंत्रण एवं प्रबंधन तदनुसार किया जाता है:

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत उद्यम—व्यापी जोखिम प्रबंधन तंत्र स्थापित किया है कि इन जोखिमों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाए और कुशलता से उनका प्रबंधन किया जाए। कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाने के लिए आरबीआई की अधिसूचना सं. डीएनबीआर (पीडी) सीसी. सं./.099/03.10.001/2018–19 के उद्देश्य से निदेशक मंडल ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी नियुक्त किया है जो जोखिमों की पहचान, माप और शमन की इस प्रक्रिया में शामिल है। जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण यानी कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों और उपरोक्त जोखिमों में से प्रत्येक को मापने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया बाद के पैराग्राफ में निर्धारित की गई है।

50.1 ऋण जोखिम

ऋण जोखिम उस जोखिम से संबंधित है जिसे प्रतिपक्ष अपने संविदागत दायित्वों के संबंध में चूक करेगा जिसके परिणामस्वरूप समूह को वित्तीय हानियां होती हैं। ऋण जोखिम में समूह की स्थिति मुख्य रूप से नकद एवं नकद समतुल्य, अन्य बैंक शेषों, निवेशों, ऋण परिसंपत्तियों, व्यापार प्राप्तों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से प्रभावित होती है। यह समूह ग्राहकों तथा अन्य प्रतिपक्षकारों की चूकों की निरंतर मॉनीटरिंग करता है और इस सूचना को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में शामिल करता है।

50.1.1 वित्तीय परिसंपत्तियां जो एंटीटी को ऋण जोखिम में दर्शाती हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(i) वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि पर कम ऋण जोखिम		
नकद और नकदी समतुल्य	1,717.71	381.99
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	2,257.45	1,733.08
ऋण *	299,697.53	256,448.62
ट्रेड प्राप्त	87.92	117.03
निवेश **	1,601.06	1,636.14
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	22,099.67	18,363.99
(ii) मध्यम ऋण जोखिम		
ऋण *	2,431.27	4,412.62
ट्रेड प्राप्त	52.01	34.89
(iii) उच्च ऋण जोखिम		
ऋण *	21,255.55	20,348.44
ट्रेड प्राप्त	33.60	23.83
अन्य वित्तीय परिस्थितियाँ	30.85	26.69

* प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए कटौती के बिना बकाया मूलधन (सुविधा पत्रों के सवितरित न किए गए सहित) दर्शाता है।

** इसमें उल्लिखित इकिवटी निवेशों और उद्यम पूँजी निधियों में निवेश शामिल नहीं है क्योंकि उन्हें एफवीओसीआई या एफवीटीपीएल पर लिया जाता है।

नकद एवं नकदी समतुल्य तथा बैंक जमा

नकद एवं नकदी समतुल्यों और बैंक जमाओं से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन निवेश ग्रेड रेटेड दस्तावेजों तथा अत्यधिक रेटेड बैंकों और पूरे देश में विभिन्न दस्तावेजों/बैंकों में निवेश कर जमा आधार का विविधीकरण करके भी पार्किंग निधियों से किया जाता है।

ऋण

उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण जोखिम भावी परियोजना ऋण परिसंपत्तियों, प्राप्त, मालसूची अथवा अन्य किसी परिसंपत्ति, सरकारी गारंटी, निगम गारंटी आदि और अतिरिक्त रूप से सहायकों, जहां भी अपेक्षित हों, के हाइपोथिकेशन द्वारा ऋणों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाओं के माध्यम से कम किए जाते हैं। यह कंपनी उधारकर्ता की ऋण सीमाओं को परिभाषित करने और ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित संस्थागत तथा परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया विश्लेषण से बनाए गए सुपरिभाषित कंपनी मूल्यांकन दिशा—निर्देशों के माध्यम से संवर्धकों की ऋण योग्यता का बारीकी से मूल्यांकन करती है जिससे पूर्व परिकलित धनराशि का ऋण जोखिम सीमित होता है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन सिद्धांत, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना तथा ऋण जोखिम कम करने के उपाय, पूर्व संवितरण शर्तों के रूप में शामिल होते हैं।

ट्रेड प्राप्त

व्यापार प्राप्त से संबंधित ऋण जोखिम लेनदारों की ऋण योग्यता का मूल्यांकन करके कम किया जाता है और ऐसी धनराशि को वसूल करने योग्य स्थिति का निरंतर मॉनीटरिंग कर प्रबंधन किया जाता है।

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कार्मिकों तथा सहायक कर्पनियों को ऋण एवं अग्रिम, प्रतिभूति जमा तथा अन्य वसूली योग्य धनराशि, भारत सरकार से ली गई राशि सहित शामिल होते हैं। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी धनराशि को वसूल करने की क्षमता का निरंतर मॉनीटरिंग कर प्रबंधन किया जाता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

50.1.2 ऋणों एवं व्यापार प्राप्तियों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानियां (ईसीएल)

कंपनी में किसी भी ऋण हानि की प्रत्याशा के लिए अलग वित्तीय दस्तावेज का मूल्यांकन कर ऋण एवं व्यापार प्राप्तियों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए प्रावधान है:

- नकद एवं नकद समतुल्यों और अन्य बैंक शेषों के लिए – चूंकि, कंपनी बैंकिंग प्रचालनों के लिए केवल हाई रेटेड बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ कार्य करती है तथा निधियों की श्रेणी को अधिशेष निधियों के अल्पकालिक निवेश के लिए निरंतर उच्च रिकार्ड के साथ ऋण निधियों में परिसमाप्त करती है, अतः नकद एवं नकद समतुल्यों, अन्य बैंक शेषों और बैंक जमाओं के संबंध में ऋण जोखिम बहुत कम मूल्यांकित किया जाता है।
- निवेश के लिए – यह मानते हुए कि राज्य सरकार / न्यूनतम निवेश ग्रेड वाली सरकारी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ऋण प्रतिभूतियों में निवेश है, ऋण जोखिम कम माना जाता है।
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए – ऋण जोखिम का मूल्यांकन उन पक्षकारों की ऋण योग्यता के संबंध में कंपनी की जानकारी के आधार पर किया जाता है और हानि भत्ता आरंभिक माने गए आधार पर 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए मापा जाता है तथा ऋण जोखिम में काफी वृद्धि पर जीवन पर्यन्त प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए प्रावधान होता है।

ऋण एवं व्यापार प्राप्ति को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का व्यौरा निम्नलिखित रूप में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार			31.03.2019 के अनुसार		
	सकल धारिता राशि	ईसीएल	निवल धारिता राशि	सकल धारिता राशि	ईसीएल	निवल धारिता राशि
नकद और नकदी समतुल्य	1,717.71	-	1,717.71	381.99	-	381.99
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	2,257.45	-	2,257.45	1,733.08	-	1,733.08
निवेश	1,601.06	-	1,601.06	1,636.14	-	1,636.14
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ *	22,130.52	30.85	22,099.67	18,390.68	26.69	18,363.99

* हानिग्रस्त क्रेडिट के रूप में स्वीकार की गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि भत्ते पूर्ण रूप में प्रदत्त है।

50.1.3 ऋणों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि

जोखिम प्रबंधन रिपोर्ट करने के प्रयोजनों के लिए कंपनी ऋण जोखिम के निम्नलिखित तत्वों पर विचार करती है और समेकन करती है:

- (i) ऋण चूक हानि: ऋणदाता के कारण होने वाले ऋण के जोखिम, जिसे उसके ऋण दायित्वों को पूरी तरह से देने की संभावना नहीं है अथवा किसी वास्तविक ऋण दायित्व के कारण पिछले 90 दिन से अधिक का ऋणदाता है चूक जोखिम ऋणों एवं प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण संवेदी लेन-देनों पर प्रभाव डाल सकता है।
- (ii) संकेद्रण जोखिम: किसी एकल निष्पादन से संबंधित जोखिम अथवा कंपनी के प्रमुख प्रचालनों को खतरा पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा हानियां करने की संभावना वाले निष्पादन का समूह।

(क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

- क्रेडिट जोखिम विभिन्न स्तरों पर प्रबंधित किया जाता है, जिसमें मूल्यांकन, संवितरण और संवितरण के बाद निगरानी शामिल हैं। कंपनी के पास "एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश" और "व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति" मौजूद है। क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए कंपनी क्रेडिट जोखिम के आकलन हेतु व्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण करती है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना और ऋण जोखिम शमन उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, नियमित रूप से परियोजनाओं के जोखिम की समीक्षा भी की जाती है और परियोजना जोखिम को जोखिम फ्रेमवर्क के अनुसार विभिन्न जोखिम मानकों और परियोजना के जोखिम के आधार पर उच्च / मध्यम / निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्रेडिट जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:
- (i) कंपनी के पास क्रेडिट मूल्यांकन, जोखिम ग्रेडिंग, संपार्शिवक आवश्यकताओं, रिपोर्टिंग, निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी आदि को शामिल करते हुए "एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश" उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कानूनी जोखिम का प्रभावी प्रलेखन और शमन सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र ऋणदाता कानूनी परामर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं।
 - (ii) सभी मौजूदा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, जहाँ कंपनी लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कंपनी ऋणदाता के स्वतंत्र इंजीनियर्स (एलआईई), ऋणदाता के वित्तीय सलाहकार (एलएफए) और ऋणदाता के बीमा सलाहकार (एलआईए) नियोजित करती है, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं जो विभिन्न ऋणदाताओं और संघ सदस्यों की ओर से कार्य करती हैं। एलआईई ऋणकर्ता के साथ चर्चा और प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच / समीक्षा के बाद, परियोजना साइट का दोरा करती है और इसकी प्रगति की स्थिति पर आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। एलएफए परियोजना में समय-समय पर निधि प्रवाह और धन के उपयोग के विवरण प्रस्तुत करता है। ऐसे मामलों में जहाँ कंपनी लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, एलआईई और एलएफए सेवाओं से संबंधित कार्यों को लीड ऋणदाता के साथ समन्वित किया जा रहा है।

कंपनी वित्तपोषित की जाने वाली नई परियोजनाओं के लिए एक अलग परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) नियुक्त करने का भी प्रयास करती है, जो एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एलआईई / परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी), एलएफए और एलआईए के संपूर्ण कार्यों का निर्वाह करती है। परियोजना की प्रगति की निगरानी, ईपीसी / गैर-ईपीसी सविदाओं और बीजकों की समीक्षा, निधि के उपयोग और परियोजना के लिए बीमा सहित परियोजना की विभिन्न गतिविधियों को बारीकी से देख-रेख करने के लिए पीएमए परियोजना स्थल पर दिन-रात तैनात रहती है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

- पीएमए मूल उपस्कर विनिर्माता / आपूर्तिकर्ता के बिलों, टेकेदार के समग्र काम की पुष्टि करता है और संवितरण के लिए अपनी सिफारिश करता है। मूल परियोजना लागत और सीओडी सहित तकनीकी और वित्तीय मापदंडों की पवित्रता को बनाए रखते हुए पीएमए द्वारा प्रारंभिक अपेक्षित सतर्कता भी बरती जाती है।
- तनावग्रस्त परियोजनाओं के लिए ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट (टीआरए) की प्रभावी निगरानी के लिए मामले दर मामला आधार पर आरईसी / उधारदाताओं द्वारा विशेष निगरानी / कैश फलो मॉनिटरिंग एजेंसियों के लिए समर्वर्ती लेखाप्रौद्योगिकों / एजेंसियों की भी नियुक्ति की जा रही है।
- (iii) कंपनी में ऋण सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए एक प्राधिकार संरचना है। प्राधिकार सीमाएं अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक/कार्यकारी समिति/ऋण समितिधनिदेशक बोर्ड के स्तर पर यथा उपयुक्त जांच समिति की सिफारिश के आधार पर व्यापारिक प्रस्ताव के आकार के अनुरूप स्थापित की गई है।
- (iv) कंपनी में उपयुक्त ब्याज दरें और प्रतिभूति पैकेज लगाकर चूक के जोखिम की मात्रा के अनुसार उसके निष्पादनों की श्रेणी बनाने के लिए जोखिम ग्रेडिंग संरचना विकसित की है।
- (v) ऋण पोर्टफोलियो की ऋण गुणवत्ता संबंधी रिपोर्ट जोखिम प्रबंधन समिति तथा बोर्ड को दी जाती हैं जो की जाने वाली उपयुक्त सुधारात्मक कार्यवाई की मांग कर सकता है।
- (vi) ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए पूरी कंपनी में सर्वोत्तम परिपाठी संवर्धित करने के लिए विशेषज्ञ कौशल प्रदान करने के साथ-साथ व्यापारिक यूनिटों द्वारा अपनाए जा रहे दिशा-निर्देशां, नीति और विद्यमान परिपाठियों की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर बाहरी एजेंसियां नियुक्त की जाती हैं।
- (vii) अलग-अलग और समूह ऋण निष्पादनों का मूल्यांकन संबंधित व्यापारिक यूनिट द्वारा लेनदारों को सुविधाएं प्रतिबद्ध करने से पूर्व निर्धारित सीमाओं के विरुद्ध किया जाता है। अतिरिक्त सुविधाओं की स्वीकृति भी उसी समीक्षा प्रक्रिया के अध्यधीन होती है।
- (viii) कंपनी लगातार ऋणकर्ताओं और अन्य समकक्ष पक्षकारों के विलंब और / या चूक और उनकी वसूली क्षमता की निगरानी करती है। ऋणकर्ता के खाते में चूक की घटना होने पर कंपनी चूक को ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है, जिसमें आगे वर्णित कार्यवाई (कार्यवाइयों) शामिल हो सकती है, लेकिन ये केवल इतने तक ही सीमित नहीं हैं: आरबीआई को रिपोर्टिंग के साथ विशेष उल्लेख खाता (एसएमए), बड़े क्रेडिट पर केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) को जानकारी की रिपोर्टिंग, टीआरए खाते की निगरानी, ऋण समझौते के अनुसार इक्विटी में ऋण के रूपांतरण, ऋण खाते के पुनर्गठन, ऋणकर्ता के साथ संकल्प योजना तैयार करने, स्वामित्व में परिवर्तन, कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी), बकाया राशि वसूल करने के लिए गारंटी / प्रतिभूतियों के आव्यान सहित अन्य संस्थाओं / निवेशकों और अन्य वसूली तंत्रों को एक्सपोजर की बिक्री आदि।
- (x) **क्रेडिट जोखिम मापन**

ऋण परिसंपत्तियों पर क्षतिपूरित हानि भरते के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक इंड एएस 109 के अनुसार प्रावधान किया जाता है, जो क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार / गिरावट का आकलन करने के लिए प्रमुख वित्तीय और प्रचालन मापदंडों के आधार पर क्रेडिट जोखिम को मापता है। प्रबंधन मॉडल आउटपुट पर ओवरले, यदि कोई है, करता है, जिसे लेखाप्रौद्योगिक समिति द्वारा विधिवत दस्तावेजीकृत (प्रलेखित) और अनुमोदित किए जाते हैं। अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी, आईसीआरए एनालिटिक्स लिमिटेड (पूर्व में आईसीआरए ऑनलाइन लिमिटेड) द्वारा किया जाता है।

कंपनी के पास राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य विद्युत उपयोगिताओं की ग्रेडिंग के लिए एक आंतरिक प्रणाली मौजूद है। हालांकि, वितरण कंपनियों (डिस्कोम) के लिए कंपनी विद्युत मंत्रालय द्वारा रेटिंग की प्रक्रिया को तब अपनाती है, जब वे अद्यतन किए जाते हैं। इन रेटिंग्स को रेटिंग ट्रांजीशन मैट्रिक्स के हिस्से के रूप में विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग ग्रेड के साथ मैप किया जाता है। निजी ऋणकर्ताओं के लिए कंपनी या तो विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग का उपयोग करती है या फिर ऐसी रेटिंग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रॉक्सी जोखिम स्कोर का प्रयोगग करती है। प्रॉक्सी जोखिम स्कोर मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया जाता है:

मात्रात्मक कारक

- ऋण / ईबीआईटीडीए (30% भार)
- नियोजित टूंजी पर आय (15% भार)
- ब्याज कवरेज (25% भार)
- गियरिंग (ऋण / इक्विटी) (30% भार)

गुणात्मक कारक

- तिमाही-वार प्रचालनात्मक मानदंड, यथा पीपीए, पीएलएफ, एसीएस – एआरआर अंतर और एलएफ वास्तविक चूक तिथियाँ, ऋण पुनर्गठन के ब्यौरे

परियोजना की स्थिति

(ग) अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मापन

भारतीय लेखांकन मानक इंड एएस 109 में नीचे संक्षेप में बताए गए अनुसार प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर हानि के लिए एक "तीन चरण वाले" मॉडल की रूपरेखा दी गई है:

- एक वित्तीय लिखत जो प्रारंभिक मान्यता पर क्रेडिट क्षतिपूरित नहीं है और जिसका क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक चरण "स्टेज 1" के रूप में वर्गीकृत होने के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है।
- यदि इस बात की पहचान हो जाती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो वित्तीय लिखत को "स्टेज 2" में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसे मानद रूप से क्रेडिट क्षतिपूरित हुआ नहीं माना जाता है।
- यदि कोई वित्तीय लिखत क्रेडिट क्षतिपूरित हुआ है, तो इसे "स्टेज 3" में ले जाया जाता है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

- स्टेज 1 में वित्तीय लिखत का अपेक्षित क्रेडिट नुकसान के बराबर की राशि पर ईसीएल मापा जा चुका है, जो अगले 12 महीनों के भीतर संभावित चूक की घटनाओं के परिणामस्वरूप हो सकता है। स्टेज 2 या स्टेज 3 मानदंड में लिखत का ईसीएल आजीवन आधार पर मापा जाता है।

(घ) क्रेडिट जोखिम (एसआईसीआर) में महत्वपूर्ण वृद्धि

कंपनी किसी ऐसे वित्तीय लिखत पर विचार करती है जिसने उसके संविदात्मक भुगतानों की देय तारीख से भुगतान 30 दिन से अधिक समय तक देय हो जाने पर किसी वित्तीय लिखत पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि, ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर, यह देखा गया है कि 30 से अधिक दिनों के लिए ऐसी अतिदेय मात्रा राज्य की विजली कपनिया (उपयोगिताओं) के लिए क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत नहीं देती है। इसलिए, कंपनी ने यह मानदंड केवल निजी संस्थाओं के लिए लागू किया है। हालांकि, 60 दिन से अधिक, लेकिन 90 दिन से कम अवधि के लिए बकाया वाले राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के मामले में इस मॉडल का उपयोग करके गणना की गई बाहरी रेटिंग या जोखिम स्कोर को ऋणदाता के जोखिम को बेहतर ढंग से पकड़ने के लिए एक पायदान तक डाउनग्रेड किया जाएगा।

(च) कम ऋण जोखिम छूट

भारतीय लेखांकन मानक में यह मानने के लिए वैकल्पिक सामान्यकरण का प्रावधान है कि वित्तीय परिसंपत्ति पर ऋण जोखिम में आरंभिक मान्यता से काफी वृद्धि नहीं हुई है (और इस प्रकार स्तर-1 में रहती है), यदि वित्तीय परिसंपत्ति रिपोर्ट करने की तारीख को कम ऋण जोखिम वाली मानी जाए।

ऋण जोखिम उस समय "कम" माना जाता है जब वित्तीय दस्तावेज में चूक का कम जोखिम हो, लेनदार की निकट अवधि में अपने संविदागत नकद प्रवाह दायित्वों को पूरा करने में प्रबल क्षमता हो तथा दीर्घावधि में आर्थिक एवं व्यापारिक स्थितियों में प्रतिकूल परिवर्तन लेनदार की अपनी संविदागत नकद प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की क्षमता कम कर सकते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है।

कंपनी कम ऋण जोखिम लेने के लिए एएसे ए के बीच बाह्य ऋण रेटिंग वाली ऋण परिसंपत्तियों पर विचार करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने सभी राज्य यूटिलिटीयों के लिए कम ऋण जोखिम छूट ली है क्योंकि कंपनी मानती है कि राज्य क्षेत्र को ऋणों में राज्य क्षेत्र में कम चूक / हानि के इतिहास के कारण और कुछ ऋणों में सरकारी गारंटी की उपलब्धता के कारण मुख्य रूप से निजी क्षेत्र को उधार देने की तुलना में कम ऋण जोखिम होता है। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं में सरकार की रुचि होने से देयों की वसूली न होने का जोखिम कम हो जाता है।

(छ) चूक तथा हानि वाले ऋण की परिसंपत्तियों की परिभाषा

कंपनी चूक के रूप में वित्तीय दस्तावेज को परिभाषित करती है जो पूर्णतः हानियों वाले ऋण की परिभाषा के अनुरूप है जब ऋणखाता अपने संविदागत भुगतानों पर देय पिछले 90 दिनों से अधिक का हो या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार कंपनी द्वारा दी गई कोई भी अवधि।

(ज) ईसीएल का मापन – इनपुट, अवधारणाओं और अनुमान तकनीकों की व्याख्या

प्रत्याशित ऋण हानियां चूक की संभावना (पीडी), चूक पर प्रकटन (ईएडी) और हानि देने वाली चूक (एलजीडी) का परिणाम होती हैं जो निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैं:

- पीडी अगले 12 महीनों में या लिखत के शेष जीवनकाल में अपनी बाध्यता पर ऋणकर्ता की चूक की संभावना को दर्शाता है।
- ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, अर्जित ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट शामिल होते हैं, जो कंपनी चूक के समय बकाया होने की उम्मीद करती है।
- एलजीडी कंपनी के नुकसान की ऐसी उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है कि कोई चूक हो सकती है। एलजीडी प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और यह उस राशि के अनुपात को दर्शाता है जो वास्तव में चूक के किसी मामले में वसूली के बाद समाप्त हो जाएगी।

चूक की संभावना (पीडी) का निर्धारण

कंपनी ने वार्षिक संक्रमण मैट्रिक्स की गणना के लिए आईसीआरए द्वारा प्रकाशित रेटिंग संक्रमण मैट्रिक्स का विश्लेषण किया है। ऋण की अवधि / मैच्योरिटी प्रोफाइल यानी लाइफटाइम पीडी द्वारा विभिन्न रेटिंग ग्रेड की चूक की आजीवन संभावना का पता लगाने के लिए इस वार्षिक संक्रमण मैट्रिक्स का एक्सट्रापोलेशन किया गया।

घाटे को देखते हुए चूक (एलजीडी) कम्प्यूटेशन मॉडल

ऐतिहासिक रुझान, अनुसंधान और उद्योग बैंचमार्किंग के आधार पर कंपनी ने एक एलजीडी मॉडल का निर्माण किया है। एलजीडी मॉडल में समीक्षा किए गए कारकों में प्रति यूनिट परियोजना लागत, पीपीए की स्थिति, एफएसए की स्थिति आदि शामिल हैं। आंतरिक अनुसंधान के आधार पर कंपनी ने निजी क्षेत्र में थर्मल, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए इन कारकों को बैंचमार्क किया है। निजी क्षेत्र के पारेषण और वितरण कंपनियों के मामले में परिसंपत्तियों के वसूल किए जाने वाले वास्तविक मूल्य एलजीडी पर पहुंचने के लिए उपयुक्त अनुमानों का उपयोग करके निकाला गया। राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए कंपनी ने राज्य सहायता में उद्घाटित किया है और यह माना कि राज्य / केंद्र सरकारें अतीत में देखी गई राज्य क्षेत्र की उपयोगिताओं (विजली कपनियों) के ऋण दायित्वों को चुकाने के लिए कदम उठाएंगी।

(झ) स्टेज 3 परिसंपत्तियों के मामले में एलजीडी का संरेख्य

स्टेज -3 परिसंपत्तियां जहां आरईसी और पीएफसी (समूह की कंपनियां) स्टेज-3 ऋण खातों के लिए कंसोर्टियम में शामिल हैं, के मामले में एलजीडी

समेकित लेखा टिप्पणियां

- (क) उन मामलों में जहां आरईसी या पीएफसी प्रमुख ऋणदाता है, लीड ऋणदाता द्वारा परिकलित किए गए एलजीडी% को अपनाया जाता है।
- (ख) ऐसे मामलों, जहां आरईसी या पीएफसी प्रमुख ऋणदाता नहीं हैं, में आरईसी और पीएफसी द्वारा परिकलित किए गए एलजीडी% में से अधिक को अपनाया जाता है।
- (I) ईसीएल के मापन में प्रयुक्त प्रमुख अनुमान (मान्यताएँ)
- (i) कंपनी प्रारम्भिक मान्यता की तारीख को आधार तिथि मानती है जिससे क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि निर्धारित की जाती है।
- (ii) ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, अर्जित ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट शामिल होते हैं, जो कंपनी चूक के समय बकाया होने की उम्मीद करती है।
- (ट) **ऋण जोखिम अनावरण**

भिन्न क्रेडिट रेटिंग के साथ उधारकर्ताओं के संबंध में ऋण जोखिम अनावरण निम्न है।

(₹ करोड़ में)

क्रेडिट बाह्य रेटिंग की परिसीमा	31.03.2020 के अनुसार				31.03.2019 के अनुसार			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
एएए	37,832.86	-	-	37,832.86	-	-	-	-
एए	82,131.73	-	-	82,131.73	3,239.02	-	-	3,239.02
ए	71,840.30	-	-	71,840.30	56,158.84	-	-	56,158.84
बीबीबी	28,629.56	-	-	28,629.56	40,834.51	-	-	40,834.51
बीबी	60,555.15	36.22	-	60,591.37	57,967.67	519.32	-	58,486.99
बी	9,876.29	23.37	-	9,899.66	47,683.74	1,030.31	-	48,714.05
सी	2,215.02	29.68	-	2,244.70	46,119.65	2,862.99	-	48,982.64
डी	-	2,342.00	21,255.55	23,597.55	-	-	20,348.44	20,348.44
सरकारी ऋण	6,616.62	-	-	6,616.62	4,445.19	-	-	4,445.19
कुल धारित राशि	299,697.53	2,431.27	21,255.55	323,384.35	256,448.62	4,412.62	20,348.44	281,209.68
हानि भत्ते	488.46	963.83	10,552.13	12,004.42	525.26	1,273.72	9,698.95	11,497.93
धारित राशि	299,209.07	1,467.44	10,703.42	311,379.93	255,923.36	3,138.90	10,649.49	269,711.75

(ट) समपार्श्वक तथा अन्य ऋण वृद्धियां

कंपनी ऋण जोखिम को कम करने के लिए कई नीतियां और परिपाटियां लगाती है। इनमें से सबसे सामान्य संवितरित निधियों के लिए समपार्श्वक को स्वीकार करना है। कंपनी में समपार्श्वक अथवा ऋण जोखिम को कम करने की विशेष श्रेणियों की स्वीकार्यता के संबंध में आंतरिक नीतियां हैं। ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रमुख समपार्श्वक किस्में निम्नलिखित हैं:

- अचल परिसंपत्तियों का मोर्टगेज
- चल संपत्ति का हाइपोथिकेशन
- परियोजना संविदा दस्तावेजों को सौंपना
- उपस्करों की प्लेज जिसके माध्यम से प्रमोटर का अंशदान परियोजना में लगाया जाता है
- प्रमोटर की शेयरधारिता की प्लेज
- प्रमोटर की व्यक्तिगत तथा कारपोरेट गारंटी

(ड) हानि भत्ते

उस अवधि में माना गया हानि भत्ता कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

- ऋण जोखिम की काफी वृद्धि (अथवा कमी का अनुभव करने वाले) अथवा उस अवधि में ऋण हानि होने वाले वित्तीय दस्तावेजों के कारण स्तर-1 और स्तर-2 अथवा 3 के बीच अंतरण, और 12 माह तथा जीवन पर्यन्त ईसीएल के बीच परिणामी "स्टेप अप" (अथवा स्टेप डाउन)।
- उस अवधि के दौरान माने गए नए वित्तीय दस्तावेजों के लिए अतिरिक्त भत्ते तथा उस अवधि में न माने गए वित्तीय दस्तावेजों के लिए जारी राशियां।
- मॉडल में इनपुट के नियमित नवीनीकरण से उत्पन्न होने वाली, उस अवधि में पीडी, ईएडी और एलजीडी में परिवर्तनों के कारण ईसीएल के मापन पर प्रभाव।
- उस अवधि के दौरान अखीकृत वित्तीय परिसंपत्तियां और उस अवधि के दौरान बहु खाते में डाली गई परिसंपत्तियों सहित भत्तों को बहु खाते में डालना।

सिन्हलिखित तालिकाएं ऋण परिसंपत्तियों में परिवर्तन (संवितरित न किए गए सुधिता पत्रों सहित) और विधेयां अवधि के आंश तथा अंत के बीच तद्दुरुपी ईसीएल भते को स्पष्ट करती है।

आरईसी लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट 2019-20



समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष 2019-20	स्तर 1			स्तर 2			स्तर 3			कुल
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	आजीवन ईसीएल	सकल राशि	आजीवन ईसीएल	सकल राशि	आजीवन ईसीएल	सकल राशि	
प्रारंभिक शेष	256,448.63	525.25	4,412.61	1,273.73	20,348.44	9,698.95	281,209.68	11,497.93		
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	1,557.46	107.88	(1,549.63)	(105.92)	(7.83)	(1.96)	(0.00)	(0.00)		
जीवनपर्यात ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त नहीं	(25.11)	(1.64)	92.99	18.61	(67.89)	(16.97)	(0.01)	-		
जीवनपर्यात ईसीएल क्रेडिट में अंतरण	(1,476.62)	(12.99)	(560.99)	(225.13)	2,037.61	238.12	-	-		
पीडी / एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	(238.36)	-	(13.90)	-	1,108.09	-	-	855.83	
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां (मौजूदा परिसंपत्तियों में अग्रिम सदित्रण सहित)	76,579.12	142.28	47.51	16.66	-	-	-	-	76,626.63	158.94
वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें अमान्य कर दिया है (मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	(33,385.95)	(33.96)	(11.22)	(0.22)	(676.37)	(95.69)	(34,073.54)	(129.87)		
राइट ऑफ	-	-	-	-	(378.41)	(378.41)	(378.41)	(378.41)		
मॉडल रिक्व प्रेसीटर में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-		
विदेशी विनियय एवं अन्य संचालन	-	-	-	-	-	-	-	-		
अंतिम शेष	299,697.53	488.46	2,431.27	963.83	21,255.55	10,552.13	323,384.35	12,004.42		

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष 2018-19	स्तर 1			स्तर 2			स्तर 3			कुल
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	आजीवन ईसीएल	सकल राशि	आजीवन ईसीएल	सकल राशि	आजीवन ईसीएल	सकल राशि	
प्रारंभिक शेष	207,067.88	1,090.78	15,266.52	1,694.30	17,128.43	8,490.53	239,462.83	11,275.61		
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	10,594.28	21.95	(10,594.28)	(21.95)	-	-	-	-		
जीवनपर्यात ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त नहीं	(549.56)	(4.38)	1,775.34	372.11	(1,225.78)	(367.73)	-	-		
जीवनपर्यात ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त (एलजीडी के बदलाव के कारण)	(2,763.00)	(625.75)	(1,865.40)	(527.07)	4,628.40	1,152.82	-	-		
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें अमान्य कर दिया है	-	(16.82)	-	(266.20)	-	423.75	-	-	140.73	
अंतिम शेष	256,448.63	525.25	4,412.61	1,273.73	20,348.44	9,698.95	281,209.68	11,497.93		

समेकित लेखा टिप्पणियां

(द) स्तर वार एक्सपोजर और हानि भत्ता का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार				31.03.2019 के अनुसार			
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	कुल	स्तर I	स्तर II	स्तर III	कुल
कुल एक्सपोजर	2,99,697.53	2,431.27	21,255.55	323,384.35	256,448.62	4,412.62	20,348.44	281,209.68
हानि भत्ता	488.46	963.83	10,552.13	12,004.42	525.26	1,273.72	9,698.95	11,497.93
ईसीएल%	0.16%	39.64%	49.64%	3.71%	0.20%	28.87%	47.66%	4.09%

(त) ऋण जोखिम का संकेंद्रण

कंपनी उस किस्म के उद्योग द्वारा ऋण जोखिम (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित ऋण परिसंपत्तियां) के संकेंद्रण की मॉनीटरिंग करती है जिसमें लेनदार प्रचालन करते हैं जिसे लेनदार के प्रकार में आगे बांटा जाता है, भले ही वह सरकारी हो या निजी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	सकल राशि	ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
उद्योग द्वारा संकेंद्रण				
उत्पादन	147,021.68	11,122.97	131,019.56	10,730.93
नवीकरणीय ऊर्जा	9,163.65	161.31	4,463.99	74.13
ट्रांस्कोर्ज	49,658.96	503.89	51,995.18	429.47
डिस्कॉम्स	110,923.44	214.26	89,285.76	262.07
सरकारी ऋण	6,616.62	1.99	4,445.19	1.33
कुल	323,384.35	12,004.42	281,209.68	11,497.93
स्वामित्व द्वारा संकेंद्रण				
राज्य	284,778.15	297.60	247,719.13	445.42
निजी	38,606.20	11,706.82	33,490.55	11,052.51
जोड़	323,384.35	12,004.42	281,209.68	11,497.93

(थ) क्षेत्रवार हानिग्रस्त परिसंपत्तियाँ – उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के चरण-III आस्तियों का प्रतिशत

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
विद्युत क्षेत्र	6.59%	7.24%

(द) क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19
(i) सकल अग्रिमों हेतु सकल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियाँ (%)	6.59%	7.24%
(ii) निवल अग्रिमों हेतु सकल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियाँ (%)	3.32%	3.79%
(iii) निवल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियाँ (%)	3.45%	3.95%
(iv) क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (सकल)		
(क) वर्ष के प्रारंभ में शेष	20,348.44	17,128.43
(ख) वर्ष के दौरान जुड़ाव	2,037.61	4,628.40
(ग) वर्ष के दौरान कटौतियाँ	(752.09)	(1408.39)
(घ) वर्ष के दौरान राइट ऑफ	(378.41)	-
(च) वर्ष के अंत में शेष	21,255.55	20,348.44
(v) क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (निवल)		
(क) वर्ष के प्रारंभ में शेष	10,649.49	8,637.90
(ख) वर्ष के दौरान जुड़ाव	691.40	3,051.83
(ग) वर्ष के दौरान कटौतियाँ	(637.47)	(1040.24)
(घ) वर्ष के दौरान राइट बैक	-	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19
(च) वर्ष के अंत में शेष	10,703.42	10,649.49
(vi) क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों हेतु प्रावधानों का संचलन		
(क) वर्ष के प्रारंभ में शेष	9,698.95	8,490.53
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1,346.21	1,576.57
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ	(114.62)	(368.15)
(घ) वर्ष के दौरान असेस्ट्स रिटेन ऑफ पर प्रावधान	(378.41)	-
(च) वर्ष के अंत में शेष	10,552.13	9,698.95

(द) राइट ऑफ करने से संबंधित नीति

कंपनी उस समय समग्र रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्तीय परिसंपत्तियों को बढ़े खाते में डालती है जब उसके सभी व्यावहारिक वसूली प्रयास समाप्त हो गए हों और इस निष्कर्ष पर पहुँच गई हो कि वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है। वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है, इसके संकेतकों में परिवर्तन क्रियाकलाप को बंद करना शामिल है अथवा जहां कंपनी की वसूली पद्धति समपार्श्वक पर पहले ही बंद हो तथा समपार्श्वक का मूल्य इतना हो तरह से वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है।

(न) बिजनेस मॉडल पॉलिसी

कंपनी अपने व्यापार मॉडल को उस स्तर पर निर्धारित करती है जो यह दर्शाता है कि यह अपने व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों का प्रबंधन कैसे करती है। कंपनी के व्यापार मॉडल का मूल्यांकन लिखत-दर-लिखत आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि कुल पोर्टफोलियो के उच्च स्तर पर किया जाता है।

कंपनी बिजली क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य शृंखला में ऋण देने के कारोबार में लगी है और इस तरह के ऋणों को ऋण के कार्यकाल में संविदात्मक भुगतान (मूलधन और व्याज सहित) एकत्रित करके नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए प्रबंधित किया जाता है। इसके अलावा, ऋण निवेश की प्रकृति में निवेश और सहमत शर्तों के अनुसार संविदागत भुगतान एकत्रित करने के लिए कंपनी द्वारा निवेश और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां भी रखी जा सकती हैं।

अतः कंपनी का व्यवसाय मॉडल ऋणों, कुछ वित्तीय निवेशों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए "इकट्ठा करने के लिए रोक कर रखें" के सिद्धांत पर आधारित है। यदि संविदागत शर्तें ऐसे नकदी प्रवाह को बढ़ावा देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया राशि पर व्याज का भुगतान हैं, तो ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को ऋणमाचित लागत पर मापा जाता है।

(प) ऋणमोचित लागत कारोबार से बिक्री के लिए नीति

"कंपनी व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया में ऋण परिसंपत्तियों सहित वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री का सहारा नहीं लेती है।

हालांकि, कंपनी भारत में विनियामक ढांचे के अनुसार, क्रेडिट-क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति के संबंध में देय राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ सकती है। इसके परिणामस्वरूप, क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण को आईबीसी की कार्यवाही के हिस्से के रूप में अथवा अन्यथा या तो पुनर्गठित-पुनर्निर्मित या व्यवस्थित किया जा सकता है और भारतीय लेखंकन मानक (इंड-एएस) 109 –वित्तीय लिखत की आवश्यकताओं के अनुसार मान्यता रद्द करने के लिए उनका मूल्यांकन किया जाता है।

कंपनी ने नीचे दिए गए विवरण के अलावा क्रेडिट-क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की बिक्री/खरीद के संबंध में कोई भी लेनदेन नहीं किया है:

विवरण	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19
आईबीसी कार्यवाही के हिस्से के रूप में बेचे / निपटाए गए खाते	1	-
एकीकृत सकल बकाया (₹ करोड़ में)	236.80	-
प्राप्त एकीकृत राशि (₹ करोड़ में)	124.13	-

(फ) कंपनी ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान (पिछले वर्ष शून्य) किसी भी प्रतिभूतिकरण / असाइनमेंट लेनदेन नहीं किया है। इसके अलावा, परिसंपत्ति के पुनर्निर्माण के लिए किसी भी परिसंपत्ति का प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण करने के लिए नहीं बेचा गया है।

(ब) ऐसे खाते, जो 90 दिनों से अधिक की अवधि से अधिदेय (ओवरडचू) लेकिन उन्हें क्रेडिट क्षतिग्रस्त नहीं माना गया है (आईबीआई के कोविड-19 राहत पैकेज के तहत राहत देने वाले खातों को छोड़कर)।

(₹ करोड़ में)

विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया राशि	अधिदेय राशि
31.03.2020 के अनुसार	1	2,342.00	2,244.97
31.03.2019 के अनुसार	1	2,302.00	1,536.01

ऋणकर्ताओं में से एक, मेसर्स आरकेएम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड ने 18 सितंबर 2015 को मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय से एक एड-अंतरिम आदेश प्राप्त किया है कि खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत न किया जा सके। तदनुसार, ऋणकर्ता के बकाया ऋण को स्टेज III परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, भले ही अधिदेय (ओवरडचू) 90 दिनों से अधिक पुराना हो गया है और परिसंपत्ति क्रेडिट क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि, कंपनी द्वारा परियोजना के वित्तीय और प्रचलन मानकों पर विचार करने के बाद 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) कार्यप्रणाली के आधार पर ₹ 2,342 करोड़ के बकाया ऋण के 41.06% की दर से ₹ 961.63 करोड़ (31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 2,302 करोड़ के बकाया ऋण के 40.95% की दर से – ₹ 942.67 करोड़) का एक पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

(म) आरबीआई के दिनांक 17 अप्रैल, 2010 के परिपत्र संख्या डी.ओ.आर. नं. बीपी. बीसी. 63 / 21.04.048 / 2020-21 के अनुसरण में आरबीआई परिपत्र कोविड-19 विनियामक पैकेज के संबंध में अधिस्थगन और परिसंपत्तियां वर्गीकरण के संबंध में प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
(i) एसएमए/अधिदेय श्रेणियों में संगत राशियां, जहां अधिस्थगन अवधि को बढ़ाया गया।	1460.22
(ii) संगत राशि जहां परिसंपत्ति वर्गीकरण का लाभ दिया जाता है।	23.37
(iii) किए गए सामान्य प्रावधान।	नीचे दी गई टिप्पणी के संदर्भ में
(iv) चूक की अवधियों के दौरान समायोजित किए गए सामान्य प्रावधान और अवशिष्ट प्रावधान।	नीचे दी गई टिप्पणी के संदर्भ में

टिप्पणी—कंपनी, एनबीएफसी होने के नाते, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ईसीएल कार्यप्रणाली के अनुसार भारतीय लेखांकन मानकों (इंड-एएस) 109 के अनुसार अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का प्रावधान करती है। हालांकि ऐसे प्रावधान जो कि आरबीआई आईआरएसीजी मानकों के अन्तर्गत अपेक्षित है, उनपर निम्न टिप्पणी (डब्ल्यू में आईआरएसीपी मानकों के अनुरूप अपेक्षित प्रावधानों की गणना कि लिए विचार किया गया है।

(म) आरबीआई की आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान शर्तों (आईआरएसीपी) के अनुसार आवश्यक प्रावधान और भारतीय लेखांकन मानक इंड-एएस के अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ते के बीच तुलना

(₹ करोड़ में)

आरबीआई मानदंड के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ	इंड-एएस 109 के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ	बकाया राशि	इंड-एएस के अनुसार सकल धारित राशि	इंड-एएस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड-एएस 109 प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड मध्य विभिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
प्रदर्शित परिसंपत्तियाँ							
मानक	स्तर 1	298,737.86	300,392.16	480.08	299,912.08	1,779.27	(1299.19)
	स्तर 2	2,431.27	2,431.83	963.83	1,468.00	702.28	261.55
उप जोड़ (1)		301,169.13	302,823.99	1,443.91	301,380.08	2,481.55	(1037.64)
गैर-प्रदर्शित परिसंपत्तियाँ							
अवमानक परिसंपत्तियाँ	स्तर 3	2,037.61	2,037.61	468.91	1,568.70	203.76	265.15
संदिग्ध परिसंपत्तियाँ							
1 वर्ष तक	स्तर 3	3,973.02	3,973.02	1,646.55	2,326.47	1,282.92	363.63
1 से 3 वर्ष	स्तर 3	11,276.57	11,276.57	5,724.26	5,552.31	6,024.78	(300.52)
3 वर्ष से अधिक	स्तर 3	3,951.13	3,951.13	2,695.19	1,255.94	2,787.48	-92.29
संदिग्ध परिसंपत्तियाँ के लिए उपजोड़		19,200.72	19,200.72	10,066.00	9,134.72	10,095.18	(29.18)
हानि परिसंपत्तियाँ	स्तर 3	17.22	17.22	17.22	-	17.22	-
एनपीए के लिए उपजोड़ (2)		21,255.55	21,255.55	10,552.13	10,703.42	10,316.16	235.97
कुल ऋण परिसंपत्तियाँ		322,424.68	324,079.54	11,996.04	312,083.50	12,797.71	(801.67)
अन्य मदें जो इंड-एस 109 के दायरे में हैं, लेकिन आईआरएसीपी मानदंडों के तहत कवर नहीं किए गए हैं							
सुविधा पत्र	स्तर 1	959.67	959.67	8.38	951.29	-	8.38
उप-जोड़ (3)		959.67	959.67	8.38	951.29	-	8.38
जोड़	स्तर 1	299,697.53	301,351.83	488.46	300,863.37	1,779.27	(1290.81)
	स्तर 2	2,431.27	2,431.83	963.83	1,468.00	702.28	261.55
	स्तर 3	21,255.55	21,255.55	10,552.13	10,703.42	10,316.16	235.97
	जोड़	323,384.35	325,039.21	12,004.42	313,034.79	12,797.71	(793.29)

इंड-एएस 109 के तहत क्षतिपूर्ति भत्ते और आरबीआई द्वारा जारी की गई आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) शर्तों (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान के बीच अंतर को "क्षतिपूर्ति रिजर्व" के लिए विनियोजित किया जाता है। नोट 27.9 देखें।

समेकित लेखा टिप्पणियां

50.1.4 ट्रेड प्राप्त के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि

कंपनी आरईसीपीडीसीएल, आरईसी की एक सहायक कंपनी के ट्रेड प्राप्त के संबंध में ईसीएल पद्धति के तहत सरलीकृत दृष्टिकोण का प्रयोग करके जीवन पर्यन्त ऋण हानियों का प्रावधान करती है।

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1 वर्ष – 2 वर्ष	2 वर्ष – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2020 के अनुसार					
सकल धारित मूल्य	70.93	42.14	9.86	33.60	156.53
प्रत्याशित हानि दरें	14.70%	25.20%	50.00%	100.00%	38.06%
प्रत्याशित हानि दरें (प्रावधान)	10.43	10.62	4.93	33.60	59.58
धारित राशि (इंपेयरमेंट का निवल)	60.50	31.52	4.93	-	96.95
31 मार्च 2019 के अनुसार					
सकल धारित मूल्य	94.13	31.52	3.37	23.83	152.85
प्रत्याशित हानि दरें	10.36%	8.76%	50.15%	100.00%	24.88%
प्रत्याशित हानि दरें (प्रावधान)	9.75	2.76	1.69	23.83	38.03
धारित राशि (इंपेयरमेंट का निवल)	84.38	28.76	1.68	-	114.82

आरईसीपीडीसीएल को 1 वर्ष से अधिक समय से बकाया व्यापारिक प्राप्तियों पर क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने का अनुमान है।

आरईसीटीपीसीएल के मामले में, नुकसान और अपेक्षित नुकसान की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं है, इसलिए कंपनी ने चालू वर्ष में कोई सामान्य प्रावधान तैयार नहीं किया है। 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार क्षतिपूर्ति प्रावधान एक देनदार जेकेपीडीडी से कुछ परियोजनाओं की वसूली में कुछ देरी की उम्मीद के कारण एक सामान्य दृष्टिकोण के बजाय विशिष्ट परिसंपत्तियों पर निर्भित व्यापारिक प्राप्तियों पर क्षतिपूर्ति प्रावधान का प्रतिनिधित्व करता है। यह विलंब मान्यता की तारीख से उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि प्रचालनों के नियत समय के दौरान विकसित हुआ है। कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यापारिक प्राप्तियों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति हानि भत्ता बनाया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		
	सकल ट्रेड प्राप्त	इंपेयरमेंट हानि भत्ते	निवल ट्रेड प्राप्त
जेकेपीडीडी – उदय	4.98	0.97	4.01
जेकेपीडीडी – पीएमए	4.78	0.92	3.86
जेकेपीडीडी – पीआईए	7.08	1.34	5.74
कुल	16.84	3.23	13.61

31 मार्च 2019 के अनुसार इंपेयरमेंट हानि भत्ते शून्य है।

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार आरईसीटीपीसीएल के वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य व्यापार प्राप्तियों, जिनके लिए कोई अपेक्षित क्रेडिट हानि नहीं है, की राशि ₹ 3.93 करोड़ (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 22.90 करोड़) होती है।

50.2 तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी उन वित्तीय देयताओं से संबद्ध दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना होगा जिनका निपटान नकद अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति की सुपुर्दगी कर किया जाता है। परिसमापन का प्रबंधन करने में कंपनी का दृष्टिकोण यथासंभव सुनिश्चित करना है कि उसकी देयताएं देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए उसमें पर्याप्त समापन हो।

कंपनी मिश्रित कार्यनीतियों के माध्यम से अपने तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है जिनमें प्रस्तावित संवितरणों के आधार पर अग्रवर्ती संसाधन जुटाना और दायित्वों को पूरा करना शामिल है। कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और साथ ही एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति ("एएलसीओ") भी गठित की है जो तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की मॉनीटरिंग करती है।

कंपनी पर्याप्त बैंक शेष, अल्पावधि निवेश बनाए रखती है जो नकद तथा पर्याप्त उधार और निरंतर पूर्वानुमान तथा वास्तविक नकद प्रवाह की मॉनीटरिंग करके ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में तैयार रूप से बदले जा सकते हैं।

समेकित लेखा टिप्पणियां

		(₹ करोड में)
31 मार्च 2020 के अनुसार	30 / 31 दिनों तक	1 माह से आधिक एवं 2 माह तक
		2 माह से आधिक एवं 3 माह तक
		3 माह से आधिक एवं 6 माह तक
		6 माह से आधिक एवं 1 वर्ष तक
		1 वर्ष से आधिक एवं 3 वर्ष तक
		3 वर्ष से आधिक एवं 5 वर्ष तक
		5 वर्ष से आधिक
		कुल
गैर-चुप्तन वित्तीय देयताएँ:		
लघु उद्धारियाँ		
ऋण प्रतिशूलियाँ		
-मूल	463.40	503.64
-ब्याज	622.04	937.01
अन्य उद्धारियाँ		
- मूल	505.08	600.08
-ब्याज	342.74	130.49
अधीनस्थ देयताएँ:		
- मूल	-	-
-ब्याज	-	201.50
विदेशी मुद्रा उआरियाँ		
ऋण प्रतिशूलियाँ		
- मूल	-	-
-ब्याज	-	138.14
अन्य उद्धारियाँ		
- मूल	-	565.39
-ब्याज	45.09	36.08
चुप्तन देयताएँ:		
ब्याज दर स्वैप	-	-
अन्य -		
रिवर्स क्रॉस मुद्रा स्वैप	-	-
		75.15
		664.52
		739.67

50.2.1 भविष्य के छूटरहित नकदी प्रवाह का परिपक्वता पैटर्न

वित्तीय देयताओं की मदों से संबंधित नकदी प्रवाह (भविष्य की छूटरहित नकदी प्रवाह मूलधन और ब्याज की ओर दर्शाना) निम्नानुसार है:

	31 मार्च 2019 के अनुसार	30 / 31 दिनों तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल	(₹ करोड़ में)
गैर-युत्पन्न वित्तीय देयताएँ:											
कृपी उधारियाँ											
ऋण प्रतिमूलियाँ											
-मूल	3,256.39	525.21	2,294.33	9,272.90	20,218.27	65,194.54	25,107.93	49,187.62	175,057.19		
-द्वाज	484.75	912.75	1,840.88	2,754.00	6,877.86	19,633.29	11,001.43	13,288.00	56,792.96		
अन्य उधारियाँ											
- मूल	-	350.00	500.00	850.00	200.01	4,257.52	13,405.02	5,187.59	24,750.14		
-द्वाज	133.77	129.71	355.81	388.00	975.00	3,673.00	2,176.00	2,055.00	9,886.29		
अधीनस्थ देयताएँ											
- मूल	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,151.20	4,651.20	
-द्वाज	-	201.50	-	-	189.26	782.00	782.00	945.00	2,899.76		
विदेशी मुद्रा उधारियाँ											
ऋण प्रतिमूलियाँ											
- मूल	-	-	-	-	-	2,766.85	4,841.99	5,187.85	12,796.69		
-द्वाज	-	126.06	42.33	108.00	279.00	1,052.00	1,281.00	807.00	3,695.39		
अन्य उधारियाँ											
- मूल	-	1,729.28	71.11	1,058.63	2,444.00	10,423.28	6,234.49	-	21,960.79		
-द्वाज	-	43.40	54.77	42.07	229.00	290.00	734.00	278.00	-	1,671.24	
युत्पन्न देयताएँ:											
द्वाज दर स्वैप	-	-	-	0.59	6.26	10.19	110.01	3.11	130.16		
मुद्रा स्वैप	-	-	-	-	-	0.41	-	-	0.41		
अग्रवर्ती अनुबंध	10.26	-	-	-	-	-	-	-	-	10.26	
अन्य -	-	-	-	0.37	18.20	-	-	-	-	18.57	
सीधुल विकल्प	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

पुट एंड कॉल और अँगन वाले बॉन्ड्स को सबसे जल्दी क्रियान्वित की जाने वाली तरीख पर विचार करते हुए दर्शाया गया है। युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के लिए तरलता वित्तेषण युत्पन्न अनुबंध के उचित मूल्यों पर आधारित है और परिपक्वता बोकेट, संवधि युत्पन्न उपस्कर के शेष कार्यकाल के आधार पर निकाली गई है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

वित्तीय देयताओं के लिए अपेक्षित पर्याप्त नकद प्रवाह का वित्तपोषण निम्नलिखित रूप में ऋणों से हटारहित नकद प्रवाहों (मूल तथा ब्याज) के माध्यम से किया जाएगा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2020 के अनुसार										
मूल	590.00	306.00	3,638.03	7,626.38	15,889.84	63,791.10	55,014.93	63,572.36	310,428.64	
ब्याज	613.00	250.00	6,103.36	7,819.74	14,756.16	51,025.65	38,311.76	71,028.36	189,908.03	
31 मार्च 2019 के अनुसार										
मूल	1,654.88	1,316.82	3,073.31	7,365.12	13,781.11	55,904.77	50,995.33	135,620.42	269,711.76	
ब्याज	866.67	684.94	5,324.18	6,853.48	12,557.11	43,097.02	31,940.32	53,720.12	155,043.84	

स्तर III की परिसंपत्तियों से संबंधित मूल नकदी प्रवाह, प्रत्याशित क्रोडिट हानि के निवल को परिपक्वता तिथि के बावजूद 5 वर्ष से अधिक के बकेट में विचार किया गया है।

50.2.2 आरबीआई द्वारा यथानिधिरित, महत्वपूर्ण वित्तीय आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता पैटर्न

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2020 के अनुसार	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियां	590.00	306.00	3,638.03	8,565.24	15,889.84	63,791.10	55,014.93	64,288.36	312,083.50	
निवेश	-	-	-	-	1,501.45	22.93	-	-	602.73	2,127.11
रुपी उद्यारियाँ	1,120.17	712.47	7,589.45	14,788.18	21,131.97	57,816.85	36,641.24	58,053.36	197,853.69	
ऋण प्रतिशूलियां	507.08	600.08	826.89	2,160.09	1,567.21	11,454.18	5,820.02	10,050.02	32,985.57	
अन्य उधारियाँ	-	168.47	-	-	2.11	-	2,499.33	2,149.74	4,819.65	
विदेशी मुद्रा उद्यारियाँ	-	106.20	66.41	63.61	2,994.65	-	13,849.28	4,984.41	22,064.56	
ऋण प्रतिशूलियां	31.38	572.29	611.79	4,032.85	8,471.94	6,567.71	7,689.56	587.57	28,565.09	
अन्य उधारियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
विदेशी मुद्रा देयताएँ (उद्यारियों के अलावा)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

समेकित लेखा टिप्पणी

	(₹ करोड़ में)	31 मार्च 2019 के अनुसार	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियाँ	1,850.88	1,316.82	3,401.32	7,627.17	13,781.11	55,904.77	50,995.33	135,573.52	270,450.92		
निवेश	56.56	-	-	-	48.30	1,500.00	-	-	678.27	2,283.13	
छपी उत्पादियाँ											
ऋण प्रतिमूलियाँ	3,781.97	621.87	3,645.36	11,092.27	22,325.05	65,199.36	25,107.93	48,821.65	180,595.46		
अन्य उत्पादियाँ	126.93	350.00	500.00	850.00	207.34	4,257.52	13,405.02	5,187.59	24,884.40		
अधीनस्थ देयताएँ	-	168.38	-	-	1.59	-	2,499.15	2,149.65	4,818.77		
विदेशी युद्धा उत्पादियाँ											
ऋण प्रतिमूलियाँ	-	98.15	24.29	30.88	-	2,722.66	4,784.70	4,511.39	12,172.07		
अन्य उत्पादियाँ	27.10	1,750.21	74.77	1,079.80	2,444.00	10,167.79	6,234.49	-	21,778.16		
विदेशी युद्धा परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
विदेशी युद्धा देयताएँ (उत्पादियों के अलावा)											

50.2.3 वित्तोषण उपाय

निमोनिंग अवधि के अंत में कंपनी के पास अंडरग्राउंड उथारी सुविधाओं तक पहुंच थी।

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
एक वर्ष के अंदर की समाप्त हो रही अवधि (नकद ऋण और अन्य सुविधाएँ)		
– स्थाई दर	8,780.00	11,440.00
एक वर्ष के बाद समाप्त हो रही अवधि (ऋण/उथारियाँ)		
– स्थाई दर	497.82	1,577.11

50.2.4 तरलता जोखिम प्रबंधन पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष / महत्वपूर्ण लिखत / उत्पाद को कंपनी के कुल देनदारियों के 1% से अधिक के लिए एकीकृत रूप में जुड़े हुए अथवा संबद्ध प्रतिपक्षों के एकल प्रतिपक्ष / एकल लिखत / उत्पाद या समूह जुड़े या संबद्ध प्रतिपक्षों के रूप में परिभाषित किया जाता है।

(i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष के आधार पर वित्त संकेदण (उथारियाँ)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
महत्वपूर्ण प्रतिपक्षों की संख्या	14	16
राशि (₹ करोड़ में)	125,850.36	103,251.25
कुल देयताओं का %	40.38%	39.12%

समेकित लेखा टिप्पणियां

(ii) शीर्ष 10 की उधारियाँ

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %
1. नेशनल स्माल सेविंग फंड (एनएसएसएफ) से आवधिक ऋण	10,000.00	3.57%	5,000.00	2.09%
2. 54 ईसी श्रृंखला XI (2017–18)	9,565.23	3.42%	9,565.23	4.00%
3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आवधिक ऋण	7,299.92	2.61%	7,300.00	3.05%
4. 54 ईसी श्रृंखला – XI (2018–19)	6,651.77	2.38%	5,929.73	2.48%
5. 54 ईसी श्रृंखला – XI (2018–19)	5,759.14	2.06%	-	0.00%
6. विदेशी मुद्रा बॉण्ड – यूएस \$700 मिलियन बॉण्ड	5,277.01	1.88%	4,841.99	2.02%
7. संस्थागत बॉण्ड – 182वीं श्रृंखला	5,063.00	1.81%	-	0.00%
8. विदेशी मुद्रा बॉण्ड – यूएस \$650 मिलियन	4,900.08	1.75%	-	0.00%
9. संस्थागत बॉण्ड – 114वीं श्रृंखला	4,300.00	1.54%	4,300.00	1.80%
10. संस्थागत बॉण्ड – 105वीं श्रृंखला	3,922.20	1.40%	3,922.20	1.64%
कुल	62,738.35	22.40%	40,859.15	17.08%

iii महत्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेंट / उत्पादों के आधार पर वित्त संकेत्रण

महत्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेंट / उत्पादों के नाम	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %
1. ऋण प्रतिभूतियाँ				
संस्थागत बॉण्ड	152,120.20	48.81%	129,273.30	48.98%
विदेशी मुद्रा बॉण्ड	22,615.78	7.26%	12,796.69	4.85%
54 ईसी कैपिटल गेन टैक्स	22,376.33	7.18%	23,879.92	9.05%
टैक्स फ्री बॉण्ड	12,602.97	4.04%	12,577.97	4.77%
उप- जोड़ (1)	209,715.28	67.30%	178,527.88	67.65%
2. उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)				
विदेशी मुद्रा उधारियाँ	21,762.71	6.98%	17,637.62	6.68%
बैंक से आवधिक ऋण	18,899.78	6.06%	18,550.00	7.03%
भारत सरकार से आवधिक ऋण	10,000.00	3.21%	5,000.00	1.89%
एफसीएनआर (ख) ऋण	6,973.20	2.24%	4,323.20	1.64%
उप- जोड़ (2)	57,635.69	18.49%	45,510.82	17.24%
3 अधीनस्थ देयताएँ	4,651.20	1.49%	4,651.20	1.76%
जोड़ (1+2+3)	272,002.17	87.28%	228,689.90	86.66%

iv स्टॉक रेशियो

विवरण	31.03.2020 के अनुसार				31.03.2019 के अनुसार			
	राशि (₹ करोड़ में)	लोक निधि का %	कुल देयताओं का %	कुल परिसंपत्तियों का %	राशि (₹ करोड़ में)	लोक निधि का %	कुल देयताओं का %	कुल परिसंपत्तियों का %
कमर्शियल पेपर	2,925.00	1.04%	0.94%	0.84%	7,975.00	3.33%	3.02%	2.67%
गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जिसमें एक वर्ष से कम की परिपक्वता है	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य अल्पावधि देयताएँ	10,829.62	3.87%	3.48%	3.12%	4,776.01	2.00%	1.81%	1.60%

समेकित लेखा टिप्पणियां

53.3 बाजार जोखिम — मुद्रा जोखिम

कंपनी विदेशी मुद्रा लेन—देनों, प्रमुख रूप से अमेरिकी डॉलर, यूरो और जेपीवाई के संबंध में, से उत्पन्न होने वाले विदेशी विनिमय जोखिम में है। विदेशी मुद्रा जोखिम कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा को छोड़कर, मुद्रा में दर्शाई गई मान्यता प्राप्त देयताओं से उत्पन्न होता है। कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम में होने को कम करने के लिए गैर-आईएनआर नकद प्रवाह की मॉनीटरिंग की जाती है और कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार व्युत्पन्नात्मक संविदाएं की जाती हैं।

कंपनी में एक बोर्ड अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ—साथ विदेशी मुद्रा उधार से जुड़े जोखिमों का प्रबंधन करना है। हेज अनुपात, अन—हेज्ड स्थिति, मार्क—टू मार्केट स्थिति, बैंकों में स्थिति की सीमा आदि जैसे मानदंडों की विदेशी मुद्रा जोखिम तथा व्याज दर जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में मॉनीटरिंग की जाती है। इस नीति में उन मानदंडों का दिशा—निर्देश करने का प्रावधान है जिनके अंतर्गत कंपनी मुद्रा जोखिम तथा व्याज जोखिम के प्रबंधन के लिए निर्णय ले सकती है जो कि विदेशी मुद्रा ऋण के कारण होती है जिसमें ऋण प्रतिभूतियां शामिल हैं। इस नीति का उद्देश्य कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम और व्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने के लिए कंपनी को एक कार्यठांचा प्रदान करना है।

वर्तमान में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में सदस्यों के रूप में वित एवं प्रचालन प्रभागों से निदेशक, कार्यकारी निदेशक और मूख्य महाप्रबंधकों के साथ कार्य कर रही है। एएलसीओ विभिन्न व्युत्पन्नात्मक दस्तावेजों के माध्यम से प्रबंधित विनिमय दर और व्याज दर के साथ विदेशी मुद्रा जोखिम की मॉनीटरिंग करती है। कंपनी विदेशी मुद्रा अग्रवर्ती संविदाओं, मुद्रा विकल्पों, केवल मूल स्वैप्स और अग्रवर्ती दर करारों जैसे विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से विनिमय दर शामिल करने के लिए विभिन्न व्युत्पन्नात्मक लेन—देन करती है। ये व्युत्पन्नात्मक लेन—देन हेजिंग प्रयोजन के लिए किए जाते हैं न कि व्यापार अथवा सद्वा प्रयोजन के लिए।

विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियों और उधार के संबंध में कंपनी ने विदेशी मुद्रा स्थिति को घेरने के लिए क्रॉस करेंसी स्वैप (मूल और/अथवा व्याज) भी निष्पादित किया है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, विदेशी मुद्रा स्थिति की बकाया स्थिति निम्नलिखित है:

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में, भारतीय रुपए के समतुल्य ₹ करोड़ में)

मुद्रा	31.03.2020 के अनुसार			31.03.2019 के अनुसार		
	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग
अमेरिकी डॉलर \$	6,591.96	4,070.00	2,521.96	4,830.00	3,370.00	1,460.00
भारतीय रुपए के समतुल्य	49,694.10	30,682.06	19,012.04	33,409.72	23,310.73	10,098.99
जापानी येन ¥	11,755.14	10,623.67	1,131.47	12,428.85	10,920.22	1,508.63
भारतीय रुपए के समतुल्य	818.75	739.94	78.81	777.05	682.73	94.32
यूरो €	55.15	29.70	25.45	73.45	48.00	25.45
भारतीय रुपए के समतुल्य	458.04	246.69	211.35	570.74	373.00	197.74
सिंगापुर डॉलर \$	72.08	72.08	-	-	-	-
भारतीय रुपए के समतुल्य	380.80	380.80	-	-	-	-
कुल	51,351.69	32,049.49	19,302.20	34,757.51	24,366.46	10,391.05

50.3.1 संवेदनशीलता विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका अन—हेज्ड स्थितियों पर आईएनआर के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनिमय में 5 प्रतिशत परिवर्तन के लिए एफसीएमआईटीडीए (+लाभ / (हानि)) सहित लाभ एवं हानि पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	अनुकूल	प्रतिकूल	अनुकूल	प्रतिकूल
अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपया	711.35	(711.35)	328.50	(328.50)
जापानी येन/भारतीय रुपया	2.95	(2.95)	3.07	(3.07)
यूरो/भारतीय रुपया	7.91	(7.91)	6.43	(6.43)
सिंगापुर डॉलर/भारतीय रुपया	-	-	-	-

*अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए

समेकित लेखा टिप्पणियां

कंपनी के समक्ष विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा है, जो मुख्य रूप से यूएस डॉलर, यूरो और जेपियाई में विभिन्न विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों से संबंधित है। इन ऋणों के कारण ब्याज दर का जोखिम भी सामने आया क्योंकि अधिकारी नीति की एक जारी विभिन्न प्रबंधन नीति है, जिसका उद्देश्य कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा से इतर किसी अन्य मुद्रा में मूल्यवर्गीत ऋणों से उत्पन्न विदेशी मुद्रा और उसके ऋण पर ब्याज दर को हेज करना है। कंपनी विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं, वायदा संविदाओं, क्रॉस करेसी रूप और ब्याज दर रूप के संयोजन का उपयोग करती है ताकि विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को कम किया जा सके।

हेज अपश्वाशीलता हेज संबंध की शुरुआत में और समय-समय पर संभावित प्रश्वाशीलता के आकलन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कि हेज किए गए आइटम और हेजिंग लिखत के बीच एक आधिक संबंध सौंदूर है, के माध्यम से निहारित की जाती है। कंपनी निम्नलिखित प्रश्वाशीलता परीक्षण एन्टारियो लागू करती है कि

(i) क्रॉस करेसी रूप और ब्याज दर स्वैप जो हेज की गई मदों की शर्त से बिल्कुल मेल खाता है। कंपनी निम्नलिखित प्रश्वाशीलता गुणात्मक कारकों पर आधारित है जिसमें महत्वपूर्ण शब्दों से मेल वाली पद्धति का प्रयोग किया जाता है।

(ii) अन्य ब्याज दर स्वैप (दोर से पदनामिति किए जाने के मामलों में) के लिए कंपनी एक काल्यानिक युपान्ना (डेरिवेटिव) का उपयोग करके डॉलर ऑफसेट विधि का उपयोग करती है। डॉलर ऑफसेट विधि एक मात्रात्मक विधि है जिसमें हेजिंग लिखत के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन की हेज किए गए जोखिम के कारण हेज किए गए आइटम के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन के साथ तुलना करना शामिल होता है।

(iii) विकल्प संरचनाओं के लिए कंपनी डॉलर ऑफसेट पद्धति के आधार पर कठोर प्रतिगमन विशेषण आधारित विधि का उपयोग करके हेजिंग लिखत और हेज किए गए आइटम के व्यवहार का विश्लेषण करती है।

- कंपनी ने हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया है क्योंकि हेजिंग लिखत के अन्तर्निहित जोखिम और आकस्मिक मात्रा समान है।
- (क) 31 मार्च, 2020 के अनुसार तुलन पत्र पर हेज लेखांकन के प्रभाव
- | जोखिम एवं हेज के प्रकार | काल्यान मुद्रा (मिलियन में) | हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट के घासित राशि | परिसंपत्तियां | देखतां | पूर्ण लेखि | हेज दरें | मासित औसत | हेजिंग | इन्स्ट्रूमेंट के उचित मूल्य में परिवर्तन | हेज प्रश्वाशीलता को मास्त्रता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन |
|---|-----------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|------------|----------|-----------|----------|--|--|
| (i) नकदी प्रवाह हेज विदेशी विनियम एवं ब्याज दर जोखिम -स्प्रिट स्ट्रक्चर | अमेरिकी डॉलर 141.00 | 1,494.84 | - | मई 2020– मार्च 2025 | 1:1 | 71.88 | 213.14 | (213.14) | 10.30 | (10.30) |
| (ii) -कॉल स्प्रेड क्रॉस मुद्रा रूप | जापानी यून 1,032.71 | 167.37 | - | अग्ना 2023 | 1:1 | 0.62 | 71.94 | 81.36 | 81.36 | (81.36) |
| (iii) ब्याज दर रूप | अमेरिकी डॉलर 25.00 | 97.16 | (297.86) | मार्च 2024 | 1:1 | 3.67% | (175.35) | 175.22 | | |
| | अमेरिकी डॉलर 100.00 | - | | दिस. 2020–मार्च 2025 | 1:1 | | | | | |
| | जापानी यून 1,032.71 | - | (5.28) | अग्ना 2023 | 1:1 | 0.42% | (1.29) | 1.29 | 2.32 | (2.32) |
| | सिंगापुर डॉलर 7.21 | 2.32 | - | मार्च 2025 | 1:1 | 1.18% | (185.91) | 185.91 | | |
| | अमेरिकी डॉलर 126.00 | 5.24 | (134.45) | जुलाई 2020 | 1:1 | 2.35% | | | | |
| | | | | जुलाई 2024 | | | | | | |

(ख) 31 मार्च, 2020 के अनुसार तुलन पत्र पर हेज लेखांकन के प्रभाव

हेज के प्रकार	काल्यान मुद्रा (मिलियन में)	हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट के घासित राशि	पूर्ण लेखि	हेज दरें	मासित औसत	हेजिंग	इन्स्ट्रूमेंट के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रश्वाशीलता को मास्त्रता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन
(i) नकदी प्रवाह हेज विदेशी विनियम एवं ब्याज दर जोखिम -स्प्रिट स्ट्रक्चर	अमेरिकी डॉलर 141.00	1,494.84	-	मई 2020– मार्च 2025	1:1	71.88	213.14	(213.14)
(ii) -कॉल स्प्रेड क्रॉस मुद्रा रूप	जापानी यून 1,032.71	167.37	-	अग्ना 2023	1:1	0.62	71.94	81.36
(iii) ब्याज दर रूप	अमेरिकी डॉलर 25.00	97.16	(297.86)	मार्च 2024	1:1	3.67%	(175.35)	175.22

(ख) 31 मार्च, 2020 के अनुसार लाभ एवं हानि पर हेज लेखांकन के प्रभाव

हेज के प्रकार	अन्य व्यापक आय में मास्त्रता दिए गए हेजिंग मास्त्रता प्राप्त हेज नकदी प्रवाह हेज रिजर्व से पुनर्वर्गीकृत राशि	(₹ करोड़ में)
नकदी प्रवाह हेज - विदेशी विनियम एवं ब्याज दर जोखिम	55.3	0.13
— विदेशी विनियम एवं ब्याज दर जोखिम		(629.26)
		0.03

समेकित लेखा टिप्पणियां

(ग) नकदी प्रवाह हेजिंग रिजर्व और हेजिंग रिजर्व की लागत में संचलन

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
नकदी प्रवाह हेजिंग के प्रभावी भाग	-
प्रारम्भिक शेष	687.21
जोड़ : विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं के वास्तविक मूल्यों में परिवर्तन	(174.20)
जोड़ : क्रॉस मुद्रा स्वैप के उचित मूल्य में परिवर्तन	(185.90)
जोड़ : ब्याज दर स्वैप के उचित मूल्य में परिवर्तन	(629.23)
घटाएँ : पुनः वर्गीकृत राशि के लाभ या हानि	76.04
घटाएँ : उपरोक्त (निवल) से संबंधित आस्थगित कर	(226.08)
समाप्ति वर्ष पर शेष	
हेजिंग रिजर्व की लागत	-
प्रारम्भिक शेष	(382.41)
जोड़ : विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं में आस्थगित समय मूल्य में परिवर्तन	108.80
घटाएँ : समय मूल्य का परिशोधन	68.86
घटाएँ : उपरोक्त (निवल) से संबंधित आस्थगित कर	(204.75)
समाप्ति वर्ष पर शेष	

50.4 बाजार जोखिम — ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो ब्याज दरों में बदलाव के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह में उतार—चढ़ाव से उत्पन्न होगा।

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो ब्याज दरों में बदलाव के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह में उतार—चढ़ाव से उत्पन्न होगा। ब्याज दरें गतिशील और विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर होती हैं, जिनमें आरबीआई की नीति में बदलाव, बाजार में तरलता, एए बॉण्ड/जी—सेक पैदावार जैसे बाहरी बैंचमार्क की आवाजाही आदि शामिल हैं। कंपनी ब्याज दरों में उतार—चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए ब्याज दर स्वैप संविदाओं, वायदा ब्याज दर संविदाओं जैसे जैसी विभिन्न व्युत्पन्न संविदाओं के माध्यमों से अपनी ब्याज दर के जोखिम का प्रबंधन करती है।

निम्नलिखित तालिका निम्नलिखित रूप में 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार हेज्ड/अन-हेज्ड श्रेणी के तहत विभाजन सहित अस्थिर दर देयताओं पर ब्याज दर जोखिम में कंपनी की समग्र स्थिति दर्शाती है:

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन भारतीय रुपए के समतुल्य ₹ करोड़ में)

मुद्रा	31.03.2020 के अनुसार			31.03.2019 के अनुसार		
	स्थिर ब्याज दर एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग	स्थिर ब्याज दर एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग
भारतीय रुपए उधारियाँ	19,899.78	-	19,899.78	19,550.00	-	19,550.00
अमेरिकी डॉलर \$	3,241.96	2,830.00	411.96	2,980.00	2,005.00	975.00
भारतीय रुपए के समतुल्य	24,439.81	21,334.21	3,105.60	20,613.05	13,868.85	6,744.20
जापानी येन ¥	10,327.12	10,327.12	-	10,327.12	10,327.12	-
भारतीय रुपए के समतुल्य	719.28	719.28	-	645.65	645.65	-
सिंगापुर डॉलर \$	72.08	72.08	-	-	-	-
भारतीय रुपए के समतुल्य	380.83	380.83	-	-	-	-
कुल भारतीय रुपए के समतुल्य	45,439.70	22,434.32	23,005.38	40,808.70	14,514.50	26,294.20

कंपनी के ऋणदाता पोर्टफोलियो में अर्ध—स्थिर दर अर्थात् ऋणकर्ता के साथ 1/3/10 वर्ष के रीसेट विकल्प के साथ ब्याज की दर पर ब्याज की दर निर्धारित की जाती है। कंपनी अपनी ऋण दरों की समय—समय पर प्रचलित बाजार की स्थितियों, उधार लेने की लागत, उससे लाभ, प्रसार, प्रतिस्पर्धियों की दरों, मंजूरियों और संवितरण आदि के आधार पर समीक्षा करती है। ऋण के पूर्व भुगतान के मामले में प्री-ऐमेंट जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी ऋणकर्ताओं से प्री-ऐमेंट प्रीमियम वसूलती है। ब्याज दर संवेदनशीलता का प्रबंधन ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर कथनों के विश्लेषण और अचल और अस्थायी ब्याज दरों के मिश्रण के साथ परिसंपत्तियों और देनदारियों के निर्माण का मूल्यांकन करके किया जाता है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

कंपनी निम्नलिखित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज दर जोखिम की स्थिति में है जो कि अर्ध-निर्धारित दरों पर है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
रुपी ऋण	312,065.92	279,021.68

संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका 50 आधार अंकों की वृद्धि अथवा कमी के लिए अथवा अन-हेज्ड स्थितियों पर कंपनी की अस्थिर दर परिसंपत्तियों और देयताओं पर ब्याज दर में लाभ एवं हानि (लाभ/हानि) पर प्रभाव दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अस्थिर दर ऋण देयताएं	(86.08)	86.08	(85.53)	85.53
अस्थिर/अर्ध-निर्धारित दर ऋण परिसंपत्तियां	1,167.63	(1,167.63)	907.60	(907.60)

* अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए

उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण यह मानते हुए तैयार किया गया है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया धनराशि पूरे वर्ष के लिए बकाया रहती है। 50 आधार अंक की वृद्धि अथवा गिरावट ब्याज दर में उपर्युक्त रूप से संभावित परिवर्तन के प्रबंधन का मूल्यांकन दर्शाती है।

50.5 बाजार जोखिम – कीमत जोखिम

कंपनी उल्लिखित इकिवटी शेयरों और उद्यम पूँजीगत निधियों में निवेशों से उत्पन्न होने वाले इकिवटी कीमत जोखिमों की स्थिति में है। कंपनी के इकिवटी निवेश व्यापारिक प्रयोजनों के बजाए नीतिगत प्रयोजनों के लिए रखे जाते हैं।

संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका, समूह से बाहर कंपनी के इकिवटी निवेशों पर संबंधित कीमतों में 5 प्रतिशत की वृद्धि अथवा गिरावट के लिए ओसीआई लाभ/हानि को पर प्रभाव दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अन्य व्यापक आय पर प्रभाव (ओसीआई)	25.68	(25.68)	32.35	(32.35)
लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभाव (पीएल)	0.63	(0.63)	-	-

51. व्युत्पन्नों से संबंधित अतिरिक्त प्रकटन

51.1 अग्रवर्ती दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(i) स्वैप अनुबंधों का कल्पित मूल	65,453.01	45,803.16
(ii) हानियां, जोकि अनुबंधों के तहत उनकी बाध्यताओं को पूरा करने में प्रतिपक्षों के असफल होने पर घटित होंगी	3,318.85	1,802.58
(iii) स्वैप में प्रविष्ट करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित कोलेटरल	शून्य	शून्य
(iv) स्वैपों के कारण उत्पन्न हुए क्रेडिट जोखिम का संकेद्रण	कृप्या निम्न का संदर्भ लें	कृप्या निम्न का संदर्भ लें
(v) स्वैप बही का उचित मूल्य	1,993.12	1,643.18

* कंपनी द्वारा किए गए सभी मुद्रा व्युत्पन्न और ब्याज व्युत्पन्न शामिल हैं। आरईसी ने एक एनबीएफसी होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार श्रेणी-1, प्राधिकृत डीलर बैंकों के साथ ही स्वैप करार किया है। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप करार बोर्ड अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित ऋण जोखिम सीमा के अंतर्गत हैं।

समेकित लेखा टिप्पणियां

51.2 कंपनी ने किसी भी एक्सचेंज ट्रेडेड व्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नों को नहीं किया है।

51.3 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न*		व्याज दर व्युत्पन्न**		अन्य व्युत्पन्न (रिजर्व क्रॉस करेंसी स्वैप)***	
	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(i) व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि)						
हेजिंग के लिए	32,049.49	24,366.46	29,056.52	21,436.70	4,347.00	-
(ii) मार्केट टु मार्केट स्थितियां						
क) परिसंपत्ति (+)	3,177.14	1,642.11	141.71	160.47	-	-
ख) देयता (-)	-	29.24	586.06	130.16	739.67	-
(iii) क्रेडिट एक्सपोजर	32,049.49	24,366.46	29,056.52	21,436.70	4,347.00	-
(iv) अनहेजेड एक्सपोजर	19,302.20	10,391.05	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

* इसमें पूरा हेज, मूल केवल स्वैप और कॉल स्प्रैड शामिल हैं।

** इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में व्याज दर व्युत्पन्न शामिल हैं।

*** इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में रिजर्व क्रॉस करेंसी स्वैप शामिल हैं।

52 कंपनी पर कोविड -19 महामारी का प्रभाव

कोविड-19 के लिए जिम्मेदार एसएआरएस-सीओवी-2 वायरस भारत सहित परे विश्व में फैलता जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वैशिक और भारतीय वित्तीय बाजारों में उल्लेखनीय गिरावट और अस्थिरता आई है। इसने वैशिक और भारतीय आर्थिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न किया है। 11 मार्च 2020 को, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा कोविड-19 के प्रकोप को एक वैशिक महामारी घोषित किया गया। कंपनी द्वारा अनुकूलित तरीके से व्यावसायिक कार्यों की निरंतरता के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

कारोबार प्रचालनों पर प्रभाव

इस अभूतपूर्व अवधि के दौरान, कंपनी ने अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा और भलाई के लिए राष्ट्रीय तालाबंदी की घोषणा से पहले कर्मचारियों को "घर से काम करने" की अनुमति दी थी। कंपनी ने बड़े पैमाने पर समीक्षा और निगरानी, सूचना-साझाकरण और ज्ञान प्रबंधन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया। सुरक्षित वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के माध्यम से ई-ऑफिस और ईआरपी अनुप्रयोगों की उपलब्धता के साथ युग्मित मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता ने कंपनी को लॉकडाउन के कारण किसी भी महत्वपूर्ण व्यवधान के बिना व्यवसाय संचालन जारी रखने की अनुमति दी। वर्ष 2019-20 के अंतिम पख्याड़ के दौरान, कंपनी ने ₹ 6,476 करोड़ की राशि के ऋणों का संवितरण किया, जबकि वर्ष के अंत तक ₹ 75,667 करोड़ की राशि का संवितरण किया गया।

ऋण देने के प्रचालनों पर प्रभाव

सरकार और विभिन्न नियमकों ने भी वायरस के प्रसार को रोकने और आर्थिक व्यवधानों के प्रभावों को कम करने के लिए कई तरह के उपाय किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने व्यावसायिक गतिविधियों की गडबडियों के कारण लोन सर्विसिंग के बोझ को कम करने के लिए दिनांक 27 मार्च 2020 की अधिसूचना सं. आरबीआई/2019-20 / 186 डीओआर नं. बीपी. बीसी. 47 / 21.04.048 / 2019-20, जिसे यहां से आगे "आरबीआई अधिसूचना" के रूप में संदर्भित किया गया है, के जरिए सावधि ऋणों के संदर्भ में भुगतानों और कार्यशील पूंजी सुविधाओं का पुनर्अनुसूचीयन करने के लिए ऋण संस्थानों को अनुमति दी। आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार, कंपनी ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक नीतिगत ढांचा तैयार किया है जिसके अनुसार ऋणकर्ता ऐसे सावधि ऋणों के मूलधन और / या व्याज (अतिरिक्त व्याज / आगे व्याज / शुल्क सहित) के भुगतान पर अधिकतम तीन महीने की मोहलत का लाभ उठा सकते हैं, जो 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच देय होते हैं। इस तरह के स्थगन के लाभ के लिए ऐसे ऋणकर्ता पात्र हैं, जिनके पास 1 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कोई बकाया राशि देय नहीं है या 31 मई, 2020 की स्थिति के अनुसार बाद में इस तरह के अतिरेय को मंजूरी दे दी गई है। कंपनी ने मार्च, 2020 के लिए देय ₹ 9,500 करोड़ की कुल वसूलियों से अधिक के 78% की वसूली पहले से ही कर ली है। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति अनुसार, ₹ 5,172 करोड़ की राशि आस्थागित की गई है, जो ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करती है, जो स्थगन अवधि के बीच में देय होती हैं।

इसके अलावा, आरबीआई के दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के परिपत्र के अनुसार, यदि मानक ऋणकर्ताओं और जिनको इस तरह के स्थगन की अनुमति दी गई है, के मामले में परिसंपत्ति के वर्गीकरण के उद्देश्य से 'डेज पास्ट ड्यू' की संख्या से इस तरह की रोक की अवधि को हटा दिया गया है। हालांकि, यदि इस छूट का लाभ प्रदान नहीं किया गया होता, केवल ₹ 23.37 करोड़ के ऋण के साथ एक ऋणकर्ता को ही स्टेज-3 परिसंपत्ति के रूप में अपग्रेड किया गया होता।

विविध स्रोतों से निधियों की उपलब्धता

कंपनी के पास घरेलू संस्थागत बांडों के साथ-साथ विदेशी मुद्रा बॉण्ड सहित अपने प्रचालन के वित्तपोषण के लिए विभिन्न स्रोतों तक पहुंच उपलब्ध है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप सहित विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से धन प्राप्त करने के लिए कंपनी की पहुंच को बढ़ाता है। 31 मार्च, 2020 के बाद, कंपनी घरेलू बॉण्ड और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण के माध्यम से ₹ 14,000 करोड़ से अधिक की राशि जुटाने में सक्षम रही है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

इसके अलावा, कंपनी ने इसी अवधि के दौरान ₹ 6,047 करोड़ की राशि के बॉण्ड और सावधि ऋण को 800 मिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचाया है। इसमें यूएसडी बॉण्ड के माध्यम से जुटाए गए 500 मिलियन अमरीकी डालर भी शामिल हैं, जिसमें आरईसी 12 मई, 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान ही सफलतापूर्वक यूएसडी बॉण्ड बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास विभिन्न बैंकों से कार्यशील पूँजी ऋणों की दिशा में ₹ 7,000 करोड़ से अधिक के दीर्घावधि ऋण और ₹ 5,000 करोड़ से अधिक की सीमाएं उपलब्ध हैं। इस प्रकार, कंपनी अपनी तरलता की स्थिति पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सक्षम रही है, जिससे कंपनी को किसी भी भौतिक प्रभाव के बिना अपने ऋण प्रचालन को बनाए रखने में सहुलियत बनी रही है।

विद्युत क्षेत्र के लिए कोविड-19 राहत पैकेज

अधिकांश पावर जनरेशन कंपनियों के पावर प्लांट लॉकडाउन के शुरुआती समय में सीमित व्यवधानों के साथ लॉकडाउन अवधि के दौरान चालू थे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रमुख बिजली उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योगों, कायोलयों और अन्य वाणिज्यिक स्थानों ने सीमित क्षमता के साथ अपने प्रचालन को किरण से शुरू किया है। इससे बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है जिसे लॉकडाउन की अवधि के दौरान अस्थायी कमी का सामना करना पड़ रहा था।

भारत सरकार ने अपने कोविड-19 राहत पैकेज के एक हिस्से के रूप में पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन कंपनियों की बकाया राशि को चुकाने के लिए आरईसी और पीएफसी के माध्यम से राज्य सरकार को गारंटीकृत ऋण के रूप में राज्य डिस्कॉम को तरलता इंजेक्शन देने की घोषणा की है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को आरबीआई से अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि वे कई सुधार उपायों के लिए एक रोडमैप प्रदान करते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ बिजली क्षेत्र में सुधार शामिल हैं। सरकार ने भी शीघ्र ही एक टैरिफ नीति जारी करने की घोषणा की है, जिसमें बिजली क्षेत्र के लिए कई सुधारों का जिक्र किया गया है और इसमें संघ राज्य क्षेत्रों में डिस्कॉम आदि का निजीकरण शामिल है, परन्तु इतना ही नहीं।

आरबीआई और भारत सरकार द्वारा की गई उपर्युक्त कार्रवाई और आरईसी की तरलता की स्थिति और धन वर्तमान में निधियों के विभिन्न स्रोतों तक पहुंच के साथ, यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इसके प्रचालन को बनाए रखने के लिए मौजूदा संकट का कंपनी की कार्यक्षमता पर काई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, इसमें कंपनी के लिए इस मौजूदा चिंता का मूल्यांकन भी शामिल है। हालांकि, कोविड-19 महामारी कंपनी को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य के घटनाक्रम पर निर्भर करेगा, जो अनिश्चित है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, कोविड-19 महामारी की गंभीरता या कंपनी इसके प्रसार को समाहित करती है या इसके प्रभाव को कम करती है, के बारे में कोई भी नई जानकारी और सरकार द्वारा कोई अन्य कार्रवाई शामिल है।

53. एक्सपोजर संबंधित से प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 12 फरवरी, 2010 के आरबीआई परिपत्र सीसी नं. 168 में निहित अनुदेशों के अनुसार आरईसी को 17 सितंबर, 2010 के अपने पत्र द्वारा एक अवसंरचना वित्तीय कंपनी (आईएफसी) के रूप में श्रेणीकृत किया था। एक आईएफसी के रूप में निजी क्षेत्र में उधार लेने के लिए कुल अनुमत्य ऋण जोखिम एक लेनदार के मामले में ली गई निधियों का 25 प्रतिशत और लेनदारों के समूहों के मामले में 40 प्रतिशत है तथा उधार देने एवं निवेश करने के लिए एक साथ लिया गया ऋण जोखिम ली गई निधियों का क्रमशः 30 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत तक हो सकता है।

केंद्र/राज्य सरकार की कंपनियों के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरईसी को 31 मार्च, 2022 तक ऋण/निवेश मानदंडों के आरबीआई का संकेद्रण लागू होने से 16 जून, 2016 के पत्र संख्या डीएनबीआर.पीडी.सीओ. नं. 2184 / 03.10.001 / 2015-16 द्वारा छूट दी है। उपर्युक्त के मद्देनजर, केंद्रीय एवं राज्य विद्युत यूटिलिटीयों के लिए हमारी अधिकतम ऋण जोखिम सीमाएं कंपनी मूल्यांकन के आधार पर स्वामित्व निधियों का 50 प्रतिशत तक परिवर्तन जारी है।

निजी क्षेत्र के कंपनियों के संबंध में, एकल लेनदारों और समूह लेनदारों के लिए कंपनी का ऋण जोखिम 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2019 को आरबीआई प्रूडेंसियल ऋण जोखिम से अधिक नहीं रहा।

53.1 रियल एस्टेट क्षेत्र हेतु एक्सपोजर

कंपनी का 31 मार्च, 2020 को रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई ऋण जोखिम नहीं है (31 मार्च, 2019 को शून्य)।

53.2 पूँजीगत बाजार हेतु एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(i) इकिवटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इकिवटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों, जिनका निगमित ऋण में अनन्य रूप से निवेश नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश	778.40	820.44
(ii) शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इकिवटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड में निवेश हेतु व्यक्ति विशेषों के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अग्रिमय	-	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(iii) अन्य किन्हीं प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या इकिवटी—अनुकूल स्युच्युअल फंड की यूनिटों को मुख्य प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	-	-
(iv) शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इकिवटी—अनुकूल स्युच्युअल फंड की संपार्शिक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूति की सीमा तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इकिवटी अनुकूल स्युच्युअल फंड की यूनिटों के अन्यत्र मुख्य प्रतिभूति, पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती है।	-	-
(v) स्टॉकब्रोकरों के लिए प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉकब्रोकरों तथा बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	-	-
(vi) संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इकिवटी के प्रति प्रोमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष कारपोरेटों को स्वीकृत ऋण;	-	-
(vii) प्रत्याशित इकिवटी प्रवाहोंधारणों के समक्ष कंपनियों को ब्रिज ऋण;	-	-
(viii) उपक्रम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए समस्त एक्सपोजर पूंजीगत बाजार हेतु कुल एक्सपोजर	6.12	6.18
	784.52	826.62

53.3 अग्रिमों, प्रकटनों और क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों का संकेद्रण

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(i) अग्रिमों का संकेद्रण		
बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	184,741.84	158,931.60
कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	57.30%	56.52%
(ii) एक्सपोजर का संकेद्रण		
बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	288,397.43	254,896.66
(iii) कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर का प्रतिशत	59.46%	59.46%
क्रेडिट इम्पेयर्ड हानियों का संकेद्रण		
शीर्ष चार क्रेडिट – इंपेयर्ड परिसंपत्तियों के लिए कुल बकाया (₹ करोड़ में)	8,618.52	8,502.74
उपरोक्त चार क्रेडिट – इंपेयर्ड परिसंपत्तियों के लिए कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	8,618.52	8,502.74

54. उचित मूल्य प्रकटीकरण

परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय दस्तावेजों का उचित मूल्य और श्रेणी द्वारा उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय दस्तावेजों की ली गई लागत निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य पर मापन			
व्युत्पन्न वित्तीय साधन	9	3,318.85	1,802.58
निवेश* पर मापा गया			
(i) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	11	513.55	646.99
(ii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	11	1,558.53	1,556.87
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां			
नकद और नकदी समतुल्य	6	1,717.71	381.99
अन्य बैंक शेष	7	2,257.45	1,733.08
प्राप्य ट्रेड	8	110.72	137.72
ऋण परिसंपत्तियां	10	312,083.50	270,450.92
निवेश	11	55.03	79.27
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	22,099.67	18,363.99

समेकित लेखा टिप्पणियां

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
जोड़		343,715.01	295,153.41
उचित मूल्य पर मापित वित्तीय देयताएँ			
व्युत्पन्न वित्तीय साधन	9	1,325.73	159.40
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां			
प्राप्त ट्रेड	19	46.15	67.29
ऋण प्रतिभूतियाँ	20	219,918.25	192,767.51
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	21	61,550.66	46,662.54
अधीनस्थ देयताएँ	22	4,819.65	4,818.76
अन्य वित्तीय देयताएँ	23	23,782.21	19,227.07
जोड़		311,442.65	263,702.57

54.1 उचित मूल्य अनुक्रम

ऊपर उल्लिखित वित्तीय दस्तावेजों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीक में प्रयुक्त इनपुट के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यह अनुक्रम समान परिसंपत्तियों अथवा देयताओं (चरण-1 मापने) के लिए सक्रिय बाजारों में उल्लिखित कीमतों को उच्चतम प्राथमिकता और न लेने योग्य इनपुट (चरण-3 मापने) को निम्न प्राथमिकता देता है।

प्रयुक्त श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

चरण 1: सक्रिय बाजार में समान दस्तावेजों के लिए उल्लिखित कीमतें (असमायोजित);

चरण 2: चरण-1 इनपुट को छोड़कर प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् कीमतों के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् कीमतों से व्युत्पन्न) लेने योग्य बाजार रिपोर्ट

चरण 3: वे इनपुट जो लेने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (न लेने योग्य इनपुट)।

कंपनी की नीति क्रियाकलाप अथवा अंतरण के कारण हुए परिस्थितियों में परिवर्तन की तारीख को उचित मूल्य अनुक्रम में अंतरण और उससे बाहर अंतरण को मान्यता देना है।

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएँ – आवर्ती उचित मूल्य मापन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार				31.03.2019 के अनुसार			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
एफवीओसीआई पर निवेश								
इकिवटी निवेश	507.43	6.12	-	513.55	640.81	6.18	-	646.99
एफवीटीपीएल पर निवेश								
इकिवटी निवेश	12.50	-	-	12.50	-	-	-	-
परेचुअल बॉण्ड	-	-	1,500.62	1,500.62	-	-	1,556.87	1,556.87
प्रेफरेंस शेयर	-	-	45.41	45.41	-	-	-	-
एफवीटीपीएल पर परिसंपत्तियां								
व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	-	3,318.85	-	3,318.85	-	1,802.58	-	1,802.58
एफवीटीपीएल पर देयताएँ								
व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	-	1,325.73	-	1,325.73	-	159.40	-	159.40

उचित मूल्य प्रकटीकरण के लिए मूल्यांकन तकनीक (चरण 1, चरण 2, चरण 3)

- (क) उल्लिखित इकिवटी निवेशों में निवेश – चरण 1 – सूचीबद्ध इकिवटी निवेशों में निवेश का मापन बाजार में उनकी तैयार रूप में उपलब्ध उल्लिखित कीमत पर किया जाता है।
- (ख) उद्यम पूँजी निधि में निवेश – चरण 2 – उद्यम पूँजी निधि में निवेश का मापन निधि से बांटे गए निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) प्रमाण-पत्र के अनुसार उनके उचित मूल्य पर किया जाता है।
- (ग) व्युत्पन्न वित्तीय लिखत–स्तर 2 – बैंकों द्वारा प्रदान किए गए बाजार मूल्य के लिए उचित मूल्य के आधार पर उचित मूल्य निर्धारित किया गया है जो अंतर्निहित जोखिम को कम करने के लिए अनुबंधित है। इस तरह की मूल्यांकन की गणना बाजार में दिखाई देने वाले आदानों (इनपुट्स) के जरिए की जाती है, जिसमें वायदा निविमय दरें, संविदा की परिपक्वता अवधि के हिसाब से ब्याज दरें और अन्तर्निहित उतार-चढ़ाव शामिल हैं।

समेकित लेखा टिप्पणियां

- (घ) सतत बॉण्ड निवेश में निवेश – स्तर 3 – कंपनी ने इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और सिंडिकेट बैंक के सतत बॉण्ड में निवेश किया है जो एनएसई/बीएसई पर उद्धृत हैं। कंपनी इन बॉडों के लिए सक्रिय बाजार लेनदेन की जांच करती है। हालाँकि, कंपनी द्वारा रखे गए इन बॉण्ड में किसी भी बाजार गतिविधि की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं है, और इसलिए, ऐसे बॉण्ड के लिए उद्धृत मूल्य उपलब्ध नहीं है। कंपनी निवेश करने वाले बैंकों की क्रेडिट रेटिंग में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव के लिए भी इसकी जांच करती है, और यदि कोई परिवर्तन नोट नहीं किया जाता है, तो, डिस्काउंटेड कैश फलो विधि का उपयोग करके उचित मूल्य की गणना के लिए कूपन दर पर विचार किया जाता है।
- (ङ.) गैर-उद्धृत इकिवटी निवेशों में निवेश – लेवल 3 – यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (यूसीएक्स) के गैर-उद्धृत इकिवटी शेयरों में निवेश को लेवल-3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी द्वारा कंपनी के विशिष्ट कारणों से इस शून्य मूल्य पर ले जाया गया है। यूसीएक्स को वर्ष 2014 में बंद कर दिया गया था, जिससे यह एक चिंता का विषय बना हुआ है।
- (च) गैर-उद्धृत वरीयता शेयरों में निवेश – स्तर-3 – रतन इंडिया पावर लिमिटेड (आरआईपीएल) के गैर-उद्धृत वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संचयी रिडीमेबल वरीयता शेयरों (ओसीसीआरपीएस) में निवेश को स्तर-3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी को ऋणकर्ता कंपनी के ओसीसीआरपीएस आवंटित किए गए हैं। रतन इंडिया पावर लिमिटेड ने 23 दिसंबर 2019 को निष्पादित वन टाइम सेटलमेंट व्यवस्था का अनुसरण किया। उचित मूल्य वर्तमान मूल्य तकनीक द्वारा अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को समझाते के अनुसार छठ देकर निकाला गया है। भविष्य के नकदी प्रवाह की उम्मीद में कोई भी बदलाव निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिवित करने के लिए समायोजित किया गया है। (विवरण के लिए नोट : 11.1 देखें)।

54.2 चरण 3 इनपुट के माध्यम से वित्तीय लिखते के उचित मूल्य का पुनर्समाधान

निम्नलिखित तालिका उचित मूल्य पर मापी गई चरण 3 वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की आरंभिक तथा अंतिम राशि का पुनर्समाधान दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2019-20				वित्त वर्ष 2018-19			
	एफवीटीपीएल		एफवीओसीआई	कुल	एफवीटीपीएल		एफवीओसीआई	कुल
	परपेचुअल बॉण्ड में निवेश	प्रेफरेन्स शेयर में निवेश	इकिवटी शेयर में निवेश		परपेचुअल बॉण्ड में निवेश	प्रेफरेन्स शेयर में निवेश	इकिवटी शेयर में निवेश	
वर्ष के प्रारंभ शेष	1,556.87	-	-	1,556.87	1,500.62	-	-	1,500.62
ऋण समायोजन में प्राप्त (टिप्पणी 10.3 का संदर्भ लें)	-	32.42	-	32.42	-	-	-	-
समायोजन	(224.50)	-	-	(224.50)	(112.00)	-	-	(112.00)
चरण 3 से अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
व्याज आय	168.25	1.50	-	169.75	168.25	-	-	168.25
उचित मूल्य परिवर्तन	-	11.49	-	11.49	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	1,500.62	45.41	-	1,546.03	1,556.87	-	-	1,556.87
अवधि के अंत में अनरियलाइज्ड लाभ / (हानि)	0.62	12.99	(16.00)	(2.39)	56.87	-	(118.00)	(61.13)

वर्ष के दौरान व्युत्पन्न अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य के मापन पर इकिवटी शेयर में निवेश के लिए टिप्पणी संख्या 11.2 के संदर्भ में

54.3 परिशोधित लागत पर मापे गए लिखते का उचित मूल्य

परिशोधित लागत जिसके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है, पर मापे गए दस्तावेजों का उचित मूल्य निम्नलिखितानुसार है। यह उचित मूल्य लेवल 3 इनपुट का प्रयोग करके परिकलित किए जाते हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
नकद एवं नकदी समतुल्य	1,717.71	1,717.71	381.99	381.99
उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक शेष	2,257.45	2,257.45	1,733.08	1,733.08
ट्रेड प्राप्त	110.72	110.72	137.72	137.72
ऋण	312,083.50	311,112.33	270,450.92	267,598.29

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
निवेश	55.03	62.13	79.27	79.27
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	22,099.67	22,100.77	18,363.99	18,365.66
कुल	338,324.08	337,361.11	291,146.97	288,296.01
वित्तीय देयताएं				
द्रेड प्रतिदेय	46.15	46.15	67.29	67.29
ऋण प्रतिभूतियां	219,918.25	212,067.95	192,767.51	194,378.92
उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	61,550.66	61,991.40	46,662.54	46,595.45
अधीनस्थ देयताएं	4,819.65	5,028.88	4,818.76	4,748.14
अन्य वित्तीय देयताएं	23,782.21	23,782.21	19,227.07	19,227.07
कुल	310,116.92	302,916.59	263,543.17	265,016.87

उचित मूल्य पर न मापे गए वित्तीय दस्तावेजों की मूल्यांकन पद्धतियां

उपर्युक्त वित्तीय दस्तावेजों, जो रिकार्ड नहीं किए गए हैं और कंपनी के वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर नहीं मापे गए हैं, के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने हेतु प्रयुक्त सिद्धांत तथा अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। ये उचित मूल्य केवल प्रकटन प्रयोजन के लिए परिकलित किए गए थे। निम्नलिखित सिद्धांत तथा अवधारणाएं केवल उपर्युक्त तालिकाओं में दस्तावेजों से संबंधित हैं।

वित्तीय परिसंपत्ति और देयताएं

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, जिनकी अल्पावधि परिपक्वता (बारह माह से कम) है, के लिए ली जाने वाली धनराशि जो हानि का निवाल हैं, उनके उचित मूल्य के उपर्युक्त लगभग हैं। इन दस्तावेजों में नकद एवं शेष, व्यापार प्राप्य, संविदा परिसंपत्तियां, नकद एवं नकद समतुल्य को छोड़कर, शेष व्यापार प्राप्य और विशिष्ट परिपक्वता के बिना संविदा देयता शामिल हैं।

ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम

ऋण परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य का परिकलन पोर्टफोलियो आधारित ट्रूटिकोण का प्रयोग करके, समान विशेषताओं पर आधारित समान समूहों में यथा संभव ऋणों का समूह बनाकर परिकलित किया जाता है। कंपनी फिर छूटशुदा नकद प्रवाह मॉडलों, जो ऋणों की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर विचार करके ब्याज दर अनुमानों को शामिल करते हैं, का प्रयोग करके परे पोर्टफोलियो में उचित मूल्य का परिकलन एवं बहिर्वेशन करती है। जहां यह सूचना उपलब्ध नहीं है, कंपनी ऐतिहासिक अनुभव तथा अपने सामूहिक हानि मॉडलों में प्रयुक्त अन्य सूचना का प्रयोग करती है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी गई ऋण प्रतिभूतियों के मूल्य वास्तविक अथवा अनुमानित राशियों का प्रयोग करते हुए और प्रतिक्षकारों के ऋण जोखिम को शामिल करते हुए उन राशियों में से घटाकर संविदागत नकद प्रवाह पर आधारित छूटशुदा नकद प्रवाह मॉडल का प्रयोग कर अनुमानित किए जाते हैं।

जारी किए गए ऋण

कंपनी की निर्धारित ब्याज वाली ऋण प्रतिभूतियों, उधारों और सहायक देयताओं का उचित मूल्य रिपोर्टिंग अवधि के अंत में जारीकर्ता की उधार दर दर्शाने वाली छूट दर का प्रयोग कर छूटशुदा नकद प्रवाह ("डीसीएफ") पद्धति लागू कर निर्धारित किया जाता है। 31 मार्च, 2020 को निजी गैर-निष्पादक जोखिम अपर्याप्त मूल्यांकित किया गया था।

कंपनी द्वारा ली गई अन्य सभी ऋण प्रतिभूतियां, उधार और सहायक देयताएं परिवर्ती दर सुविधाएं हैं जो उल्लिखित ब्याज दर तत्वों में परिवर्तन के अधीन हैं। इसके अधीन, इन सुविधाओं पर पहला ऋण कंपनी के ऋण योग्यता में परिवर्तन के अधीन है। प्रबंधन का विश्वास है कि इन ऋणों पर ब्याज की वर्तमान दर कंपनी पर लागू बाजार दरों से अनुमानित रूप से निकट हैं। अतः प्रबंधन यह आकलन करता है कि इन उधारों का उचित मूल्य उनके संबंधित लिए जाने वाले मूल्यों के लगभग है।

55. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
वर्ष के अंत में शेष अप्रदत्त मूल राशि	0.15	2.65
वर्ष के अंत में शेष अप्रदत्त पर देय ब्याज	-	0.39
वर्ष के दौरान नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि सहित एमएसएमई विभाग अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा दिया गया ब्याज	-	-
भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय तथा भुगतान योग्य ब्याज परंतु एमएसएमई विभाग अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित ब्याज जोड़े बिना	0.14	-
वर्ष के अंत में लगाया गया ब्याज तथा शेष अप्रदत्त	0.53	0.39
जब उपर्युक्त देय ब्याज वास्तविक रूप से लघु उद्यमों को दिया गया हो, उस तारीख तक परवर्ती वर्षों में भी शेष देय तथा भुगतान योग्य अन्य ब्याज	-	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

56. संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण:

56.1 संबंधित पक्षकारों की सूची

(1) मुख्य प्रबंधन कार्यिक

श्री संजीव कुमार गुप्ता
 श्री अजीत कुमार अग्रवाल
 श्री अजय चौधरी
 श्री प्रवीण कुमार सिंह
 श्री मृत्युंजय कुमार नारायण
 डॉ. अरुण कुमार वर्मा
 डॉ. भागवत किशनराव कराड
 श्रीमती आशा स्वरूप
 श्री अरवमुदन कृष्णा कुमार
 प्रोफेसर टी. टी. राम मोहन
 श्री जे.एस. अमिताभ

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 01 जून 2020 से एवं निदेशक तकनीकी
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) 31 मई 2020 तक
 निदेशक (वित्त) 01 जून 2020 से
 पीएफसी के नामित निदेशक (गैर – कार्यकारी निदेशक 18 जून 2019 से)
 सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर – कार्यकारी निदेशक 02 सितंबर 2019 से)
 सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर – कार्यकारी निदेशक 02 सितंबर 2019 तक)
 अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक (11 मार्च 2020 तक)
 अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक (7 फरवरी 2020 तक)
 अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक (12 नवंबर 2019 तक)
 अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक (12 नवंबर 2019 तक)
 कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

(2) मुख्य होलिडंग कंपनी

पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड

(3) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनियां

दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड

चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड

कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड

दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड

मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड

खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड – 29 अगस्त 2019 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) हस्तांतरित की गयी।

भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड – 11 सितंबर, 2019 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को हस्तांतरित की गयी।

उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड–12 सितंबर, 2019 को स्टेरलाइट ग्रिड को हस्तांतरित की गयी।

अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड– 03 अक्टूबर, 2019 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को हस्तांतरित की गयी।

डल्हूआराएसएस XXI (ए) ट्रांस्को लिमिटेड – 14 अक्टूबर 2019 को अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को हस्तांतरित की गई।

लकड़िया बनासकांठ ट्रांस्को लिमिटेड–13 नवंबर 2019 को अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को हस्तांतरित की गई।

जम खम्बालिया ट्रांस्को लिमिटेड – 13 नवंबर 2019 को अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को हस्तांतरित की गई।

रामपुर संभल ट्रांस्को लिमिटेड – 02.05.2019 को निगमित की गई और 12 दिसंबर, 2019 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को हस्तांतरित की गयी।

(4) संयुक्त उपक्रम

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)

क्रेगटन एनर्जी लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

ईईएसएल एनर्जीप्रो असेस्ट्स लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना एविविजिशन लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एनेस्को एनर्जी सर्विसेज साउथ लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

ईपीएएल होलिडंग्स लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना आस्ट्रेलिया पीटीवाई लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना पावर सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

स्टेनबैक लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना यूक लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना पावर लिमिटेड लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

अरमौरा होलिडंग्स लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

समेकित लेखा टिप्पणियां

एडिना मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)
ईपीएसएल द्राई जेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)
एनईईएसएल प्राइवेट लिमिटेड

(5) नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास

आरईसी लिमिटेड अंशदान भविष्य निधि न्यास
आरईसी उपदान निधि
आरईसी कर्मचारी अधिवर्षिता न्यास
आरईसी सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा न्यास

(6) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी

आरईसी फाउंडेशन
नियंत्रक कंपनी की निम्नलिखित जुड़े पक्षकार आरईसी के जुड़े पक्षकार हैं:

(1) धारक कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31 मई 2020 तक)
श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लोन	निदेशक (परियोजना) 12 जून, 2019 से 31 मई 2020 तक , अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 1 जून 2020 से निदेशक (वित्त)
श्री नवीन भूषण गुप्ता	निदेशक (वाणिज्यिक)
श्री प्रवीण कुमार सिंह	निदेशक (परियोजना) – 30 अप्रैल, 2019
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	सरकार द्वारा नामित (गैर – कार्यकारी निदेशक 28 अगस्त 2019)
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण	सरकार द्वारा नामित (गैर – कार्यकारी निदेशक 27 अगस्त 2019)
श्री अरुण कुमार वर्मा	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती गौरी चौधरी	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक 11 जुलाई 2019 से
श्री रामचन्द्र मिश्रा	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक (5 फरवरी 2020 तक)
श्री सीताराम पारिक	कंपनी सचिव
श्री मनोहर बलवानी	

(2) मुख्य धारक कंपनी की अनुर्भगी कंपनियां

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)
पावर इंजिनियरिंग कॉर्पोरेट एडवाइजर्स (प्रा.) लिमिटेड (पीईसीएपी) (पीईसीएपी का स्वैच्छिक समापन विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है।)

(3) मुख्य धारक कंपनी की संबद्ध कंपनियां

बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड
बिहार मेगा पावर लिमिटेड
चैम्पायर इंफ्रा लिमिटेड
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड
कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड
कोस्टल तमிலनாடு पावर लिमिटेड
देवघर इंफ्रा लिमिटेड
देवघर मेगा पावर लिमिटेड
घोघरापल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
झारखण्ड इंफ्रा पावर लिमिटेड
ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड
ओडिशा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड
सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड

समेकित लेखा टिप्पणियां

भुज-II ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से— 16 अक्टूबर, 2019 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को हस्तांतरित की गई) बिजावड़—विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल — नेशनल कमेटी ऑन ट्रांसमिशन (एनसीटी) के माध्यम से

बीकानेर—खेतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से— 19 सितंबर, 2019 को अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को हस्तांतरित की गई) फतेहगढ़-II ट्रास्को लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से— 14 अक्टूबर, 2019 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को हस्तांतरित की गई) कर्कुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से 20 नवंबर, 2019 को निगमित) कोप्पल नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से 18 नवंबर, 2019 को निगमित)

लकड़िया—वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से— 26 नवंबर, 2019 को स्टेरलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को हस्तांतरित की गई)

मेरठ — सिंधावली ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम— से 19.12.2019 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को हस्तांतरित की गई) शोंगटोंग—करछम वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से— हड्डताल की प्रक्रिया के अधीन)

टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से — हड्डताल की प्रक्रिया के अधीन) वापी-II नॉर्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से)

(4) धारक कंपनी की नियोजन पश्चात हितलाभ योजना

पीएफसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास

पीएफसी कर्मचारी उपदान न्यास

पीएफसी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 2007

पीएफसी लि. अधिवर्षिता चिकित्सा निधि

56.2 संबद्ध पक्षकारों से / को बकाया राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
एसोसिएट्स		
एसोसिएट्स को ऋण	9.33	9.06
देय	0.68	0.08
नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास		
ऋण प्रतिभूतियां	8.70	3.00
ऋण प्रतिभूतियां — धारक कंपनी	19.90	18.50
अन्य वित्तीय देयताएं— भारत सरकार के सर्विस्ड बॉण्ड	29.30	29.30
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां— अन्य	0.38	31.78
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4.21	2.77
धारक कंपनी का नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास		
ऋण प्रतिभूतियां	4.10	4.10
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
ऋण प्रतिभूतियां	0.10	1.00
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	0.33	0.46
धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
ऋण प्रतिभूतियां	0.12	0.10

समेकित लेखा टिप्पणियां

56.3 संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड		
प्रदत्त लाभांश	1,143.44	-
निदेशक के बैठक का शुल्क	0.02	-
नियोजन पश्चात लाभ योजना न्यास		
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया अंशदान	31.78	99.58
कंपनी द्वारा दिए गए बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	5.70	-
भारत सरकार द्वारा दिए गए बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	-	29.30
होलिडंग कंपनी द्वारा दिए गए बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	1.40	-
वित्त लागत – प्रदत्त ब्याज	1.70	0.27
धारक कंपनी के नियोजन पश्चात लाभ योजना न्यास		
कंपनी के बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	-	-
वित्त लागत – प्रदत्त ब्याज	0.33	-
मुख्य प्रबंधन कार्मिक		
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	-	-
कर्मचारी ऋणों पर ब्याज आय	0.01	0.09
वित्त लागत	0.02	0.02
कर्मचारी लाभ व्यय – प्रबंधकीय पारिश्रमिक	2.45	2.65
निदेशकों का बैठक शुल्क	0.17	0.24
मुख्य धारक कंपनी कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक		
वित्तीय लागत	0.01	-

56.4 संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन की निबंधन और शर्तें

कंपनी संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन करती है जिसे बड़ी निकटता (आर्म की लंबाई के आधार पर) से किया जा रहा है। मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक और स्टाफ ऋण कंपनी के सेवा नियमों के अनुरूप हैं। इसके अलावा, संबंधित पक्षकारों को भुगतान की गई वित्तीय लागत कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों में उनके निवेश के कारण होती है और ऐसी ऋण प्रतिभूतियों पर देय ब्याज दर सभी बॉण्डधारकों के लिए समान रूप से लागू होती है।

56.5 प्रबंधकीय पारिश्रमिक

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को पारिश्रमिक के बौरे निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19
(i) अल्पावधि कार्मिक लाभांश	2.25	2.44
(ii) कार्मिक पश्चात लाभांश	0.20	0.21
जोड़	2.45	2.65

दूंकि, उपदान तथा क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति के लिए देयताएँ प्रत्येक अलग-अलग कर्मचारी के बजाए समग्र रूप से कंपनी के लिए वास्तविक आधार पर लिए जाते हैं, अतः विशेष रूप से केएमपी से संबंधित धनराशि ज्ञात नहीं है और इसीलिए उपर्युक्त तालिका में शामिल नहीं की गई है। उपदान तथा क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति उपर्युक्त तालिका में संबंधित वर्ष में वास्तविक भुगतान के आधार पर शामिल की गई है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

56.6 उसी सरकार (कंपनियों से संबंधित सरकार) के नियंत्रणाधीन कंपनियों के संबंध में प्रकटन

सरकार से संबंधित एंटीटियों की सूची

कंपनी का वर्ष के दौरान सरकार से संबंधित एंटीटियों से लेन-देन;

भारतीय रेल बिजली कंपनी लि.

भिलाई इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड

बिहार ग्रिड कंपनी लि.

दामोदर घाटी निगम

नवीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड

नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लि.

एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लि.

पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

टीएचडीसी इंडिया लि.

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

सरकार से संबंधित एंटीटियों से कुल शेष बकाया निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के समाप्त वर्ष	31.03.2019 के समाप्त वर्ष
ऋण का संवितरण	1,437.18	3,583.67
ब्याज आय को मान्यता	2,139.65	1,935.27

सरकार से संबंधित एंटीटियों से कुल शेष बकाया निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार	31-03-19 के अनुसार
ऋण परिसंपत्तियां	21,612.09	21,034.76
ब्याज उपचित	248.04	15.88

केंद्र सरकार के साथ वास्तविक लेन-देन के संबंध में टिप्पणी संख्या 12,212.(i), 23 और 33 देखें।

57 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 116 'पट्टे' के संबंध में प्रकटन

कंपनी ने दिनांक 30.03.2019 को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) द्वितीय संशोधन नियम, 2019 के जरिए कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित किए अनुसार दिनांक 01.04.2019 से संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग कर भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 116 - 'पट्टे' को अपनाया था। इस मानक के अंतर्गत कंपनी को इस बात की आवश्यकता होती है कि वह भविष्य में इस तरह के पट्टों के लिए देय राशियों के संबंध में समतुल्य पट्टे पर देय परिसंपत्ति के रूप में तुलन पत्र में प्रत्येक पट्टे को मान्यता दे। हालांकि, कंपनी ने अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों के पट्टों के संबंध में मान्यता देने के लिए छूट का प्रयोग किया है। लघु अवधि के पट्टों में समाप्ति के विकल्प के साथ पट्टे शामिल होते हैं, जहां ऐसे पट्टों को समाप्त करने के लिए कोई बड़ी आर्थिक हानि नहीं होती है। इस तरह के समझौते पट्टा-परिसंपत्ति पोर्टफोलियो के प्रबंधन में लचीलापन प्रदान करने और कंपनी की व्यावसायिक जरूरतों के साथ उन्हें संरेखित करने के लिए किए जाते हैं।

कंपनी को कार्यालय भवन, गोदाम, कार्यालय उपस्कर्ता और संबंधित सुविधाओं के लिए पट्टे करने होते हैं। प्रत्येक पट्टा आम तौर पर कोई न कोई प्रतिबंध लगाता है, जब तक कि कंपनी के लिए किसी अन्य पक्षकार को परिसंपत्ति को प्रस्तुत करने का अनुबंधात्मक अधिकार नहीं दिया जाता है, सही-उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति केवल कंपनी द्वारा ही उपयोग में लाई जा सकती है। कुछ पट्टों में पट्टे को आगे के लिए विस्तारित करने का विकल्प होता है। कंपनी को अंतर्निहित पट्टे वाली परिसंपत्तियों को सुरक्षा के रूप में बेचने या गिरवी रखने से प्रतिबंधित किया गया है। कार्यालय भवनों और अन्य परिसरों में पट्टों के लिए कंपनी को उन परिसंपत्तियों की मरम्मत कर उन्हें अच्छी स्थिति में रखना चाहिए और पट्टे के अंत में अपनी मूल स्थिति में परिसंपत्तियों को वापस करना चाहिए। इसके अलावा, कंपनी को पट्टे के संविदाओं के अनुसार रखरखाव शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

क. पट्टा देयता के मापन में पट्टा भुगतान शामिल नहीं है

पट्टे की देयता की मापन में शामिल नहीं किए गए भुगतान से संबंधित व्यय निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2019-20
अल्पावधि पट्टा	12.84
कम मूल्य परिसंपत्तियों के पट्टे	0.02
अस्थाई पट्टा भुगतान	-
कुल	12.86

समेकित लेखा टिप्पणियां
ख. पट्टे के लिए नकदी आउटफलो

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2019-20
अल्पावधि पट्टा	12.89
कम मूल्य परिसंपत्तियों के पट्टे	0.02
अस्थाई पट्टा भुगतान	0.88
कुल	13.79

ग. संक्रमण प्रभाव

1 अप्रैल 2019 के अनुसार एएस 17 से इंड एस 116 से वित्तीय विवरणों लाइन मदों के पुनर्समाधान निम्न है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार धारित राशि	पुनः मापन	1 अप्रैल, 2019 के अनुसार इंड एएस 116 धारित राशि
उपयोगी परिसंपत्तियों का अधिकार	1.28	2.65	3.93
पट्टा देयताएं	(0.11)	(2.65)	(2.76)
कुल	1.17	-	1.17

घ. वर्ष के दौरान धारित राशि के पट्टा देयताएं एवं संचलन निम्न निर्धारित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2019-20
प्रारम्भिक शेष	2.76
अवधि के दौरान उपचित वित्तीय लागत	0.29
वर्ष के दौरान अदायगी	(0.93)
समाप्ति पर	2.12

च. नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2020 तक पट्टा देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-20 के अनुसार
1 वर्ष	1.00
1-5 वर्ष	1.42
5 वर्ष से अधिक	-

छ. बढ़ाने और समाप्ति के विकल्प

ऐसी कई पट्टा संविदाएं हैं जिनमें विस्तार और समाप्ति के विकल्प शामिल हैं जिनके बारे में नीचे पुनरु चर्चा की गई है।

कंपनी के कई पट्टे संविदा हैं जिनमें विस्तार और समाप्ति विकल्प शामिल हैं। पट्टा-परिसंपत्ति पोर्टफोलियो के प्रबंधन में लचीलापन प्रदान करने और कंपनी की व्यावसायिक जरूरतों के साथ उन्हें संरेखित करने के लिए प्रबंधन द्वारा इन विकल्पों पर बातचीत की जाती है। प्रबंधन यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है कि क्या इन विस्तार और समाप्ति विकल्पों का उचित रूप से प्रयोग किया जाना निश्चित है।

पट्टों का विस्तार करने और समाप्त करने के विकल्पों पर विचार करते समय पट्टा अवधि निर्धारित करने के लिए कंपनी की अंतर्दृष्टि का उपयोग करने से लाभ हुआ है।

पट्टे की अवधि निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय

पट्टे की अवधि निर्धारित करने में, प्रबंधन उन सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करता है जो विस्तार विकल्प का उपयोग करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं या किसी समाप्त विकल्प का उपयोग नहीं करते हैं। विस्तार विकल्प (या समाप्ति के विकल्प के बाद की अवधि) केवल पट्टा अवधि में तब ही शामिल किए जाते हैं जब पट्टे को यथोचित रूप से बढ़ाया जाना निश्चित होता है (या समाप्त नहीं किया गया होता है)।

यदि कोई महत्वपूर्ण घटना या परिस्थितियों में कोई ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है जो इस मूल्यांकन को प्रभावित करता है और जो पट्टेदार के नियंत्रण में होता है, तो मूल्यांकन की समीक्षा की जाती है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

ज. अन्य संक्रमण विवरण

- (i) "1 अप्रैल 2019 से प्रभावी, कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 116 "पट्टों" को अपनाया है और संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण को लागू किया है, जहां संक्रमण की तारीख को उपयोग के अधिकार को 1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार मौजूदा सभी पट्टा संविदाओं के लिए प्री-पेड और किराए के प्रोद्धभवन के उपयुक्त समायोजन के साथ माना जाता है कि यह संक्रमण पर मान्यता दी गई पट्टा देयता के बराबर है।" संक्रमण पर, नए मानक को अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.65 करोड़ की पट्टा देयता और ₹ 2.65 करोड़ की उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को मान्यता दी गई।
- (ii) 1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार मौजूदा संविदाओं के लिए कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 17 में दी गई किसी पट्टे की परिभाषा को लागू करने का चुना है और ऐसी व्यवस्थाओं के लिए इंड एएस 116 को लागू नहीं किया है जिनकी पहचान पहले इंड एएस 17 के तहत पट्टे के रूप में नहीं की गई थी।
- (iii) कंपनी ने प्रारंभिक आवेदन की तारीख में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों पर क्षतिपूर्ति की समीक्षा करने के बजाय, कंपनी ने अपने ऐतिहासिक आकलन पर भरोसा किया है कि क्या पट्टे इंड एएस 116 के प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख से ठीक पहले कठिनाई में थे।
- (iv) संक्रमण पर, 12 महीने से कम की शेष लीज अवधि वाले प्रचालनरत पट्टों के रूप में पूर्व में परिकलित पट्टों के लिए और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों के लिए समूह ने उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को मान्यता न देने, बल्कि शेष पट्टा अवधि में एक सीधी रेखा आधार पर पट्टा खर्च की गणना के लिए वैकल्पिक छूटों को लागू किया है।

58. भारतीय लेखांकन मानक 19 "कर्मचारी लाभ" के तहत अपेक्षित कर्मचारी लाभों के लिए प्रकटन

58.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

क. भविष्य निधि

कंपनी भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के तहत पंजीकृत पृथक न्यास को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि का निर्धारित अंशदान देता है जो निधियों को अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। न्यास सदस्यों द्वारा दिए जाने वाले योगदान पर ब्याज की दर घोषित करेगा, जो वर्ष के दौरान इसके निवेशों से अर्जित लाभ पर आधारित होगा साथ ही यह 'कर्मचारी भविष्य निधि' द्वारा निर्धारित न्यूनतम ब्याज दर के आधीन होगा। निश्चित की गई लाभ की दर के अनुसार सदस्यों का किये जाने वाले ब्याज के भुगतान संबंधी किसी कंपनी के द्वारा निदान किया जाएगा। कंपनी का अनुमान है कि इस संबंध में निकट भविष्य में किसी प्रकार देयता की समस्या नहीं होगी। और इसलिए किसी भी अग्रिम प्रावधान पर विचार किया जाना आवश्यक नहीं है।

आरईसीटीपीसीएल एवं आरईसीटीपीसीएल के मामले में, कोई पृथक न्यास नहीं है और कंपनी परिभाषित अंशदान योजनाओं में भविष्य निधि अंशदान करती है।

ख. परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना

कंपनी एनपीएस न्यास/पृथक न्यास को पूर्व निर्धारित दरों पर अधिवर्षिता योजना के निमित्त निर्धारित अंशदान देती है जो निधियों का अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। एनपीएस न्यासधृथक न्यास में शेष में संचित आय सहित सदस्यों के खाते में मासिक अंशदान शामिल होता है। जब सदस्य को पेंशन देय होती है तो सदस्य के खाते में रही राशि का विनियोजन सदस्य के संचय के निमित्त किया जाता है और सदस्य द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार वार्षिकी आवंटित की जाती है।

समूह ने परिभाषित अंशदान योजनाओं के निमित्त 15.42 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष 14.87 करोड़ रुपए) का व्यय माना है।

58.2 परिभाषित लाभ योजनाएं – नियोजन पश्चात लाभ

क. उपदान

कंपनी में एक परिभाषित उपदान योजना है जिसका प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी, जिसने पांच वर्ष अथवा उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, यथासंशोधित उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों पर विचार करते हुए अधिवर्षिता, त्याग पत्र, सेवा समाप्ति, अपंगता अथवा मृत्यु पर अधिकतम 0.20 करोड़ रुपए के अधीन पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन पर उपदान का हकदार होता है।

परिभाषित लाभ योजनाएं – नियोजन पश्चात लाभ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	36.82	42.41
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	35.47	44.15
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियों) / देयताएं	1.35	(1.74)

समेकित लेखा टिप्पणियां

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) / देयता	
	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19
आरंभिक शेष	42.41	52.59	44.15	48.66	(1.74)	3.93
लाभ अथवा हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	2.27	2.59	-	-	2.27	2.59
ब्याज लागत/आय	2.95	4.00	3.40	3.71	(0.45)	0.29
लाभ अथवा हानि में मानी गई कुल राशि	5.22	6.59	3.4	3.71	1.82	2.88
ओसीआई में शामिल						
पुनःमापन हानि (प्राप्ति)						
—वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	1.82	(0.31)	-	-	1.82	(0.31)
—जनसांख्यिकीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	-	(1.44)	-	-	-	(1.44)
—अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(0.89)	(3.69)	-	-	(0.89)	(3.69)
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर लाभ	-	-	(0.41)	0.22	0.41	(0.22)
ओसीआई में मानी गई कुल राशि	0.93	(5.44)	(0.41)	0.22	1.34	(5.66)
भागीदारों द्वारा अंशदान	-	-	-	2.84	-	(2.84)
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	-	-	0.06	0.05	(0.06)	(0.05)
भुगतान किए गए हितलाभ	(11.74)	(11.33)	(11.73)	(11.33)	(0.01)	-
वर्ष समाप्ति पर शेष	36.82	42.41	35.47	44.15	1.35	(1.74)

ख. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी में सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा है जिसके तहत पात्र सेवानिवृत्ति कर्मचारियों एवं उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को कंपनी के नियमों के अनुसार शामिल किया जाता है। इस योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है और एक पृथक न्यास द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। इसके निमित्त देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है।

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	136.42	129.77
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	140.64	97.99
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं	(4.22)	31.78

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) / देयता	
	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19
आरंभिक शेष	129.77	105.19	97.99	-	31.78	105.19
लाभ अथवा हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	2.80	2.06	-	-	2.80	2.06
ब्याज लागत/आय	9.73	7.99	7.55	1.25	2.18	6.74
लाभ अथवा हानि में मानी गई कुल राशि	12.53	10.05	7.55	1.25	4.98	8.80

समेकित लेखा टिप्पणियां

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) / देयता	
	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19
ओसीआई में शामिल						
पुनःमापन हानि (प्राप्ति)	18.85	(6.34)	-	-	18.85	(6.34)
— वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	-	1.20	-	-	-	1.20
— जनसांख्यिकीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(15.32)	29.44	-	-	-15.32	29.44
— अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	-	-	3.32	-	-3.32	-
ओसीआई में मानी गई कुल राशि	3.53	24.30	3.32	-	0.21	24.30
भागीदारों द्वारा अंशदान	-	-	31.78	96.74	(31.78)	(96.74)
भुगतान किए गए हितलाभ	(9.41)	(9.77)	-	-	(9.41)	(9.77)
वर्ष समाप्ति पर शेष	136.42	129.77	140.64	97.99	(4.22)	31.78

ग. आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस)

कंपनी में सेवा काल के दौरान किसी कर्मचारी की स्थायी अपांगताधृत्यु के मामले में परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए एक आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस) है। यह योजना वित्तपोषणरहित है और देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य		
—ईआरएस	4.25	3.69

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19
आरंभिक शेष	3.69	3.34
लाभ अथवा हानि में शामिल		
वर्तमान सेवा लागत	0.16	0.18
ब्याज लागत / आय	0.26	0.25
लाभ अथवा हानि में मानी गई कुल राशि	0.42	0.43
ओसीआई में शामिल		
पुनःमापन हानि (प्राप्ति)		
—वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	0.34	(0.02)
—अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	0.99	0.75
ओसीआई में मानी गई कुल राशि	1.33	0.73
भुगतान किए गए हितलाभ	(1.19)	(0.81)
वर्ष समाप्ति पर शेष	4.25	3.69

समेकित लेखा टिप्पणियां

58.2.1 जोखिम प्रकटन

कंपनी अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से कई जोखिमों को लेती है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नीचे दिए गए हैं:

(i) परिसंपत्ति अस्थिरता

अधिकतर योजना परिसंपत्ति निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, उच्च दर वाली ग्रेडों और म्युच्युअल फंडों के साथ अन्य निर्धारित आय प्रतिभूतियों में हैं। इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य ब्याज दरों तथा अन्य बाजार और सूक्ष्म आर्थिक कारकों में परिवर्तन के कारण अस्थिरता के अधीन होता है।

(ii) छूट दर में परिवर्तन

परिभाषित लाभ योजना देयताओं का वर्तमान मूल्य छूट दर का प्रयोग करके परिकलित किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार परिणामों के संदर्भ द्वारा निर्धारित किया जाता है। छूट दर में कमी से परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में वृद्धि होगी, यद्यपि यह योजनाओं के निवेशों के मूल्य में वृद्धि से आंशिक रूप से ऑफसेट होगी।

(iii) दीर्घता जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य वर्ष के दौरान योजनागत प्रतिभागियों की मृत्यु और उनके नियोजन के बाद सर्वोत्तम आकलन के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। योजनागत प्रतिभागियों की जीवन आशा में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

(iv) वेतन जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य योजनागत प्रतिभागियों के भावी वेतनों के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। इस प्रकार, योजनागत प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

58.2.2 योजनागत परिसंपत्तियां

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ	
	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
नकद एवं नकदी समतुल्य	0.93	0.61	3.40	0.65
अनुद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां				
कारपोरेट बॉण्ड / डिबेंचर	-	-	137.24	97.34
अन्य – बीमाकर्ता का फंड एवं टी-बिल प्रतिबंधित	34.54	43.54	-	-
उप– जोड़ अनुद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां	34.54	43.54	137.24	97.34
जोड़	35.47	44.15	140.64	97.99

योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक आय 13.86 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष 5.16 करोड़ रुपए) है।

58.2.3 महत्वपूर्ण बीमांकिक अवधारणाएँ

योजनागत परिसंपत्तियों का सबसे हाल का बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य मैसर्स ट्रांसवेल्यू कंसल्टेंट्स द्वारा 31 मार्च, 2020 के अनुसार दिया गया था। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत तथा विगत सेवा लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करके मापी गई थी। बीमांकिक मूल्यांकनों के लिए प्रयुक्त मूल अवधारणाएं निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19
विधि का उपयोग	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम
योजनागत परिसंपत्तियों पर रियायती दर और प्रत्याशित प्रतिफल, यदि वित्त पोषित है	6.72%	7.71%	6.72%	7.71%	6.72%	7.71%
भविष्य की वेतन वृद्धि / चिकित्सा मुद्रास्फीति	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
कर्मचारियों के काम के औसत शेष जीवन (वर्ष)	15.41	13.12	15.41	13.12	15.41	13.12

अवधारणाएं छूट दर, वेतन वृद्धि दर और कर्मचारियों के प्रत्याशित औसत शेष कार्यशील जीवन हैं। छूट दर सामान्यतः उस अवधि में रिपोर्टिंग तारीख को सरकारी बांडा पर उपलब्ध बाजार परिणामों के आधार पर होती है जो देयताओं के अनुरूप होती है और वेतन वृद्धि दर दीर्घावधि आधार पर मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदान्वति और अन्य संगत कारकों द्वारा प्रभागित है। उपर्युक्त सूचना बीमांकन द्वारा प्रमाणित है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

58.2.4 संवेदनशीलता विश्लेषण

एक संगत बीमांकिक अवधारणा में रिपोर्टिंग तारीख को उपयुक्त रूप से संभावित परिवर्तनों को अन्य अवधारणाओं को स्थिर रखने से नीचे दर्शाई गई राशि तक परिभाषित लाभ दायित्व प्रभावित हुआ होता।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% संचलन)				
–उपदान	(0.77)	0.94	(0.89)	1.10
–पीआरएमएस	(10.02)	10.48	(0.77)	0.84
–ईआरएस	(0.15)	0.17	(0.13)	0.15
वेतन वृद्धि दर (0.50% संचलन)				
–उपदान	0.14	(0.11)	0.15	(0.12)
–पीआरएमएस	-	-	-	-
–ईआरएस	0.16	(0.14)	0.14	(0.12)
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर (0.50% संचलन)				
–पीआरएमएस	9.74	(9.39)	6.31	(5.92)
चिकित्सा लागत (0.10% संचलन)		-	-	-
–पीआरएमएस	13.99	(13.42)	12.98	(12.98)

उपर्युक्त प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी संभावना नहीं है कि अवधारणाओं में परिवर्तन एक–दूसरे के अलग होने में होंगे क्योंकि कुछ अवधारणाएं सह–संबंधित हो सकती हैं।

कंपनी इस बात की सक्रिय रूप से मॉनीटरिंग करती है कि निवेशों की अवधि तथा प्रत्याशित परिणाम कर्मचारी लाभ दायित्वों से उत्पन्न होने वाले प्रत्याशित नकद बहिर्प्रवाह से मेल खा रहे हैं। निवेश ऐसे सुविधीकृत हैं कि किसी भी एक निवेश का विफलता का परिसंपत्तियों के समग्र स्तर पर वास्तविक प्रभाव नहीं होगा। पूर्व अवधियों से अपने जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी द्वारा उपयुक्त प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

58.2.5 भावी वर्षों में परिभाषित लाभ योजनाओं का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
एक वर्ष से कम	11.95	13.10	9.89	10.38	1.26	0.88
1 से 5 साल तक	21.20	31.68	58.86	64.73	3.89	3.35
5 साल से परे	32.68	31.98	231.09	254.11	5.35	3.12
कुल	65.83	76.76	299.84	329.22	10.50	7.35

58.2.6 अगले वर्ष के लिए प्रत्याशित अंशदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19
प्रत्याशित अंशदान	3.29	1.72	-	34.74	-	-

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 12.57 वर्ष है (31.03.2019 को – 12.76 वर्ष)।

समेकित लेखा टिप्पणियां

58.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

58.3.1 अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश

आरईसी में कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश लाभ तथा अर्धवेतन अवकाश लाभ के लिए प्रावधान है जो अर्धवार्षिक आधार पर क्रमशः 15 दिन और 10 दिन लगता है। अधिकतम 300 दिन का अर्जित अवकाश सेवाकाल के दौरान किसी समय संचित किया जा सकता है। यद्यपि, अर्धवेतन अवकाश को संचित करने की कोई सीमा नहीं है। आरईसीपीडीसीएल के मामले में, कर्मचारी केवल एक वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद अवकाश नकदीकरण के पात्र हैं और अलग होने के समय पूरी राशि दी जाती है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है। इन कर्मचारी लाभों के निमित्त कुल 8.00 करोड़ रुपए की व्यय राशि (पूर्व वर्ष 7.41 करोड़ रुपए) दी गई है और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ तथा हानि विवरण में नाम डाली गई है।

58.3.2 अन्य कर्मचारी लाभ

लंबी सेवा पुरस्कार और निपटान भत्ता के निमित्त 0.93 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष 1.43 करोड़ रुपए) का व्यय बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में नाम डाला गया है।

आरईसीपीडीसीएल और आरईसीटीपीसीएल के मामले में, कर्मचारियों को वफादारी प्रोत्साहन मूल्य के कारण अलग होने के मामले को छोड़कर केवल निरंतर सेवा के तीन वर्ष पूरा करने के बाद देय होता है। कंपनी से बाहर जाने वाले कर्मचारियों को देयों का भुगतान उनके अलग होने के समय जारी किया जाता है। 0.15 करोड़ रुपए की राशि का व्यय (पूर्व वर्ष 0.18 करोड़ रुपए) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ तथा हानि विवरण में नाम डाला गया है।

59. राज्य विद्युत बोर्ड के खुलने के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) को, जिन पर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पिछले समय नए एंटिटियों का गठन कर दिया है। इसके परिणामतः पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड की देयताएं नई एंटिटियों में अंतरित कर दी गई हैं।

जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद प्रलेखन की स्थिति

जम्मू और कश्मीर राज्य के दो संघ शासित प्रदेशों (संघ राज्य क्षेत्रों) – जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में विभाजन के बाद, जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य से संबंधित मौजूदा इकाइयों को 23 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए विभाजन आदेश के जरिए पुनर्गठित कर दिया गया है। नए पुनर्गठित विभागों के साथ समझौतों पर अमल अभी होना बाकी है। इस तरह से प्रलेखन का निष्पादन लंबित होने के कारण, उत्पादन, ठी एंड डी और सरकारी योजनाओं को मौजूदा ऋण समझौतों के अनुरूप सेवाएं प्रदान की जा रही हैं/का पुनर्भुगतान किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन होने के परिणामस्वरूप, 02 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। हालांकि, परिसंपत्तियों और देयताओं को एक औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा संबंधित विद्युत यूटिलिटियों को अंतरित किया जाना है।

प्रलेखीकरण की स्थिति इस प्रकार है:

- (i) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजीईएनसीओ को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण का कार्य नहीं किया गया है, इन योजनाओं को नव–निर्मित यूटिलिटियों के नाम से पुनःस्वीकृत किया गया है तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं और तदनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ प्रभार को पंजीकृत किया गया है।
- (ii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी और ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां इन योजनाओं के संबंध में परिवर्तित नाम वालीनव–निर्मित यूटिलिटी से एक वचनबद्धता प्राप्त कर ली गयी है तथा परिवर्तित नाम वाली/ नव–निर्मित यूटिलिटी के नाम में उधारकर्ता के नाम का परिवर्तन करते हुए नव–निर्मित यूटिलिटी को संवितरण कर दिया गया है।
- (iii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं, प्रलेखीकरण औपचारिकताएं सरकारी गारंटी के साथ पूर्ण कर ली गयी हैं तथा ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां आगे इन योजनाओं के लिए राजपत्र अधिसूचना का कार्य किया जाएगा।
- (iv) एक बार अंतिम अंतरण योजना के सभी विद्युत यूटिलिटियों को परिसंपत्तियों और देयताओं के विधिवत अंतरण को इग्निट करते हुए सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए जाने पर, सभी नाम परिवर्तित/ नव–निर्मित यूटिलिटियों पर बकाया ऋण के संबंध में प्रलेखीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। उस समय तक, व्याज/ मूलधन के भुगतान हेतु मांग यूटिलिटियों को अलग–अलग भेजा जा रही है तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यूटिलिटियों द्वारा ऋण के संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।

- 60. कंपनी के प्रचालनों में केवल एक क्षेत्र आता है – विद्युत संयंत्रों के निर्माण और विद्युत के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और पारेषण में लगी विद्युत क्षेत्र के कंपनियों को भारतीय लेखांकन मानक 108 – प्रचालन खंड द्वारा अपेक्षित व्यापार/ भौगोलिक क्षेत्रों के सदर्भ में ऋण उधार देना। भारतीय लेखांकन मानक 108 – प्रचालन खंड में परिभाषित “प्रबंधन दृष्टिकोण” के आधार पर मुख्य प्रचालन प्रभार निर्माता एक व्यापारिक क्षेत्र के विभिन्न कारकों के विश्लेषण के आधार पर कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन करता है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

60.1 प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से राजस्व के संबंध में सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2018–19
(क) ऋण परिसंपत्तियों से आय	29,441.76	24,869.97
(ख) सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शुल्क	19.52	83.02
(ग) अल्यावधि अधिशेष फंड के प्रबंधन से आय	81.95	55.48
(घ) सेवाओं की बिक्री से राजस्व	182.11	169.93
कुल	29,725.34	25,178.40

60.2 इस समूह में कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र नहीं है क्योंकि समूह के प्राथमिक प्रचालन देश के भीतर किए जाते हैं।

60.3 किसी भी लेनदार ने वित्तीय वर्ष 2019–20 और 2018–19 के दौरान समूह के राजस्व में 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंशदान नहीं किया है।

61. समेकन के लिए अनुषंगी कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम एवं सहायक कंपनियाँ हेतु विचारार्थः

क. कंपनी की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी कंपनियाँ

एंटीटी के नाम	कारोबार का स्थल/ निगमनों का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व	
		31–03–20 के अनुसार	31–03–19 के अनुसार
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)	भारत	100%	100%
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)	भारत	100%	100%

ख. संयुक्त उद्यम

एंटीटी के नाम	कारोबार का स्थल/ निगमनों का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व	
		31–03–20 के अनुसार	31–03–19 के अनुसार
एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)*	भारत		
ओनररशिप इंटरेस्ट		22.18%	21.70%
धारित राशि **		258.47	179.63

*वित्तीय वर्ष 2019–20 और वित्तीय वर्ष 2018–19 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की गई है और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए इन पर विचार किया गया है। वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए आंकड़े लेखापरीक्षा के पूरा होने पर बदल सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 की लेखापरीक्षा के पूरा होने के बाद के आकड़ों के प्रभाव को चालू वर्ष में समायोजित किया गया है।

**निवेश की उद्धृत कीमत उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कंपनी के इकिवटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं।

ग. सहायक कंपनियाँ

एंटीटी के नाम	कारोबार का स्थल/ निगमनों का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व व्याज	
		31–03–20 के अनुसार	31–03–19 के अनुसार
दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%

समेकित लेखा टिप्पणियां

एंटीटी के नाम	कारोबार का स्थल / निगमनों का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व ब्याज	
		31-03-20 के अनुसार	31-03-19 के अनुसार
अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड	भारत	-	100.00%
भिंडगुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	-	100.00%
जम खंबालिया ट्रांस्को लिमिटेड	भारत	-	100.00%
खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड	भारत	-	100.00%
लाकड़िया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड	भारत	-	100.00%
उदुपी कासरगोड़े ट्रांस्को लिमिटेड	भारत	-	100.00%
डब्ल्यूआरएसएस XXI (ए) ट्रांस्को लिमिटेड **	भारत	-	100.00%
रामपुर संभल ट्रांस्को लिमिटेड **	भारत	-	-
उस्मानाबाद महाराष्ट्र लाइन *	भारत	-	-
बिदर कर्नाटक लाइन*	भारत	-	-
गदग कर्नाटक पार्ट ए लाइन *	भारत	-	-
सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट ए लाइन *	भारत	-	-
सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट बी लाइन *	भारत	-	-
सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट सी लाइन *	भारत	-	-
राजगढ़ मध्यप्रदेश लाइन *	भारत	-	-

*ये एसपीवी निगमन की प्रक्रिया में हैं। हालाँकि, आरएफपी चूंकि मार्च 2020 तक जारी किया जा चुके हैं इसलिए आवंटन नीति के अनुसार, व्यय आवंटित किया गया है।

**इन एसपीवी को वर्ष के दौरान बेच दिया गया है।

नोट: उपर्युक्त निवेश भारत सरकार (जीओआई) के अधिदेश के अनुसार प्रबंधित किए जाते हैं और कंपनी के पास इन कंपनियों की प्रासंगिक गतिविधियों को एकतरफा (संपादित्वक) रूप से निर्देशित करने की व्यावहारिक क्षमता नहीं है। इसलिए, कंपनी संबंधित कंपनियों में अपने निवेश पर विचार करती है क्योंकि कंपनी उनकी प्रदत्त इकिवटी शेयर पूंजी का 100% भाग अपने पास रखने के बावजूद भी सहयोगी कंपनियां महत्वपूर्ण प्रभाव रखती हैं।

घ इकिवटी मेथड का उपयोग करते हुए लेखाकृत संयुक्त उद्यम

ईईएसएल की सारंशीकृत वित्तीय स्थिति:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 के अनुसार *	31 मार्च 2019 के अनुसार *
वित्तीय परिसंपत्तियां		
नकद एवं नकदी समतुल्य	177.73	424.96
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	409.41	335.76
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	3,564.63	2,270.02
उप - जोड़	4,151.77	3,030.74
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4,957.51	3,833.63
कुल परिसंपत्तियाँ	9,109.28	6,864.37
वित्तीय परिसंपत्तियां	7,554.35	5,686.62
गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	373.84	348.67
कुल देयताएँ	7,928.19	6,035.29
निवल परिसंपत्तियाँ	1,181.09	829.08

*संयुक्त उद्यम की अलेखापरीक्षित एकल वित्तीय स्थितियों के आधार पर

समेकित लेखा टिप्पणियां
ईईएसएल का सारंशीकृत वित्तीय निष्पादन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए*	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क. आय		
प्रचालनों से राजस्व	2,487.72	1,829.27
अन्य आय	87.80	93.82
कुल (क)	2,575.52	1,923.09
ख. व्यय		
वित्तीय लागतें	354.85	187.84
मूल्यहास, परिशोधन एवं हानि	511.17	331.49
व्यापारगत माल की खरीद	1,051.86	939.48
मालसूचियों में परिवर्तन	59.39	25.41
अन्य व्यय	519.23	296.03
कुल (ख)	2,496.50	1,780.25
ग. इकिवटी पद्धति का प्रयोग करने के लिए संयुक्त उदमयों के परिकलित निवल लाभों / (हानियों) का हिस्सा	-	-
घ. कर पूर्व लाभ (क-ख+ग)	79.02	142.84
ङ. कर व्यय	(3.32)	59.01
च. अवधि के लिए लाभ (ग-घ)	82.34	83.83
छ. अन्य व्यापक आय / (हानि)	(21.60)	(0.22)
ज. कुल व्यापक आय (व+छ)	60.74	83.61
ईईएसएल से प्राप्त लाभांश	2.10	2.39

*पिछले वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा के कारण चालू अवधि में परिवर्तन के प्रभाव को समायोजित करने के बाद संयुक्त उदास के अनंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय कार्यनिष्पादन के आधार पर।

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की वहनीय राशि का पुनर्गठन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए*	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए*
आरंभिक निवल परिसंपत्तियां	874.58	690.07
शेयर अनुप्रयोग राशि – समायोजित	(4.65)	
शेयर पूँजी में वृद्धि		(99.00)
वर्ष के लिए लाभ	308.12	213.20
अन्य व्यापक आय (करों की निवल)*	44.92	83.83
जोड़ें शेयर अनुप्रयोग लंबित आबंटन	(0.48)	(0.22)
घटाएं: इकिवटी शेयर के निर्गम, सकल कर पर कारोबार लागत		0.00
घटाएं: वितरित लाभांश		
घटाएं: वितरित लाभांश कर	(9.49)	(11.03)
जोड़ें: गैर-नियंत्रित ब्याज	(1.95)	(2.27)
अंतिम निवल परिसंपत्तियां	1,211.05	874.58
घटाएं: ईईएसएल के समेकित वित्तीय विवरणों में गैर-नियंत्रक ब्याज	(45.76)	(46.68)
स्वामित्वधारक पर आरोप्य इकिवटी	1,165.29	827.90

* गैर-लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरणों को ध्यान में रखते हुए संचालन किया गया है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

ईईएसएल में निवेश की वहनीय राशि में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
समूह हिस्सा %	22.18%	21.70%
निवल मूल्य में समूह का हिस्सा	258.47	179.63
वित्तीय विवरणों में निवेश की वहनीय राशि	258.47	179.63

ईईएसएल की आकस्मिक देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार**
(क) ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किये गये कंपनी के विरुद्ध दावे	नीचे नोट देखें*	92.91
(ख) कराधान मांग		
(ग) अन्य		
– लैटर ऑफ क्रेडिट		49.76
– बैंक गारंटी		174.09
कुल आकस्मिक देयताएं		316.76
अन्य निवेशकों के साथ संयुक्त रूप से वहन की गई संयुक्त उद्यमों की आकस्मिक देयताओं का हिस्सा		68.73

* 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल की आकस्मिक देयता का विवरण उपलब्ध नहीं है और इसलिए ऊपर तालिका में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

** 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल की आकस्मिक देयता के विवरण को उस वर्ष के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर अद्यतन किया गया है।

62. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के तहत अपेक्षित समेकित कंपनियों के संबंध में प्रकटन

62.1 निवल परिसंपत्तियों अर्थात् कुल परिसंपत्तियों माइनस कुल देयताओं में हिस्सा

(₹ करोड़ में)

एंटिटी के नाम	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि
मूल				
आरईसी लिमिटेड	99.10%	35,076.56	99.30%	34,302.94
सहायक कंपनियां – भारतीय				
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	0.48%	168.20	0.45%	155.73
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	0.32%	112.61	0.34%	118.45
संयुक्त उद्यम – भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.73%	258.47	0.52%	179.63
संबद्ध कंपनियां – भारतीय				
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	0.05
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	0.05
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	0.05

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

एंटीटी का नाम	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	0.05
अजमेर फार्मा ट्रांस्को लिमिटेड			-	0.05
भिंडगुना ट्रांसमिशन लिमिटेड			-	0.05
जम खंबालिया ट्रांस्को लिमिटेड			-	0.05
खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड			-	0.05
लकाड़िया बनासकंठा ट्रांस्को लिमिटेड			-	0.05
उड्हुपी कसरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड			-	0.05
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	-0.62%	(219.61)	-0.61%	(210.91)
कुल	100.00%	35,396.43	100.00%	34,546.34

लाभ एवं हानि में शेयर

(₹ करोड़ में)

एंटीटी का नाम	31.03.2020 को समाप्त वर्ष		31.03.2019 को समाप्त वर्ष	
	समेकित निवल लाभ के % के रूप में	राशि	समेकित निवल लाभ के % के रूप में	राशि
मूल				
आरईसी लिमिटेड	98.27%	4,886.16	100.39%	5,763.72
सहायक कंपनियां – भारतीय				
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	0.25%	12.47	0.46%	26.34
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	1.09%	54.44	0.43%	24.60
संयुक्त उद्यम – भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.18%	9.14	0.17%	9.95
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	0.20%	10.06	-1.45%	(83.23)
कुल	100.00%	4,972.27	100.00%	5,741.38

अन्य व्यापक आय में शेयर

(₹ करोड़ में)

एंटीटी का नाम	31.03.2020 को समाप्त वर्ष		31.03.2019 को समाप्त वर्ष	
	समेकित निवल लाभ के % के रूप में	राशि	समेकित निवल लाभ के % के रूप में	राशि
मूल				
आरईसी लिमिटेड	99.27%	(549.79)	99.92%	(60.54)
सहायक कंपनियां – भारतीय				
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	-	-	-	-
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	-	-	-	-
संयुक्त उद्यम – भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.73%	(4.06)	0.08%	(0.05)
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	0.00%	-	-	-
कुल	100.00%	(553.85)	100.00%	(60.59)

समेकित लेखा टिप्पणियां
कुल व्यापक आय में शेयर

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	31.03.2020 को समाप्त वर्ष		31.03.2019 को समाप्त वर्ष	
	समेकित निवल लाभ के % के रूप में	राशि	समेकित निवल लाभ के % के रूप में	राशि
मूल				
आरईसी लिमिटेड	98.14%	4,336.37	99.33%	5,703.18
सहायक कंपनियां – भारतीय				
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	0.28%	12.47	0.46%	26.34
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	1.23%	54.44	0.43%	24.60
संयुक्त उद्यम – भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.11%	5.08	0.17%	9.90
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	0.23%	10.06	(1.45%)	(83.23)
कुल	100.00%	4,418.42	100.00%	5,680.79

63. परिसंपत्ति एवं देयताओं के अंतर्गत प्रत्येक श्रृंखलाबद्ध मद के लिए 12 माह या इससे अधिक समय के भीतर वसूली/निपटान की जाने वाली संभावित राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	12 महीनों में	12 से अधिक महीने	12 महीनों में	12 से अधिक महीने
परिसंपत्तियां				
(1) वित्तीय परिसंपत्तियां				
(क) नकद एवं नकदी समतुल्य	1,717.71	-	381.99	-
(ख) अन्य बैंक शेष	2,257.45	-	1,733.08	-
(ग) व्यापार प्राप्य	110.72	-	137.72	-
(घ) व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज	1,180.60	2,138.25	325.46	1,477.12
(ङ) ऋण	28,989.11	2,83,094.39	27,977.30	2,42,473.62
(च) निवेश	1,501.45	625.66	102.19	2,180.94
(छ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4,247.24	17,852.43	535.61	17,828.38
कुल – वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	40,004.28	3,03,710.73	31,193.35	2,63,960.06
(2) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां				
(क) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	2.02	407.92	1.45	291.72
(ख) आस्थागित कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	2,050.57	-	2,305.93
(ग) निवेश संपत्ति	-	0.01	-	0.01
(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	-	156.97	-	156.63
(ङ) चल रहे पूँजीगत कार्य	-	287.62	-	196.94
(च) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	-	0.77	-	1.59
(छ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	-	8.82	-	8.55
(ज) अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	81.96	50.41	112.64	35.77
(इ) इकिवटी पद्धति का प्रयोग करने के लिए परिकलित निवेश	7.24	251.23	-	179.63
(3) कुल-गैर वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	91.22	3,214.32	114.09	3,176.77
बिक्री के लिए धारित रखी गई वर्गीकृत परिसंपत्तियां	9.53	-	9.56	-
कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)	40,105.03	3,06,925.05	31,317.00	2,67,136.83

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	12 महीनों में	12 से अधिक महीने	12 महीनों में	12 से अधिक महीने
देयताएं				
(1) वित्तीय देयताएं				
(क) व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज	58.63	1,267.10	35.68	123.72
(ख) व्यापार देय				
(ि) एमएसएमई के कुल बकाया देय	0.15	-	2.65	-
(ii) एमएसएमई के अलावा लेनदारों के कुल बकाया देय	46.00	-	64.64	-
(ग) ऋण प्रतिभूतियां	48,573.11	1,71,345.14	41,345.10	1,51,422.41
(घ) उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	19,381.60	42,169.06	7,202.91	39,459.63
(ङ) अधीनस्थ देयताएं	170.58	4,649.07	169.96	4,648.80
(च) अन्य वित्तीय देयताएं	2,171.72	21,610.49	1,399.83	17,827.24
कुल – वित्तीय देयताएं (1)	70,401.79	2,41,040.86	50,220.77	2,13,481.80
(2) गैर-वित्तीय देयताएं				
(क) चालू कर देयताएं (निवल)	-	-	-	-
(ख) प्रावधान	67.96	39.13	60.15	40.09
(ग) अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	77.94	5.29	104.60	-
कुल – गैर-वित्तीय देयताएं (2)	145.90	44.42	164.75	40.09
(3) बिक्री के रखी गई देयताओं के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी देयताएं	0.68	-	0.08	-
कुल देयताएं (1+2+3)	70,548.37	2,41,085.28	50,385.60	2,13,521.89

पूर्व वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप लाने के लिए पुनः वर्गीकृत / पुनः समूहित किया गया है।

64. इसमें कंपनी द्वारा प्रायोजित एसपीवी के तुलन-पत्र से बाहर कुछ नहीं है, जिसे लेखाकरण प्रतिमानकों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है।
65. कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों अर्थात् आरईसीटीपीसीएल और आरईसीपीडीसीएल ("द्रांसफेर कंपनी") के साथ आरईसीटीपीसीएल ("द्रांसफेरी कंपनी") के विलय की योजना को मंजूरी दे दी है, जिसे अपेक्षित अनुमोदन के अध्यधीन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा भी अनुमोदित किया गया है।
66. मास्टर निर्देश – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली कंपनी और जमा राशि लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) के निर्देश, 2016 के तहत आवश्यक प्रकटन नोट संख्या 3, 9, 10, 11, 22.1, 27.1, 46, 49, 50.1.3 (पी), 50.1.3 (टी), 50.2.2, 50.3, 51, 53, 56, 64, 67, 68 में किए गए हैं।
67. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी नियामक द्वारा कंपनी पर कोई दंड नहीं लगाया गया है (पिछले वर्ष शून्य)।
68. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान उचित संव्यवहार संहिता के अंतर्गत उधारकर्ताओं से कंपनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है (पिछले वर्ष शून्य)।
69. जब तक स्पष्ट रूप से व्यक्त न हो, रुपए में अंकों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ रुपयों में पूर्णांकित किया गया है।

लेखा संबंधी 1 से 69 तक टिप्पणियां तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि के विवरण के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06629871

संजीव कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन-03464342

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135 एन

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/ एन500091

एस. मूर्ति
मार्गीदार
सदस्यता सं. : 072290

अतुल अग्रवाल
मार्गीदार
सदस्यता सं. : 092656

आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)

पंजिकृत कार्यालय— कोर 4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली—110003 (सीआईएन : L40101DL1969GOI005095

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलना—पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला अनुबंध
(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित)

(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी— व्यवस्थागत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा ग्राही कंपनी और जमा ग्राही कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के पैराग्राफ 18, जहां तक ये आरईसी लिमिटेड पर लागू हैं, के अनुसार अपेक्षित व्योरे)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि
देयता पक्ष:				
(1) एनबीएफसी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम				
जिसमें उस पर उपचित लेकिन अदा न किया गया व्याज शामिल हैं:				
(क) डिबेचर/बॉण्ड्स :				
— प्रतिभूत	39,957.71	-	49,398.19	-
— अप्रतिभूत	1,82,833.33	-	1,41,361.86	-
(ख) आस्थगित क्रेडिट	-	-	-	-
(ग) आवधिक ऋण				
—वित्तीय संस्थाओं से प्रतिभूत ऋण	-	-	207.33	-
—एनएसएसएफ से अप्रतिभूत ऋण	10,326.81	-	5,121.84	-
—बैंकों से अप्रतिभूत ऋण	18,900.72	-	18,555.08	-
—वित्तीय संस्थाओं से अप्रतिभूत ऋण	1,000.00	-	1,000.00	-
(घ) अंतर — कारपोरेट ऋण और उधारियां	-	-	-	-
(च) वाणिज्यिक दस्तावेज	2,925.00	-	7,975.00	-
(छ) अन्य ऋण				
— विदेशी मुद्रा उधारियां	21,813.83	-	17,705.96	-
—एफसीएनआर (बी) ऋण	6,985.80	-	4,327.72	-
—अल्पावधि ऋण / मांग पर ऋण प्रतिदेय	2,755.92	-	-	-
—फाइनेंस लीज ऑफिलिंगेशन	2.12	-	0.11	-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
परिसंपत्ति पक्ष:		
(2) प्राप्य बिलों सहित ऋणों एवं पेशागियों का व्योरा		
(क) प्रतिभूत	2,35,477.68	2,05,679.19
(ख) अप्रतिभूत	75,042.00	64,128.22
(3) निवेश :		
चालू निवेश :		
अनुद्धतः		
(i) शेयर: इक्विटी	12.50	-
अनुद्धतः		
(i) शेयर: (क) प्रेफरेंस	68.34	
दीर्घावधि निवेश		
उद्धतः		
(i) शेयर: इक्विटी	507.43	640.81
(ii) डिबेचर और बॉण्ड	1,532.72	1,588.98
अनुद्धतः		
(i) शेयर: (क) इक्विटी	258.47	179.63
(ii) डिबेचर और बॉण्ड	-	-
(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें	6.12	6.18
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-	47.16

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(4) उपरोक्त (2) में वित्तापोषित परिसंपत्तियों के उधारकर्ता का समूह-वार वर्गीकरण:		
विवरण	प्रावधानों की निवल राशि	अप्रतिभूत
31 मार्च 2020 के अनुसार	प्रतिभूत	अप्रतिभूत
1. संबंधित पक्षकार		
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	-
(ख) समान समूह की कंपनियां	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	0.33
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	2,35,477.68	75,041.67
जोड़	2,35,477.68	75,042.00
31 मार्च 2019 के अनुसार		
1. संबंधित पक्षकार		
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	-
(ख) समान समूह की कंपनियां	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	0.46
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	2,05,679.19	2,35,477.22
जोड़	2,05,679.19	2,35,477.68

(5) शेयर एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में निवेशों (चालू और दीर्घावधि) के निवेशक का समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
	बाजार मूल्य/ विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)	बाजार मूल्य/ विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)
1. संबंधित पक्षकार				
(क) समान समूह की कंपनियां	258.47	258.47	179.63	179.63
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	2,127.11	2,127.11	2,283.13	2,283.13
जोड़	2,385.58	2,385.58	2,462.76	2,462.76

(6) अन्य सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(i) सकल जमा – इंपेयर्ड परिसंपत्तियां		
(क) संबंधित पक्षकार	-	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	21,255.55	20,348.44
(ii) निवल जमा – इंपेयर्ड परिसंपत्तियां		
(क) संबंधित पक्षकार	-	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	10,703.42	10,649.49
(iii) ऋण के समाधान हेतु अधिगृहीत परिसंपत्तियाँ	-	-

कृते एवं निवेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताम
कार्यकारी निवेशक एवं कंपनी सचिवअजय चौधरी
निवेशक (वित्त)
डीआईएन-06629871संजीव कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निवेशक सह निवेशक (तकनीकी)
डीआईएन-03464342

हमारी इसी तारीख की लेखापरीका रिपोर्ट के अनुसार

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17 जून 2020कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135 एनएस. मूर्ति
भागीदार

सदस्यता सं. : 072290

कृते ओ. पी. बागल एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन / एन500091अतुल अग्रवाल
भागीदार

सदस्यता सं. : 092656

प्रपत्र एओसी – 1

वर्ष 2019–20 के लिए अनुषंगी कंपनियों/संबद्ध) / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण

भाग क: अनुषंगी कंपनियां

(₹ करोड़ में)

1 विवरण	I	II
2 अनुषंगी कंपनी का नाम	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड
3 संबंधित अनुषंगी कंपनी के लिए रिपोर्ट की अवधि, यदि होलिंग कंपनी की रिपोर्ट की अवधि से भिन्न है	लागू नहीं	लागू नहीं
4 विदेशी अनुषंगी कंपनियों के मामले में संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा और विनियमित दर	लागू नहीं	लागू नहीं
5 शेयर पूँजी	0.05	0.05
6 आरक्षित एवं अधिशेष	168.15	112.56
7 कुल परिसंपत्तियां	310.30	259.89
8 कुल देयताएं	142.10	146.60
9 निवेश	15.81	75.26
10 टर्नओवर	143.01	79.16
11 लाभ / (हानि) कराधान से पूर्व	20.34	70.55
12 कराधान हेतु प्रावधान	7.87	16.11
13 लाभ / (हानि) कराधान के पश्चात	12.47	54.44
14 प्रस्तावित लाभांश	-	-
15 शेयरधारिता का %	100.00%	100.00%

(1) अनुषंगी कंपनियों के नाम, जिनके प्रचालन अभी शुरू होने हैं— शून्य

(2) अनुषंगी कंपनियों के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या विक्रय कर दिया गया है— शून्य

भाग ख: संबद्ध और संयुक्त उद्यम

(₹ करोड़ में)

संबद्ध संस्था का नाम	दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड #	चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
1 अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तिथि	31–मार्च–20	31–मार्च–20	31–मार्च–20	31–मार्च–20	31–मार्च–20
2 वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संबद्ध/संयुक्त उद्यमों के शेयर					
संख्या	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
संबद्ध/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
होलिंग की परिसीमा (%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3 महत्वपूर्ण प्रभाव होने पर इसका विवरण	नीचे दी गई टिप्पणी का संदर्भ देखें**				
4 संबद्ध/संयुक्त उद्यम को समेकित नहीं किए जाने का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5 अद्यतन लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार शेयरधारिता का आरोप्य निवल मूल्य	-	(2.14)	(1.91)	(2.08)	(1.86)

(₹ करोड़ में)

संबद्ध संस्था का नाम	दिनचांग द्रांसमिशन लिमिटेड #	चंदिल द्रांसमिशन लिमिटेड	कोडरमा द्रांसमिशन लिमिटेड	दुमका द्रांसमिशन लिमिटेड	मंदर द्रांसमिशन लिमिटेड
6 वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	(0.44)	(0.41)	(0.43)	(0.40)
i. समेकन में विचारा गया*	-	-	-	-	-
ii. समेकन में नहीं विचारा गया	-	(0.44)	(0.41)	(0.43)	(0.40)

दिनचांग द्रांसमिशन लिमिटेड की अधिसूचना को दिनांक 25 मार्च 2019 को जारी किए गए विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के पत्र के आधार पर निरस्त किया गया और तत्पश्चात निवेश को बट्टखाते में डाला गया।

एमसीए के साथ कंपनी का नाम हटवाने के लिए एमओपी की अनुमति वर्ष के दौरान प्राप्त कर ली गई है।

* सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोसिएट्स) को 'बिक्री के लिए रखे गए' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और लागत या उचित बाजार मूल्य (बिक्री के लिए कम लागत) जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है, इसलिए लाभ पर विचार नहीं किया जाता है।

** समूह के पास 100% शेयर पूँजी है लेकिन इन निवेशों का प्रबंधन भारत सरकार के अधिदेश के अनुसार किया जाता है और समूह के पास इन कंपनियों की प्रासंगिक गतिविधियों को एकतरफा रूप से निर्देशित करने की व्यावहारिकता नहीं है। इसलिए इन कंपनियों को सहयोगी कंपनियों के रूप में माना गया है।

संयुक्त उद्यम का विवरण

(₹ करोड़ में)

संयुक्त उद्यम का नाम	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
1 अद्यतन लेखापरीक्षित तुलना-पत्र की तिथि	31-मार्च-19
2 वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संबद्ध/संयुक्त उद्यमों के शेयर संख्या	21,81,00,000
संबद्ध/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि @	218.10
होलिंग की परिसीमा (%)	22.18%
3 महत्वपूर्ण प्रभाव होने पर इसका विवरण	होलिंग 22.18 % का शेयर तथा प्रबंधन में भागीदारी
4 संबद्ध/संयुक्त उद्यम को समेकित नहीं किए जाने का कारण	लागू नहीं
5 अद्यतन लेखापरीक्षित तुलनापत्र के अनुसार शेयरधारिता का आरोप्य निवल मूल्य	178.82
6 वर्ष के लिए लाभ/(हानि) *	
i. समेकन में विचारा गया	9.14
ii. समेकन में नहीं विचारा गया	शून्य

@एनर्जी एफिशियेंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) केराइट इश्यू ऑफर के तहत 8 जून 2019 को ₹ 71.60 करोड़ मूल्य पर कंपनी को एनर्जी एफिशियेंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के 7,16,00,000 शेयर आवंटित किए गए। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल में कंपनी की हिस्सेदारी 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 21.70% की तुलना में 22.18% रही है।

*आंकड़े संयुक्त उद्यम के अधोषित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं।

(1) संबद्ध या संयुक्त उद्यम के नाम, जिनके प्रचालन अभी शुरू होने हैं।

सात एसपीवी अर्थात् बीदर कर्नाटक लाइन, गडग कर्नाटक पार्ट ए लाइन, सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट ए लाइन, सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट बी लाइन, सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट सी लाइन, राजगढ़ मध्य प्रदेश लाइन और उस्मानाबाद महाराष्ट्र लाइन निगमन की प्रक्रिया में हैं और 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार अभी इनका प्रचालन शुरू किए जाने हैं।

(2) संबद्ध या संयुक्त उद्यम के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या विक्रय कर दिया गया है।

कारोबार की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित संबद्ध कम्पनियां को जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त/हटा दिया गया हैं:

अनुषंगी कंपनी के नाम	विक्रय की तिथि
खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड	29-08-2019
भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	11-09-2019
उड्डुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड	12-09-2019
अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड	03-10-2019
डब्ल्यूआरएसएस XXI (ए) ट्रांस्को लिमिटेड	14-10-2019
जम खंभालिया ट्रांस्को लिमिटेड	13-10-2019
लाकड़िया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड	13-10-2019
रामपुर संभल ट्रांस्को लिमिटेड	12-12-2019

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06629871

संजीव कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन-03464342

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135 एन

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/ एन500091

एस. मूर्ति
भागीदार
सदस्यता सं. : 072290

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17 जून 2020